

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

PARLIAMENT LIBRARY

6/6/22

9/1/22

[चौथा सत्र
Fourth Session]



सत्यमेव जयते



[खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं]
[Vol. XI Contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8, मंगलवार, 21 मार्च, 1972/1 चैत्र, 1894 (शक)

No. 8, Tuesday, March 21, 1972/Chaitra 1, 1894 (Saka)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

Member Sworn

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
ता. प्र. संख्या S. Q. No.		
101. राज्यों में आम चुनाव के बारे में शिवायते ।	Complaints regarding General elections in States ...	—1
103. हावड़ा-दिल्ली रेल मार्ग का विद्युतीकरण	Electrification on Howrah-Delhi Railway Line ...	—3
104. रेलवे वर्कशॉप कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी	Extra Leave to Railway Workshop Workers ...	—4
106. निजी व्यापारियों के माध्यम से रुई का आयात	Import of Cotton through Private Traders ...	—5
108. दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालयों का भुवनेश्वर में और पूर्व रेलवे के मुख्यालय को पटना दानापुर में स्थानान्तरित करना	Shifting of S. E. Railway Headquarters to Bhubaneswar and Eastern Railway to Patna/Danapur ...	—8
109. रेलगाड़ियों में मदिरा-पान	Liquor Drinking in Trains	—9
111. अमरीका को किए जाने वाले पटसन के निर्यात में गिरावट	Decline in Export of Jute to America ...	—10
114. केरल में नारियल जटा उद्योग में लगे कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Coir Workers in Kerala ...	—13
117. भारत-पाकिस्तान युद्ध में क्षतिग्रस्त रेलवे लाइनों और सम्पत्ति की मरम्मत	Repair to Railway Lines and property Damaged during Indo-Pak War ...	—13

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
119. इंग्लैंड के व्यापार दल का भारत का दौरा	U. K. Trade Team's Visit to India	—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता. प्र. संख्या S.Q. No.		
102. सवारी गाड़ियों की रफ्तार में वृद्धि और उन्हें समय पर चलने का माल यातायात से प्राप्त राजस्व पर असर	Effect of Speeding up and Punctuality of Passenger Trains on revenue from goods Traffic ...	—16
105. काफी का निर्यात बढ़ाना	Boosting of Export of Coffee	—16
107. कालागढ़ में रामगंगा परियोजना की क्रियान्विति	Implementation of Ram Ganga Project at Kalagarh ...	—17
110. हरदुआगंज रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर रेलवे राजस्व में होने वाली हानि	Leakage of Railway Revenue at Harduaganj Railway Station (Northern Railway) ...	—17
113. पालमऊ जिले (बिहार) में नई रेलवे लाईन	New Railway Lines in Palamou District (Bihar)	—18
115. चुनाव तथा विधि व्यवस्था को बनाये रखने से सम्बन्धित सभी अधिकारियों के स्थानान्तरण पर रोक	Ban on Transfer of Officers connected with Polling and Maintenance of Law and Order ...	—18
116. रेलगाड़ियों में दूसरे दर्जे का समाप्त किया जाना	Abolition of Second Class Accommodation in Trains ...	—19
118. नाइलोन का धागा बनाने के लिये अमरीकी ऋण	U. S. Loans for Production of Nylon Yarn ...	—19
120. बाढ़ के कारणों की जाँच करने सम्बन्धी समिति की सिफारिशें।	Recommendations of Committee to Investigate Cause of flood ...	—20
अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.		
840. विधि और न्याय विभाग बनाना	Creation of Law and Justice Department	—21
841. पानीपत/सोनीपत से दिल्ली तक दोहरी रेलवे लाइन बिछाना	Double Railway Line from Panipat/Sonepat to Delhi	—21

अन्त. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
842.	शालीमार में वस्तुओं तथा पार्स-ओं के उतारने-चढ़ाने के ठेके के लिये करार	Agreement for Goods and Parcel Handling Contract at Shalimar	—21
843.	शालीमार में प्रत्येक श्रमिक को मजूरी का भुगतान	Payment of Wages to individual Labourers at Shalimar ...	—22
844.	केरल में मिचाई और विद्युत सुविधाओं का विकास	Development of Irrigation and Power Facilities in Kerala ...	—22
845.	क्विलोन में डिवीजनल कार्यालय खोलना	Opening of a Divisional Office at Quilon	—23
847.	राजस्थान में मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित करना	Conversion of Metre Gauge Lines into Broad Gauge in Rajasthan	—23
848.	शालीमार में ठेकेदारों द्वारा ठेके पर मजदूर भर्ती करने के लिए लाइसेंस	Licence for Employment of Contract Labour by the Contractor at Shalimar ...	—24
849.	शालीमार में माल तथा पार्सल उतारने चढ़ाने के ठेके के लिये सहकारी समिति का पंजीकरण	Registration of Co-operative Society for Goods and Parcels Handling Contract at Shalimar ...	—24
850.	नर्मदा परियोजना न्यायाधिकरण की प्रगति	Progress of Narmada project Tribunal ...	—25
851.	चाय बोर्ड के चैयरमैन की विदेश यात्रा	Tea Board Chairman's Visits Abroad ...	—25
852.	फिल्मों के निर्यात के लिये यू० के० से समझौता	Agreement with U. K. for Export of Films ...	—26
853.	लौह अयस्क का मूल्य	Price of Iron Ore	—26
854.	भूवेष्टित (लैंड लाक्ड) देशों के लिये होने वाली विशेष समिति की मीटिंग में भारत द्वारा भाग लेना	Participation of India in Special Committee for Land Locked Countries ...	—27
855.	खारे पानी का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र	Area Flooded by Saline Water ...	—27
857.	केन्द्र तथा राज्य सरकारों को आयातित कारों का अवंटन	Allotment of Imported Cars to Central and State Governments ...	—28
858.	भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को बिजली की सप्लाई बन्द करने की धमकी	Threatened Disconnection of Power Supply to DESU by Bhakra Management Board ...	—29

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
859.	भारत और बंगला देश द्वारा चाय और पटसन का संयुक्त रूप से निर्यात	Joint Export of Tea and Jute by India and Bangla Desh	—29
861.	बिजुरी बड़वादी रेलवे लाइन पूरी करना	Completion of Bijuri Barwadi Railway Line	—30
862.	रेलवे में एक अलग कार्मिक विभाग की स्थापना	Separate Personnel Department in Railways ...	—30
863.	राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात व्यापार	Exports by STC	—30
864.	कोयला सम्बन्धी औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन	Report of Bureau of Industrial Costs and Prices on Coal ...	—31
865.	काशी व्यास नगर और मुगल सराय (उत्तर रेलवे) के स्विच पम्प कर्मचारियों द्वारा बिना समयोपरि भत्ते के कार्य करना	Work done without overtime payment by Switch Pump Attendants, Kashi Vyas Nagar and Mugal Sarai (Northern Railway) ...	—31
866.	उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा गैर सरकारी वकीलों का एंगेज किया जाना	Engagement by Court of Private Legal Practitioners in Supreme Court ...	—31
867.	इलाहाबाद (उत्तर रेलवे) की टिकट निरीक्षण शाखा के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against certain officials of Ticket Checking Branch of Allahabad Division (Northern Railway) ...	—32
868.	भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किये गये कार्य के लिये रेलवे कर्मचारियों को पुरस्कार	Reward to Railway Employees for Work rendered during Indo-Pak War ...	—32
869.	नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दिल्ली नगर निगम को देय धन राशि	Arrears of dues payable by New Delhi Municipal Committee to Delhi Municipal Corporation	—33
870.	पूर्व रेलवे के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच	Department Enquiries against Employees of Eastern Railway ...	—33
871.	बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर विश्रामगृहों और शयन कक्षों की व्यवस्था	Provision of Retiring Rooms and Dormitories at various Railway Stations in Bihar ...	—33
872.	चाय का निर्यात	Export of Tea	—34
873.	कोयल नदी (पालामऊ) बिहार पर बांध का निर्माण	Construction of Dam on Koel River (Palamau) Bihar ...	—35

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
874.	केरल में कुल्लोडु सिंचाई परियोजना का पूरा किया जाना	Completion of Kullodu Irrigation Project in Kerala ...	—36
875.	केरल में नई रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण	Survey for New Railway Lines in Kerala ...	—36
876.	विधान सभा के चुनाव के लिए आचार संहिता	Code of Conduct for Assembly Elections ...	—36
877.	रेलगाड़ियों के तीसरे दर्जे में सुधार	Improvement in Third Class in Trains ...	—37
878.	अमरीका द्वारा परम्परागत वस्तुओं के निर्यात का रोका जाना	Stoppage of Export of Traditional Items by USA ...	—37
879.	इदिककी होकर मदुरा से एरणाकुलम को मिलाने वाली रेलवे लाइन	Railway Line linking Ernakulam with Madhura via Idikki ...	—38
880.	हथकरघे के उत्पादों के लिये मंडियों की खोज करने हेतु एक व्यापार शिष्टमंडल को विदेश भेजना	Sending of a Trade Delegation abroad to find out markets for handloom products ...	—38
881.	समस्तीपुर रक्सौल रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Samastipur Raxaul line into Broad Gauge ...	—38
882.	साकरी से हसनपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) तक रेलवे लाइन	Railway Line from Sakri to Hasanpur (North Eastern Railway) ...	—38
883.	मिथिला कला और हस्तशिल्प का संवर्धन	Promotion of Mithila Arts and Handicrafts ...	—39
884.	रेलवे प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता लाने हेतु सुझाव देने के लिये नियुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee to suggest measures for economy and Efficiency in Railway Administration ...	—39
885.	इंगलैंड के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन	Adverse balance of Trade with U. K. ...	—39
886.	रेलवे विभाग में वर्ष 1957 में नियुक्त अब तक अस्थायी कर्मचारी	Officers Appointed in the Railway Department in 1957 still Temporary ...	—40
887.	विदेशों में भेजे गये सरकारी प्रतिनिधि मंडलों से हुए लाभ	Benefits from official delegations sent abroad ...	—40
888.	ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के कृत्य	Functions of Brahmaputra Flood Control Commission ...	—41
889.	उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना	Setting up of North Bengal Flood Control Commission ...	—41
890.	जी० टी० एक्सप्रेस में चोरी तथा कत्ल की घटनाएँ	Incidents of Thefts and Murders in Grand Trunk Express ...	—41

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
891.	चल टिकट बुकिंग की पद्धति	System of Mobile Ticket Booking ... —42
892.	रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिये अनारक्षित आवास की व्यवस्था	Provision of Unreserved accommodation for Passengers in trains ... —42
893.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम तथा नियमों में संशोधन	Amendment of Central Silk Board Act and Rules ... —43
894.	दिल्ली और बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस की तरह की गाड़ी चलाना	Introduction of Rajdhani Type Express train between Delhi and Bombay ... —43
895.	रेलवे लाइनों के निकट की रेलवे भूमि का उपयोग	Utilization of Railway land near Railway tracks ... —43
896.	सरकार द्वारा 1971 में कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of Textile Mills during 1971 ... —44
897.	भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिये कर्मचारी संगठनों के सुझाव	Employees' Organisations suggestions for anti-corruption drive ... —44
898.	सरकारी उपक्रमों के माध्यम से निर्यात और आयात	Exports and Imports through State Sector Undertakings ... —45
899.	1970-71 तथा 1971-72 के दौरान निर्यात सामग्री के कुल मूल्य	Total value of export during 1970-71 and 1971-72 ... —45
900.	पूर्वी रेलवे में चोरियों और रेल डिब्बों की मोहर तोड़ने के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्पत्ति की हानि का मूल्य	Value of property lost due to theft and Wagon breaking on Eastern Railway ... —46
901.	भारत युगोस्लाविया व्यापार प्रबन्ध	Indo Yugoslavia Trade Arrangements ... —46
902.	तम्बाकू के निर्यात में कमी	Decline in Export of Tobacco ... —16
903.	न्यायाधीशों के लिये परिवार पेंशन और मृत्यु एवं सेवावृत्ति उपादन	Family Pension and Death-cum-Retirement Gratuity for judges ... —47
904.	मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अघवाड़ा नदी समूह का नियंत्रण	Control of Adhwara Group of Rivers in Muzaffarpur and Darbhanga ... —47
905.	वागमती नदी के पुराने पथ पर मार्गदर्शी बांधों का निर्माण	Construction of Guide Bundhs on old bed of river Begmati ... —48
906.	निजी कम्पनियों द्वारा चलायी जा रही रेलवे लाइनें	Railway lines run by private Companies ... —48

अता. प्र. संख्या U.S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
907.	बम्बई क्षेत्र (पश्चिम तथा मध्य रेलवे) इंजीनियरिंग विभाग के नैमित्तिक श्रमिकों की दैनिक मजूरी की दर	Rate of daily wages to casual Labourers of Engineering Department in Bombay area (Western and Central Railways)	—49
908.	त्रिवेन्द्रम एरणाकुलम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करना और उसे बड़ी लाइन बनाना	Conversion to Broad Gauge and Electrification of Trivandrum Ernakulam Railway Line	—49
909.	केरल के लिये नारियल जटा विकास योजना	Coir Development scheme for Kerala	—50
910.	लखनऊ, सोनपुर, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर स्टेशनों पर भिखारियों और कोड़ियों का धूमते रहना	Loitering of Beggars and Lepers at Lucknow, Sonpur, Gorahpur and Muzaffarpur Stations ...	—50
911.	नये ऊपरी/निचले पुलों का निर्माण करने के लिये केरल सरकार द्वारा अधिक धनराशि की मांग	Demand from Kerala Government for more funds for construction of new over/under Bridges	— 50
912.	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के लिए भीमकुण्ड रंगली और बांध परियोजना का काम तेज करना	Acceleration of work of Bhimkunda and Rangali Dam Projects to check floods in Orissa...	—51
913.	झारगाम तथा कलालकुंडा रेलवे स्टेशनों (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच गाड़ियों में लूट की घटनायें	Robbery in trains between Jhargram and Kalalkunda Railway Station (South Eastern Railway) ...	—51
914.	रेलवे बुकस्टालों के ठेकेदारों को लाइसेंस देना	Grant of Licences to Railway Bookstall Contractors ...	—52
915.	ब्रिटेन द्वारा भारतीय हथकरघा वस्त्रों का आयात स्थगित करना	Suspension of Indian Handloom Imports by U. K.	—52
916.	लदान के स्थान पर माल भाड़े की अदायगी	Freight charges to be paid at loading point ...	—53
917.	संविधान का प्राधिकृत हिन्दी पाठ	Authentic Hindi Text of Constitution ...	—54
918.	विभिन्न कानूनों के हिन्दी संस्करण	Hindi Texts of various enactments ...	—55
919.	निर्यात में सफलता का दावा	Claim for break through in Export...	—55
921.	तम्बाकू निगम की स्थापना	Setting up of Tobacco Corporation ...	—55
922.	गंगा को ब्रह्मपुत्र से मिलाने की योजना	Scheme of linking Ganga with Brahmaputra ...	—56

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
923. दिनहाटा (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) से पटसन की ढुलाई के लिए वैगनों की सप्लाई	Supply of Wagons for Jute Movement from Dinahata Station (North-East Frontier Railway) ...	—56
924. पश्चिम बंगाल से चाय के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Tea Export from West Bengal ...	—57
925. पड़ौसी राज्यों द्वारा आणविक बिजली घरों की बिजली में हिस्सा बंटाना	Sharing of Power Generated in Atomic Power Stations by Neighbouring States ...	—57
926. विभिन्न राज्यों में रुई की खरीद	Purchase of cotton in various State ...	—57
927. रेशम और रेयन के निर्यातकर्ताओं को अधिकार पत्र	Letters of Authority for Silk and Rayon Exporters ...	—58
928. समुद्रपारीय पूंजी निवेश निगम की स्थापना	Setting up of an Overseas Investment Corporation ...	—58
929. राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू के स्टॉक को खरीदना	Take over of Tobacco Stocks by STC ...	—58
9 0. भारत और बंगला देश के बीच फरक्का बाँध परियोजना के बारे में वार्ता	Talks over Farakka Barrage Project Between India and Bangla Dresh ...	—59
931. बाँधों में गहराई तथा गहरे दरारों का अनुमान लगाने के लिए शीघ्र-गामी उपाय का आविष्कार	Development of Quicker Methods to Estimate Depth and Deep Cracks in Dams ...	—60
932. धनबाद तथा गया रेलवे स्टेशनों के बीच आरक्षण कोटे में वृद्धि	Increase in Reservation Quota for Dhanbad and Gaya Railway Stations ...	—60
933. पटना जंक्शन और पटना शहर रेलवे स्टेशनों के आरक्षण कोटे में वृद्धि	Increase in Reservation Quota for Patna Junction and Patna City Stations ...	—60
934. हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस और अपर इंडिया एक्सप्रेस गाड़ियों में तीसरे दर्जे के शयन यानों और भोजन यानों की व्यवस्था करना	Introduction of Third Class Sleepers and Dining Cars in Howrah—Delhi Express, Upper India Express ...	—61
935. पटना सिटी रेलवे स्टेशन के पश्चिम में नाला संख्या 102 पर बिजली का प्रबन्ध	Arrangements for Light on Culvert No. 102. West of Patna City Station ...	—61
936. जूट के निर्यात शुल्क में वृद्धि	Increase in Export Duty of Jute ...	—61

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
937.	लोह अयस्क के मूल्य में वृद्धि के बारे में जापान से बातचीत	Negotiations for Price Increase at Iron Ore with Japan ...	—62
938.	जोगिन्दर नगर विद्युत संयंत्र को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों के बीच विवाद	Controversy between Punjab and Himachal Pradesh Governments over Jogendar Nagar Power Plant ...	—62
939.	मैसूर में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Mysore	—63
940.	दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of Damodar Valley Corporation	—63
941.	मैसूर राज्य में नदी जल परियोजनायें	River Water Projects in Mysore State ...	—64
942.	सिले सिलाए हथकरघा कपड़ों का निर्यात	Export of Handloom Readymade Clothes	—64
943.	विदेशी तथा देशीय चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign and Domestic Plantations ...	—65
944.	इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिहायशी उद्देश्यों के लिए आफिसर बेरिजों का दुरुपयोग	Officers Carriage misused for Residential purposes by Senior Officers, Allahabad Division (Northern Railway) ...	—65
945.	कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पार्सल कार्य के लिए श्रमिकों की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate supply of Labour for Parcel work at Kanpur Central ...	—65
946.	रेलवे बोर्ड के सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध प्रतिवेदन	Reports against Vigilance Inspector of Railway Board ...	—66
947.	इलाहाबाद डिवीजन में माल डिब्बों पर परिचालन सम्बन्धी प्रतिबन्ध और उनकी बुकिंग सम्बन्धी प्राथमिकता का उल्लंघन	Operational Registrations on and Infringement of Priority in Wagon Booking (Allahabad Division)	—67
948.	ईरान को बिजली के पंखे के निर्यात में कमी	Decline in Export of Electric Fans to Iran ...	—67
949.	निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुधार करना	Overhauling of Licensing Procedures for encouraging Exports...	—68
950.	रेलवे के विभिन्न विभागों में तदर्थ भर्ती के लिए नीति	Policy for ad-hoc Recruitments of Railways ...	—70

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
951.	निर्माण परियोजनाओं में तदर्थ आधार पर भर्ती किए गए अधिकारियों का खपाया जाना	Absorption of Officers Recruited on Ad-hoc basis in Construction Projects	—70
952.	आयातित रुई का व्यापार	Handling of Imported Cotton	—71
953.	उकाई बांध परियोजना	Ukai Dam Project	—71
954.	गुजरात में ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण	Rural Engineering Survey in Gujarat ...	—71
955.	एर्नाकुलच क्विलोन त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोन पुनालूर सेक्शनों पर पैसेंजर गाड़ियों में भारी भीड़ होना	Overcrowding in Passenger Trains on Ernakulam-Quilon Trivandrum and Quilon Punalur Sections ...	—72
956.	पश्चिमी तट की नदियों की सिंचाई क्षमता का उपयोग करने हेतु योजना	Scheme for Harnessing Irrigation Potential of West Coast Rivers ...	—72
957.	काफी व्यापार में एकाधिकार	Monopoly in Coffee Trade	—73
958.	काफी का बड़े मात्रा में जमा होना	Accumulation of Coffee	—73
959.	रेल दुर्घटनाएं	Train Collisions	— 4
960.	भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति सम्बन्धी नीति	Policy regarding recruitments and promotion of Staff and Officers on Indian Railways ...	—74
961.	कर्मचारियों तथा अधिकारियों का उसी वेतनमान में पदोन्नति अवरोध	Stagnation of Staff and Officers in same Grade ...	—75
962.	अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के अन्तर्गत निर्धारित निर्यात कोटा	Export Quote Fixed under International Tea Agreement	—75
963.	मुरठा तथा कोहारिया (पूर्वोत्तर रेलवे) पर रेलवे हॉल्ट	Railway halts at Muraitha and Korahia (North Eastern Railway) ...	—76
964.	मोदी नगर (उत्तर रेलवे) में अलग बुकिंग खिड़कियों का खोला जाना	Opening of Separate Booking Windows at Modinagar (Northern) Railway	—76
965.	व्यापार तथा टैरिफ सम्बन्धी सामान्य समझौते के अन्तर्गत आने वाले देशों से करार	Agreement with G.A.T.T. Countries	—77
966.	मिर्जापुर में पार्सल सम्बन्धी कार्य का ठेका समाप्त किया जाना	Termination of Parcel Handling contract at Mirzapur ...	—77
968.	जनित एककों का आयात	Import of Generating Units	—78
969.	स्वर्ण रेखा नदी पर बांध का निर्माण	Construction of Dam on Subarnarekha River	—78

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
970.	गैर परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के लिए सरकारी क्षेत्र के विस्तार की योजना	Plan for Expanding Public Sector for Export of Non-Traditional Goods ...	—78
971.	सिगनल वर्कशाप, गोरखपुर का विकास	Development of Signal Workshop Gorakhpur ...	—79
972.	बाराबंकी और बरौनी (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलना	Conversion of Metre Gauge into Broad Gauge Line between Barabanki and Barauni (North Eastern Railway) ...	—79
973.	उत्तर प्रदेश में तापीय बिजली घर की स्थापना	Setting up of Thermal Power Station in Uttar Pradesh ...	—80
974.	चल निरीक्षकों और वाणिज्यिक क्लर्कों (पश्चिमी रेलवे) की संख्या में वृद्धि	Increase in strength of Travelling Inspectors and Commercial Clerks (Western Railway) ...	—80
975.	रेलवे के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में प्रतिक्रिया	Procedure Regarding Transfer of Class III and Class IV Employees of Railways ...	—80
976.	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक	Meeting of Departmental Promotion Committee ...	—80
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		Papers Laid on the Table	—81
राज्य सभा से संदेश		Messages from Rajya Sabha	—81
सशस्त्र बल (आसाम तथा मणिपुर)		Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers ...	—84
विशेष शक्तियाँ (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में		(Amendment) Bill As passed by Rajya Sabha	—84
सामान्य बजट, 1972-73 (सामान्य चर्चा)		General Budget, 1972-73-General Discussion	—85
श्री समर मुखर्जी		Shri Samar Mukherjee	—85
श्री चिंतामणि पाणिग्रही		Shri Chintamani Panigrahi	—86
श्री के० मनोहरन		Shri K. Manoharan ...	—89-92
श्री एन०के०पी० साल्वे		Shri N.K.P. Salve ...	—92
श्री इन्द्रजीत गुप्त		Shri Indrajit Gupta ...	—94
श्रीमती सुभद्रा जोशी		Smt. Subhadra Joshi ...	—98

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi	—98
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Aggarwal	—99
श्री विश्व नारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	—101
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Negeeshwar Dwivedi	—102
श्री स्वामी ब्रह्मा नन्द जी	Shri Swami Brahmanandji	—103
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar ...	—104
श्री गंगाचरण दीक्षित	Shri G. C. Dixit	—106
श्री शिव पूजन शास्त्री	Shri Sheopujan Shastri	—107
श्री अण्णा साहिब गोटेखिडे	Shri Annasaheb Gotkhinde	—107

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 21 मार्च, 1972/1, चैत्र 1894 (शक)

Tuesday, March 21, 1972/Chaitra 1, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr. Speaker in the Chair

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

Member Sworn

श्री मोहम्मद खुदा बख्श—मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले काफी अरसे तक इस सदन के सदस्य रह चुके हैं।
सदन में पुनः आने पर मैं उनका स्वागत करता हूँ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

Oral Answers to Questions

Complaints Regarding General Elections in States

+

*101. Shri Varkey George:
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) the total number of complaints received by the Election Commission and the chief Election Officers of the States regarding the recent General Elections to the Delhi Metropolitan Council and Legislative Assemblies and the bye-elections in Uttar Pradesh; and

(b) the nature of the complaints and the action taken thereon ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नों की बारी है पहला प्रश्न श्री वाजपेयी का है और वह भाज अनुपस्थित हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सब है कि इस प्रश्न को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री वरके जार्ज : यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न को उस दिन लिया जाए जिस दिन श्री वाजपेयी उपस्थित हों अतः इसे किसी अन्य दिन के लिए स्थगित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण प्रश्न को स्थगित कैसे किया जा सकता है ? नहीं, यह संभव नहीं।

Shri Jagannathrao Joshi : The information is not available with the hon. Minister we also want that it should be postponed to a future date.

अध्यक्ष महोदय : जब आप मुझे मेरे कमरे में मिले थे तो मैंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी फिर न जाने क्यों परवर्ती प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था कि आप इस संबंध में अलग से प्रश्न की सूचना दे सकते हैं और मैं इसकी अनुमति दे दूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : If some member makes a request in writing.....

Mr. Speaker : Do you know anything about it or is it that you have only to standup.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : आपने मुझे कहा था कि मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार है जबकि वास्तविकता यह है कि मंत्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं और मंत्री महोदय से ऐसी स्थिति में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं अतः इस प्रश्न को क्यों न किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का उत्तर कोई नया नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्नों के लिखित उत्तरों में तो कई बार ऐसा होता है किन्तु जहां तक मौखिक उत्तरों का सम्बन्ध है ऐसी बात पहली बार सुनने को मिली है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : 15 मार्च को चुनाव पूरे हो गए थे और हमने चुनाव आयोग को सूचना भेजने को कह दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप कब तक उत्तर देने की स्थिति में होंगे ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से जानकारी भेजने को कहा है और उन्होंने आगे जिला चुनाव अधिकारियों से आवश्यक विवरण भेजने का अनुरोध किया है जैसे ही चुनाव आयोग से सूचना उपलब्ध होगी मैं उसे सदन के समक्ष रख दूंगा। मेरे विचार में एक पखवाड़े के भीतर मैं इसका उत्तर दे सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे प्रश्न की सूचना दे दीजिये मैं उसे स्वीकार कर लूंगा ।

श्री वरके जार्ज : क्या इस प्रश्न को दुबारा पूछने का मौका दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप अब प्रश्न पूछना चाहते हैं जब कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं ।

श्री वरके जार्ज : नहीं मैं किसी और दिन पूछ लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ आपको दुबारा मौका दिया जाएगा ।

श्री वरके जार्ज : क्या इस प्रश्न को स्थगित कर दिया गया है अथवा इस प्रश्न को दोबारा पूछना होगा ?

श्री जगन्नाथ राव जोशी : बेहतर यही होगा कि इसे एक पखवाड़े के लिये स्थगित कर दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : हम नई प्रक्रियाएं एवं परम्पराएं नहीं डालना चाहते । मैं आपको यही कह सकता हूँ कि इसके लिए आप नए प्रश्न की सूचना दीजिए यह स्थगित करने के बराबर होगा और तब तक मंत्री महोदय भी उत्तर देने की स्थिति में होंगे और यदि मंत्री महोदय ने फिर यही उत्तर दिया तब हम इस पर पुनः विचार करेंगे ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह कहना बड़ा कठिन है कि बैलट में इसे पुनः वही प्राथमिकता मिलेगी जो आज मिली है । हो सकता है इसे प्राथमिकता न दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को प्राथमिकता दूंगा आप इस सम्बन्ध में निश्चित रहें ।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मंत्री महोदय को यह निदेश दे दें कि अगले सामान्य चुनाव से पहले वह यह सूचना एकत्र कर लें ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : यह सूचना एक पखवाड़े में ही उपलब्ध हो जाएगी, आपको अगले चुनाव तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न दो सप्ताह बाद सूची में आएगा । इस पर आठ नौ मिनट बेकार खराब हो गए हैं ।

Electrification of Howrah-Delhi Railway Line

+

***103. Shri Jagannathrao Joshi :**

Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to electrify Howrah-Delhi Railway Line and, if so the time by which it will be electrified;

(c) whether local trains carrying commuters to Delhi on this Section will also be covered under this scheme: and

(e) if not, the reasons therefor ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । हावड़ा-टूण्डला खण्ड का जो हावड़ा-दिल्ली रेल मार्ग का एक भाग है, पहले ही विद्युतीकरण हो चुका है । 1975-76 तक टूण्डला-दिल्ली खण्ड के विद्युतीकरण का काम पूरा हो जायेगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) योजना आयोग ने महानगरों की, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, परिवहन आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया है । रेलों द्वारा दिल्ली महानगर में व्यापक द्रुत परिवहन व्यवस्था के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहारिक अध्ययन का काम आरम्भ किया जा रहा है । इस अध्ययन का विवरण मिलने पर ही आगे कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Jagannath rao Joshi : I raised this question in the last session and the same reply was given by the hon. Minister that Howrah-Tundla section which forms part of Howrah-Delhi route has already been energised and work on Tundla-Delhi section is expected to be completed by 1975-76. It mains delay of another three years. As in the last session, so in the present it is said that action will be taken after the receipt of the report. I wish to know whether the delay is being caused due to non-availability of report or there is some other cause as well ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The work is in progress and it is expected to be completed by 1975-76.

Shri Jagannathrao Joshi : Keeping in veiw that will ease the traffic situation of Delhi Metropolis, will the hon. Minister be pleased to give an assurance that this work will be done expeditiously .

Shri Mahd. Shafi Qureshi : We are having Metropolis transit system for Delhi. This work is also in progress. Its feasibilty is being studied. This has nothing to do with the electrification of Howrah-Delhi section.

श्री नवलकिशोर सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हावड़ा और दिल्ली के बीच गाड़ियां जाने के दो रास्ते हैं एक ग्रैंड कोर्ड बरास्ता मुगल सराय है और दूसरा रास्ता मेन लाइन से है और यदि हां तो क्या उनका विचार हावड़ा और दिल्ली के बीच की मेन लाईनके विद्युतीकरण करने का है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : हावड़ा से बरास्ता 'ग्रैंड कोर्ड' मुगलसराय तक के रास्ते और फिर टुंडला और दिल्ली तक विद्युतीकरण किया गया है ।

श्री नवल किशोर सिंह : मैंने मेन लाईन के बारे से जो बरास्ता कियूल और पटना जाती है, के बारे में पूछा था ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे वर्कशाप कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी

***104. श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 15 दिन की सवेतन छुट्टी के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त छुट्टी देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ तो उसकी रूपरेखा है क्या तथा इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : (क) जी हाँ।

(ख) विवाचन मण्डल ने, जिनके पास यह मामला भेजा गया था कि रेलवे के वर्कशाप कर्मचारियों को एक वर्ष में 12 दिन का नैमित्तिक अवकाश मंजूर किया जाये यह निर्णय दिया था कि कर्मचारियों की यह मांग मंजूर कर ली जाए। सरकार ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है।

श्री मुहम्मद शरीफ : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पंचाट को क्रियान्वित कर दिया गया है और यदि नहीं तो इसे कब तक क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमने इसे स्वीकार कर लिया है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

निजी व्यापारियों के माध्यम से रुई का आयात

106 श्री मुहम्मद इस्माइल : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मिलों को भारतीय रुई निगम की उपेक्षा करके निजी व्यापारिक स्रोतों के माध्यम से इंग्लिशियन और सूडानी रुई की 1½ लाख गाँठों का आयात करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज : (क) सरकार ने उपरोक्ता मिलों को अपनी पसंद के अनुसार या तो गैर-सरकारी व्यापारिक सूत्रों से या भारतीय रुई निगम के माध्यम से मिस्री तथा सूडानी रुई की 1.87 लाख गाँठों के आयात हेतु उप-लाईसेंस दिये हैं। भारतीय रुई निगम द्वारा इस प्रकार की रुई की 3.08 लाख गाँठों का आयात किया जा रहा है।

(ख) विदेशी रुई के आयात में गैर-सरकारी व्यापार का भाग धीरे-धीरे कम किया जा रहा है।

Shri Mohd. Ismail : The hon. Minister has stated in his reply that the C. C. I. imports 3.08 lakh bales of cotton. Then the Government has permitted the private concerns to import 1.87 lakh bales of Egyptian and Sudanese cotton. Is it a fact that the licence is given in addition to the facility given to them ? What was the need of giving this permission to the private traders in addition to quota of 3 lakh bales being imported by C. C. I. ? May I know whether this is in addition to the existing quota or not ?

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न में मुझे कुछ भ्रम नजर आता है। वस्तुतः हम 4.95 लाख गाँठों का आयात करते हैं, अर्थात् 3.2 लाख सूडान से नया 1.75 लाख मिश्र से। इसमें से 3.08 लाख का आयात सी० सी० आई० द्वारा किया जायेगा तथा 1.87 लाख गाँठों का आयात गैर-सरकारी व्यापारी करेंगे। इससे सी० सी० आई० के कोटा में से लेने का प्रश्न नहीं है। वह तो अलग कोटा है।

श्री मुहम्मद इस्माइल : गैर-सरकारी व्यापारियों को अधिक कोटा क्यों दिया जा रहा है ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : सी० सी० आई० ने सितम्बर, 1970 में रूई का आयात करना आरम्भ किया था। उस समय भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सी० सी० आई० रूई का सीधा आयात करते हुए भी कुछ समय तक गैर-सरकारी व्यापारियों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करेगा। वर्ष 1970-71 में सी० सी० आई० ने 2,26,100 गांठों का आयात किया तथा गैर-सरकारी व्यापारियों ने 7,72,650 गांठों का आयात किया। इस प्रकार यह अनुपात 70 : 30 का रहा— 70 प्रतिशत गैर-सरकारी व्यापारियों का तथा 30 प्रतिशत सी० सी० आई० का। इसमें निरन्तर कमी की जा रही है और इस वर्ष 70 प्रतिशत कोटा सी० सी० आई० का होगा तथा 30 प्रतिशत गैर-सरकार व्यापारियों का।

Shri Mohd. Ismail : Since when Bangla Desh has got Independence, She needs Cotton. Then, despite C.C.I.'s existence, the private traders and monopolists are being given permission to import. Is it to permit these exploiters to infiltrate into this new Country.

श्री ए० सी० जार्ज : यह आयात सी० सी० आई० के जरिये होता है और गैर-सरकारी व्यापारियों को केवल 34 लायसेंस दिया जाता है। आयात करने वाली एजेन्सी सी० सी० आई० ही है। यहाँ मैं यह भी बताऊँ कि सी० सी० आई० एक वर्ष में ही 70 प्रतिशत तक आयात करने लगा है और गैर-सरकारी व्यापारियों का भाग केवल 30 प्रतिशत ही रह गया। इस वर्ष हमें देशी रूई की भारी फसल प्राप्त हुई, और स्वभावतः ही मूल्य गिरने लगे और सी० सी० आई० को छोटे उत्पादकों की सहायता करने के लिए भारत में अपनी गतिविधियाँ तेज करनी पड़ी। इसी कारण हमें ऐच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। जैसा कि मैंने बताया, पहले इसका भाग 30 प्रतिशत था मगर अब 70 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 1971 की रूई सफल के समय उन्होंने केवल 10,000 टन देशीय रूई का क्रय किया और इस वर्ष वे 40,000 टन का क्रय कर सके हैं। स्थानीय कृषकों की दशा सुधारने के लिए उन्हें अपनी गतिविधियाँ तेज करनी ही पड़ीं।

Shri Mohammed Ismail : My questions has not been replied to. Private trader's quota is being increased at the time when Bangla Desh needs cotton. May I know whether it is a fact or not their instead of Canalising the imports through C.C.I. the private traders are being encouraged to come in the lead ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी परमिशन ले लिया करें। एक संबंधित प्रश्न के स्थान पर एक लम्बा उत्तर देना उचित नहीं होता। मंत्री महोदय माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दें।

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने तो सामान्य तौर से संक्षेप में पूछा था.....

अध्यक्ष महोदय : संक्षिप्त बात आधे मिनट में ?

श्री ए० सी० जार्ज : जो पहले 70 प्रतिशत था अब घटकर 30 प्रतिशत पर आ रहा है। अतः माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते कि गैर-सरकारी व्यापारियों का भाग बढ़ रहा है।

श्री के० एस० चावड़ा : इस वर्ष गुजरात में 22 लाख गांठ रूई का उत्पादन होगा। परन्तु अब वहाँ मूल्य चुनावों से पूर्व के मूल्यों से घटकर आधे रह गये हैं। रूई के उचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। इस बारे में मैं कल के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे चुका हूँ। यह प्रस्ताव कल पेश होगा।

श्री फतह सिंह राव गायकवाड : रूई के लिए क्या आयात मूल्य दिये जा रहे हैं और इस प्रकार की रूई से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में ये कितने न्यूनाधिक हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : मेरे विचार से माननीय सदस्य सूडानी और इजिप्शियन रूई के बारे में पूछ रहे हैं। ये मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से भली प्रकार तुलना करके तय किये गये हैं।

श्री एस० एन० मिश्र : सी० सी० आई० के माध्यम से रूई का सारा आयात कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने अपने पहले उत्तर में यह संकेत दिया है। हमारी नीति है कि धीरे-धीरे गैर-सरकार व्यापारियों द्वारा आयात व्यापार कम कर दिया जाये।

श्री फतह सिंह राव गायकवाड : मैंने मूल्यों के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था और मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति दी थी। परन्तु यदि आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं तो एक पृथक् प्रश्न की सूचना दीजिए।

Shri Hukam Chand Kachwai : At what price do these private traders and also the C. C. I. purchase cotton from other countries ? Also at what rates is it supplied here in India and what rates are prevalent here for the indigenous cotton ? Since he has said that the prices have come down, so by what per cent have they fallen and how cheap is the imported one ?

अध्यक्ष महोदय : इसी लिए तो मैंने कहा था कि आप सावधान रहिए।

श्री ए० सी० जार्ज : मूल्यों का निर्धारण भारतीय रूई निगम का कार्य है और गैर-सरकारी व्यापारियों का इस में कोई निर्णय लागू नहीं होता। ये मूल्य भारतीय रूई और निगम की सलाह से तय किये जाते हैं और उद्योग के लिये ये मूल्य क्रय-मूल्य में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि करके निर्धारित किये जाते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked about the prices. My point is that the growers here are being given very low prices and far more for the imported cotton. I want to know the difference in the prices (interruption). Mr. Speaker, please get me the reply. He has stated that the prices have come down and the cotton has become cheaper. So, I want to know by what per cent have the prices come down. People want to know how far the cotton has become cheaper ? The prices of the cloth are increasing but he says that the cotton has become cheaper.

Mr. Speaker : It is fruitless to speak loudly. This question related to imports. If you want more details you may ask another question.

Shri Hukam Chand Kachwai : With all courtesy I want to know by what per cent have the prices of cotton fallen ? The prices of cloth are increasing.

Mr. Speaker : A calling attention for tomorrow has been admitted regarding indigenous cotton. Such questions can be asked at that time.

After making so much noise, Shri Hukam Chand Kachwai says that he is asking with all courtesy. If courtesy means so much noise, what else for the normal way ?

दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालयों का भुवनेश्वर में और पूर्व रेलवे के मुख्यालय को पटना, दानापुर में स्थानान्तरित करना

***108. श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित पूर्व रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालयों को वहां पर बार-बार होने वाले बन्धों और श्रमिक अशांति के कारण भारी हानि हुई है; और

(ख) क्या रेलवे प्रशासन दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालय को भुवनेश्वर में और पूर्व रेलवे के मुख्यालय को पटना अथवा दानापुर में स्थानान्तरित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, लेकिन यह हानि इन रेलों के मुख्यालय कलकत्ता तक ही सीमित नहीं है बल्कि समूची पूर्व और दक्षिणपूर्व रेलों पर होती है।

(ख) जी नहीं।

Shri Ramaavtar Shastri : The problem is that of the developed and undeveloped states. But it is pity that the hon. Minister has not given proper reply out of fear. I want to know whether this news-item published in the news papers is true that the hon. Minister had mentioned about shifting the Headquarters of South-eastern Railways from Calcutta to Bhubaneshwar which was opposed by shri Sidhartha Shanker Ray ? If so what was the plea.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There has been no question of shifting the South-eastern Railways Headquarters to Orissa. However, a letter was received from the Orissa Chief Minister in reply to which the Railway Minister had ruled it out because both of the south-eastern and Eastern Railways were having their Headquarters at Calcutta and were functioning very well. At present, no proposal is under consideration to shift the Headquarters.

Shri Ramaavtar Shastri : This House is aware that Bihar and Orissa are both backward States although Bihar is having plenty of forest and mineral wealth. So, in view of the backwardness of these States, does he not find any logic in the demand of the people there that any of these headquarters, if not both, be located in one of these States ? What does he feel about this demand of the people ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Keeping in view the demand we have made a survey. It costs us Rs. 30 crores in shifting one Headquarter. The Railways cannot stand this much expenditure. That is why it has been decided not to shift any one of them.

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या रेलवे के एक से अधिक मुख्यालयों को एक ही जगह केन्द्रित करना कहां तक न्याय संगत है ? यदि यह उचित है तो क्या कारण है कि जहाँ कलकत्ता में तीन रेलवे मुख्यालय हैं वहाँ उड़ीसा और बिहार में एक भी नहीं है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे मुख्यालयों की स्थापना मूलतः कार्य संचालन और प्रशासन के मुख्यालयों के आधार पर की जाती है न कि राज्यों की सीमाओं को महत्व देकर। दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी रेलवे के मुख्यालय अपने वर्तमान स्थान पर भली प्रकार कार्य कर रहे हैं अतः उनके स्थानान्तरण करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त प्रस्ताव वहाँ बंधी आय के कारण सामने आया था। मन्त्री महोदय ने अभी आश्वासन दिया है कि उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जायेगा। क्या वह विश्वास दिलाएंगे कि वह उड़ीसा की प्रतिक्रियावादी सरकार के दबाव के सामने भी नहीं झुकेंगे? बल्कि इन मुख्यालयों को अधिक प्रभावी ढंग से सुदृढ़ करने के लिए और अच्छे प्रबन्ध किये जाएंगे?

श्री पीलू मोदी : मुझे आशा है कि वह पश्चिम बंगाल की मक्कार सरकार के दबाव में नहीं आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलू मोदी, यह उचित तरीका नहीं है।

श्री पीलू मोदी : आप उन्हें क्यों नहीं रोकते? उन्होंने 'प्रतिक्रियावादी' कहा आप मुझे नहीं उन्हें रोकिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहाँ अन्य सदस्यों से निर्देश लेने के लिए नहीं हूँ।

श्री पीलू मोदी : उसने 'प्रतिक्रियावादी' सरकार कहा है और वह बंगाल में एक मक्कार सरकार चला रहे हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसा कि मैंने कहा है संचालन और प्रशासनिक सुविधा को महत्व दिया जाता है। हम किसी के भी राजनैतिक दबाव में नहीं आएंगे।

Liquor Drinking in Trains

***109. Shri M. C. Daga :** Will be Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some passengers drink liquor in trains and cause inconvenience to fellow-passengers; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1969-70 में राजधानी एक्सप्रेस के सम्बन्ध में तीन शिकायतें और 1970-71 में लुधियाना-हिसार सवारी गाड़ी नं० 6 के बारे में शिकायत मिली थी।

(ख) इस सम्बन्ध में राजधानी एक्सप्रेस में एक नोटिस लगा दिया गया है और गाड़ी में लाउडस्पीकर द्वारा भी यह घोषित किया जाता है :—

“सह-यात्रियों का ध्यान रखते हुए डिब्बों में मादक पेय का उपयोग न करें रेलों से कहा गया है कि इसी प्रकार के नोटिस सभी गाड़ियों में लगा दिये जायें।

Shri M. C. Daga : When the drinking goes on in the running trains, the atmosphere becomes sluggish. Is there any restriction in the legislation? Can it be stopped or not?

Shri Mohd. Shafi Kureshi : Yes as per the Railway law, if one drinks and misbehaves as a result thereof, he can be turned out.

Shri M. C. Daga : So one can drink. But who would check and decide whether he is intoxicated ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : His misbehaviour and senselessness it self can make him liable to be shunted out from the train.

श्री जी० विश्वनाथन : क्या सरकार अन्य यात्रियों का ध्यान रखते हुए शराब-खारे यात्रियों के लिए अलग डिब्बों की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी, कुरेशी : जी नहीं ।

श्री के० एस० चावड़ा : जब कांग्रेस एक थी तब उसने अपने गोआ अधिवेशन में सम्पूर्ण नशाबन्दी संकल्प पास किया था । क्या सरकार या रेल मंत्री गृह मंत्रालय या सम्बन्धित मंत्रालय को सारे देश में नशाबन्दी करने की सिफारिश करेंगे ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेल मंत्रालय केवल रेलगाड़ियों का ध्यान रखता है सारे देश का नहीं ।

Shri Jagannathrao Joshi : Prohibition can be observed in trains also as smoking is prohibited in theaters houses etc. The hon. Minister says that there is no ban on drinking although mis-behaviour even without drinking is punishable under the law. But why not a ban be imposed on drinking in trains ? Are the Government prepared to do something in this regard ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Legally drinking is not prohibited in the trains, but loosing sense after drinking is prohibited.

Decline in Export of Jute to America

***111. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the export of Jute to America has declined to a great extent during the last three years; and

(b) if so the reasons therefor and the steps being taken in this regard ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) एक विवरण मभा-पटल पर रखा गया है ।

विवरण

संयुक्त राज्य अमरीका को पटसन के माल के निर्यातों में वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में तो गिरावट आई थी, परन्तु 1971-72 में यह प्रवृत्ति बिल्कुल उलट गई है ।

विवगत दो वर्षों में निर्यातों गिरावट में के कारण ये थे : (1) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान तथा संश्लिष्ट वस्तुओं से कठोर प्रतियोगिता, (2) संयुक्त राष्ट्र अमरीका में आर्थिक मंदी, तथा (3) भारत में भी कर्मचारियों तथा पटसन उद्योग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल । पटसन माल के निर्यातों को बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं जिनमें उत्पादन का विविधीकरण शामिल है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether it is fact that the people in India have started to manufacture synthetic jute as a result of which there is a great decline in its trade? If so, whether any legislation has been drafted by the Government to prevent the export of this type of synthetic jute ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : पिछले वर्ष केवल संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में ही निर्यात में गिरावट आयी थी। यह प्रवृत्ति वर्ष 1971-72 के दौरान बिल्कुल बदल गयी। इस देश में कोई भी सन्थेटिक्स से पटसन नहीं सन्थेटिक्स से हमारी प्रतियोगिता केवल उपभोक्ता मंडियों में ही होती है और मेरे विचार में ऐसा कोई सन्थेटिक्स नहीं है जो इस देश में पटसन का विकल्प हो।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked about the manufacture of synthetic jute and its export.....

Mr. Speaker : He has replied to it. You may ask some other question.

Shri Hukam Chand Kachwai : Has the Government adopted a policy with a view to encourage people by way of special advertisements, by giving any relief or incentive so that maximum quantity of jute could be exported to America ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमने पिछले वर्ष 189 करोड़ रुपये के पटसन का निर्यात किया है। इस वर्ष अमरीका के मामले में भी हम 302 करोड़ रुपये का निर्यात करने की आशा रखते हैं। वर्ष 1970-71 के दौरान कुछ गिरावट आयी थी लेकिन इस पर भी वर्ष 1971-72 के 9 महीने अर्थात् अप्रैल से दिसम्बर तक के ये आँकड़े पहले की अपेक्षा सबसे अधिक बढ़कर 2,60,000 टन हो गये। अतः इसमें और भी वृद्धि होने की प्रवृत्ति है। और प्रोत्साहन देने की विशेष आवश्यकता नहीं।

श्री राम सहाय पांडे : क्या मंत्री महोदय के पास पटसन के बारे में ऐसी कोई जानकारी है कि क्या अमरीका ने सिन्थेटिक जूट जैसे किसी वस्तु का आविष्कार किया है जो अमरीका द्वारा हम से आयात की जाने वाली पटसन का स्थान ले रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : सिन्थेटिक्स की हमारे द्वारा निर्यातित पटसन से प्रतियोगिता चल रही है लेकिन हाल ही में देखा गया है कि जूट सन्थेटिक्स कभी भी पटसन का स्थान न ले सकेगी और संयुक्त राज्य अमरीका को हमारी पटसन का निर्यात अब भी बढ़ता जा रहा है।

श्री बी० के० दास चौधरी : विवरण में अमरीका के साथ पटसन का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होने के तीन कारण बताये गये हैं :-

(1) बंगला देश तथा संश्लिष्ट वस्तुओं से कठोर प्रतियोगिता, (2) संयुक्त राज्य अमरीका में आर्थिक मंदी तथा (3) भारत में मालियों तथा पटसन उद्योग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल। मेरे विचार में इन में से दो पर सरकार नियंत्रण कर सकती है। क्या सरकार बंगला देश के साथ किसी प्रकार की 'मूल' व्यवस्था करने पर विचार करेगी ताकि हमारे निर्यात में कोई बाधा न पड़े।

श्री ए० सी० जार्ज : यह नीति का मामला है जो एक विदेशी सरकार से भी सम्बन्धित है। हमें बंगला देश सरकार के साथ आर्थिक मामलों में सहयोग करने में प्रसन्नता होगी।

श्री बी० के० दास चौधरी : इन्हें इसके बारे में सोचने दीजिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अपने वक्तव्य में इन्होंने कहा है कि “पटसन के निर्यातों को बढ़ाने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं जिनमें उत्पादन का विविधीकरण शामिल है” । क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री ए० सी० जार्ज : अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में कुछ ऐसी संश्लिष्ट वस्तुएं होती हैं जिनकी हमारी पटसन वस्तुओं के निर्यात से प्रतियोगिता होती है । हम ऐसे स्थानों की खोज करने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां संश्लिष्ट वस्तुएं हमारे माल से अच्छी होती हैं और हम उत्पादन का विविधीकरण तथा आधुनिक तकनीक अपना रहे हैं ताकि संश्लिष्ट वस्तुएं हमारे माल से अच्छी न सिद्ध हों ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार पटसन को तैयार करने और उसकी श्वेतक्रिया के बारे में अधिक कपड़ा प्रयोगशाला द्वारा दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस सम्बन्ध में कार्यवाही के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि सरकार से प्राप्त धन की सहायता से पटसन करखानों के आधुनिकीकरण के बाद भी पश्चिम बंगाल में पटसन के उत्पादों के विविधीकरण के लिए इन्डियन जूट मिल एसोसिएशन ने पर्याप्त अनुसन्धान नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने विविधीकरण लाने सम्बन्धी अनुसन्धान करने हेतु कोई सक्रिय कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या कदम उठाये हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : चूंकि पटसन हमारे निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु है और वास्तव में इसका अंशदान सर्वाधिक मात्रा में है, इसलिए हम माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने में बहुत प्रसन्न होंगे इन्डियन जूट मिल एसोसिएशन कुछ अनुसन्धान कर रही है । हम इससे संतुष्ट नहीं हैं । सरकार इन्हें अधिक राशि देने पर विचार कर रही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितनी दुखी सरकार है ।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या अधिक निर्यात व्यय भी 1969, 1970 तथा 1971 के दौरान पटसन निर्यात की गिरावट का एक कारण था ? अप्रैल, 1971 के बाद, बंगला देश संकट के कारण निर्यात में वृद्धि हुई और उसके बाद हम पटसन कम भाव पर मिली । क्या सरकार उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्ची पटसन सप्लाई सुनिश्चित करेगी ताकि हम कुछ सस्ती दर पर निर्यात कर सकें ?

श्री ए० सी० जार्ज : राज्य व्यापार निगम कच्ची पटसन के भाव स्थिर करने के लिए सब प्रकार की कार्यवाही कर रही है ।

श्री भोगेन्द्र झा : गिरावट का क्या कारण था ?

श्री ए० सी० जार्ज : इसमें गिरावट नहीं आयी, आंकड़ों में वृद्धि हो रही है ।

श्री पीलू मोदी : सरकार की कार्यवाही के कारण नहीं बल्कि बंगला देश से निर्यात बन्द होने के कारण इसमें वृद्धि हो रही है ।

श्री भोगेन्द्र झा : हम इसमें गिरावट आने के कारण जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने उत्तर दे दिया है ।

केरल में नारियल जटा उद्योग में लगे कर्मचारियों की हड़ताल

*114. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल राज्य में नारियल जटा उद्योग में लगे एक लाख कर्मचारियों द्वारा 8 फरवरी, 1972 को की गई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या सरकार को केरल राज्य सभा की ओर से नारियल जटा उद्योग के श्रमिकों के उत्थान के बारे में एक नई योजना प्राप्त हुई है और यदि हां तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : केरल सरकार ने नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए एक व्यापक योजना भेजी थी । योजना आयोग ने योजना का अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध वित्त को ध्यान में रखते हुये यह योजना अधिक खर्च वाली नहीं है । किन्तु उसके उपरान्त केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को बताया कि उन्हें वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित वित्त उपलब्ध नहीं है अतः सुलभ ऋण तथा अन्य सुधारक उपायों द्वारा सहायता जुटाने की सिफारिश की गई ।

भारत-पाकिस्तान युद्ध में क्षतिग्रस्त रेलवे लाइनों और सम्पत्ति की मरम्मत

*117. श्री रामसहाय पांडे :

श्री चितामणि पाणिग्रही :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों और रेलवे लाइनों को भारी क्षति पहुँची है;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति पहुँची है; और

(ग) क्षतिग्रस्त रेलवे लाइनों और सम्पत्ति की मरम्मत करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ ।

(ख) लगभग 7.59 लाख रुपये ।

(ग) क्षतिग्रस्त रेल-पथ, बिजली संस्थापनाओं और सिगनल एवं दूर-संचार गियर की तुरन्त मरम्मत कर दी गयी । इमारतों और पुलों की मरम्मत की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री राम सहाय पांडे : धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ को धन्यवाद अथवा मंत्री महोदय को ?

श्री राम सहाय पांडे : दोनों को ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चिंतामणि पाणिग्रही अनुपस्थित । अनुपूरक प्रश्न न पूछने के लिये धन्यवाद ।

इंग्लैंड के व्यापार दल का भारत का दौरा

*119. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड के एक उच्चाधिकार प्राप्त व्यापार दल ने फरवरी, 1972 के अंतिम सप्ताह में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके साथ कोई समझौता हुआ है और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : फरवरी, 1972 के अंतिम सप्ताह के दौरान ब्रिटेन से किसी भी व्यापार दल ने भारत का दौरा नहीं किया । तथापि, ब्रिटेन के कुछ उद्योगपतियों और ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के एक दल ने मार्च, 1972 के दौरान भारत का दौरा किया था । इस दौरे का उद्देश्य भारत सरकार के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर करना नहीं था । इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [ग्रंथालय में रखी गई, देखिये सं० एल० टी० 1499/72]

श्री हरि किशोर सिंह : क्या मंत्री महोदय यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने के बाद, यह बता सकते हैं कि क्या ब्रिटेन को रूई की वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में कोई अन्तिम समझौता करने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यदि माननीय सदस्य सूती कपड़ों के निर्यात का उल्लेख कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ समझौता हुआ है । अन्य वस्तुओं के मामले में हम ब्रिटेन से सम्पर्क बनाये हुये हैं ।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि रूई के बारे में क्या रियायत प्राप्त की गई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : रूई के बारे में यह निर्णय किया गया है कि ब्रिटेन को 2200 लाख वर्गगज सूती कपड़ा भेजा जा सकता है ।

श्री जी० विश्वनाथन : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि ब्रिटेन हमारा सबसे प्रमुख ग्राहक है ब्रिटेन द्वारा योगेपीय आर्थिक समुदाय (ई०ई०सी०) में प्रवेश के पश्चात् सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है ? मैं विशेषकर यह जानना चाहता हूँ कि अपने निर्यात को बनाये रखने के लिए क्या हम ई० ई० सी० में सह-सदस्यता के बारे में बातचीत कर रहे हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : अभी तक ऐसा कोई सुझाव नहीं है ।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस महीने ब्रिटेन के एक औद्योगिक दल ने भारत का दौरा किया है । क्या भारत सरकार ने उन उद्योगपतियों के साथ उनकी पुरानी मशीनें खरीदने तथा उन्हें इस लिये भारत में लाने के लिये कि विदेश व्यापार मंत्रालय के माध्यम से उनके उत्पादों को पुनः उन्हें बेचा जा सके, कोई करार किया है और यदि हाँ, तो पुरानी मशीनें क्यों खरीदी गई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : पुरानी मशीनें खरीदने के बारे में कोई करार हमने नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बड़ा सरल है कि क्या ब्रिटेन का व्यापारी दल भारत आया था तथा क्या कोई करार किया गया ।

डा० रानेन सेन : प्रश्न यह है कि वह कारखाने भारत में लाये जा रहे हैं जिससे उनके उत्पाद विदेशों में बेचे जा सकें ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न सामान्य है और यह प्रश्न विशिष्ट । खैर मंत्री महोदय ने नकारात्मक उत्तर दे दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच नहीं है कि ब्रिटेन के दल ने भारत में कुछ श्रम प्रधान उद्योगों को स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है क्योंकि वे भारत की सस्ती मजदूरी का लाभ उठाना चाहते हैं, यदि हाँ, तो वे किन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वस्तुओं के नाम क्या हैं ? उन्हें स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि ब्रिटेन के उद्योगपति भारत के सस्ते श्रम के द्वारा भारत में किन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं जिस उद्देश्य से वे भारत में अपने पुराने संयंत्र लाना चाहते हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : यदि माननीय सदस्य ब्यौरे वार मर्चें के बारे में जानना चाहते हैं तो ब्यौरा बाद में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

श्री वसन्त राव पुरुषोत्तम साठे : ब्रिटेन ने भारत से सूती कपड़े की जिन मर्चों को खरीदने का समझौता किया है उनमें से सबसे प्रमुख मद कौन सी है ? वे किस प्रकार के कपड़े का आयात करना चाहते हैं—सुपर फाइन अथवा बीच के स्तर का या मोटा कपड़ा ?

श्री ए० सी० जार्ज : मुख्यतया मोटा तथा भूरे किस्म का ।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या भारत ने ब्रिटेन से यह प्रस्ताव किया था कि उन कारखानों के सहित

जिनके कलपुर्जे भारत में निर्मित हो सकते हैं, उन सभी उद्योगों को भारत में लाया जाये यद्यपि इससे हमारे राष्ट्रीय उद्योग में बाधा उत्पन्न होगी। संयुक्त विज्ञप्ति के पृष्ठ तीन पर कहा गया है कि ब्रिटेन दल ने, किसी कम्पनी की कार्यविधियों के विस्तार करने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित कठोर निर्यात अपेक्षाओं की ओर ध्यान दिलाया। ब्रिटेन के पक्ष ने अनुरोध किया कि इन अपेक्षाओं से कम्पनियाँ विस्तार करने में हतोत्साहित होंगी और फलतः निर्यात की बढ़ोतरी करेंगी। भारतीय पक्ष इन बातों पर आगे विचार करने के लिये राजी हो गया। वे कठोर उपाय क्या हैं जिन पर भारत सरकार ब्रिटिश कम्पनियों के लिए विचार करना चाहती है? वह किन उपायों पर विचार कर रहे हैं?

श्री ए० सी० जार्ज : एक पहले प्रश्न के उत्तर में भी मैं कह चुका हूँ कि निर्यात प्रधान उद्योगों के बारे में हमने प्रारम्भिक चर्चा की थी। मैं इस समय विस्तृत जानकारी देने में असमर्थ हूँ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूलो : महोदय ! प्रश्न संख्या 120 भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। क्या आप किसी अन्य सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मुझ से पूछने की बजाय नियमों को देखिये।

अन्य कार्यों के लिए भी मुझे कुछ समय दीजिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

Speeding up and Punctuality of Passenger Trains

*102. Dr. Laxminarain Pandey:

Shri R. R. Sharma :

Will the Minister of Railways be pleased to state the effect of the recent increase in speed and the punctuality drive launched for the various passenger trains on the transportation of goods and on the revenues earned therefrom?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : increase in speed and improvement in punctuality of Passenger trains as a result of drive launched in June 1971 has not affected the transportation of goods or the revenue earned therefrom?

Any Passenger train punctuality drive which seeks to improve the running of Passenger trains according to the time tables, would, if at all have a beneficial effect on the running of goods trains and therefore on the transportation of goods.

काफी का निर्यात बढ़ाना

*105. श्री एच० एम० पटेल : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में काफी का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) काफी के निर्यात से इस अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ग) काफी का निर्यात तथा उससे होने वाली विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : विगत तीन वर्षों के दौरान काफी का उत्पादन और उसके निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के आँकड़े नीचे दिये जाते हैं :

वर्ष	उत्पादन मात्रा म० टन में	निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु० में)
1968-69	73,035	17.96
1969-70	63,108	19.62
1970-71	109,834	25.11

(ग) काफी के निर्यात उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। निर्यातों में और आगे वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित निर्यात संवर्धन उपाय भी किये जा रहे हैं ?

- (1) विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापन;
- (2) महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रीय मेलों में भाग लेना;
- (3) निर्यात संवर्धन प्रतिनिधिमंडलों का भेजा जाना।

हाल ही में, सोवियत संघ को प्रारम्भ में 3000 मे० टन काफी की सीधी बिक्री के लिए काफी बोर्ड द्वारा सोवियत व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ एक करार किया गया है और बाद में भी और संविदायें होने की आशा है।

कालागढ़ में रामगंगा परियोजना की क्रियान्विति

*107. श्री रणबहादुर सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालागढ़ में 128 करोड़ रुपये की रामगंगा परियोजना को तेजी से क्रियान्वित करने में बाधा पड़ी है क्योंकि आयातित फालतू पुर्जों की कमी के कारण अमरीका की बनी अनेकों मशीनें निष्क्रिय हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) तथा (ख) : रामगंगा परियोजना के लिए फालतू पुर्जों के आर्डर जो संयुक्त राष्ट्र अन्तराष्ट्रीय विकास अभिकरण के लाइसेंसों पर निलंबित पड़े थे, इस सहायता के बन्द हो जाने से प्रभावित हुए थे। फालतू पुर्जों के आने में कुछ अड़चनें आई परन्तु इससे परियोजना के कार्य में बाधा नहीं पड़ी क्योंकि मुक्त संसाधनों से विदेशी मुद्रा समय के अन्दर ही उपलब्ध कर दी गई थी।

हरदुआगंज रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर रेलवे राजस्व में होने वाली हानि

110. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरदुआगंज रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर माल उतारने चढ़ाने के मामले में रेलवे राजस्व में बड़े पैमाने पर हो रही हानि के समाचार मिले हैं;

(ख) क्या इस मामले की छानबीन की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) रेलवे प्रशासन का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जुलाई 1970 में 'वी' पावरहाउस साइडिंग, हरदुआगंज में खड़े किए गए मालडिब्बों पर विलम्ब शुल्क लगाने में कथित जालसाजी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) और (ग) शिकायतों की जांच की गयी है। जांच के जो परिणाम निकले हैं और इस सम्बन्ध में जो कार्रवाई की गयी है, उसका विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

शिकायतों की जांच से पता चला है कि प्रत्यक्षतः इस बात का साक्ष्य मौजूद है कि जुलाई 1970 में 'वी' पावरहाउस, हरदुआगंज पर शुरू में विलम्ब शुल्क के रूप में लगायी जाने वाली जो राशि 34,242 रुपये 80 पैसे आंकी गयी थी, उसे बाद में दो साइडिंग क्लर्कों ने रिकार्डों में हेर-फेर करके 4,471 रुपये 70 पैसे कर दिया था। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है और दोषी क्लर्क को निलम्बित कर दिया गया है। जांच के अनुसार, जुलाई, 1970 में 'वी' पावरहाउस, हरदुआगंज पर लगायी जाने वाली विलम्ब शुल्क की सही राशि 33,870 रुपये 10 पैसे बैठती है। उत्तर रेल प्रशासन से कहा गया है कि वह देय रकम की वसूली के लिए पावरहाउस के प्राधिकारियों से लिखा-पट्टी करें।

पालामऊ जिले (बिहार) में नई रेलवे लाइन

***113. कुमारी कमला कुमारी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पालामऊ जिले में कोई नई रेलवे लाइन बिछाने और सवारी गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलमन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : जी नहीं। इस समय बिहार के फालतू जिले में किसी नये रेल सम्पर्क के निर्माण के प्रश्न पर विचार करना सम्भव नहीं है। नयी गाड़ी चलाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि अभी पिछले वर्ष ही नं० 42 गोमो-बरवाडीह गाड़ी का विस्तार गढ़वा रोड तक किया गया है।

मतदान तथा विधि व्यवस्था को बनाये रखने से सम्बन्धित अधिकारियों के स्थानान्तरण पर रोक

***115. श्री पी० गंगादेव :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने मतदान तथा विधि व्यवस्था को बनाये रखने से सम्बन्धित सभी अधिकारियों के स्थानान्तरण पर तब तक के लिए रोक लगाने की सिफारिश की थी जब तक राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन समाप्त न हो जाये;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग ने इस सम्बन्ध में राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को एक परिपत्र भेजा था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों ने हाल के निर्वाचनों में इस सिफारिश का पालन किया था ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) : सभी सम्बद्ध राज्य सरकारी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इस विषय में समुचित आदेश जारी कर दिये हैं ।

रेलगाड़ियों में दूसरे दर्जे का समाप्त किया जाना

*116. श्री प्रभुदास पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गाड़ियों में दूसरे दर्जे को समाप्त न करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां । यह निश्चित किया गया था कि जिन खण्डों पर दूसरे दर्जे के डिब्बे चल रहे हैं वहां से इन्हें हटाया न जाये । फिर भी यह विषय विचाराधीन है ।

(ख) दूसरे दर्जे के डिब्बे में ऐसे वर्ग के व्यक्ति यात्रा करते हैं जो पहले दर्जे का किराया नहीं दे सकते लेकिन जो तीसरे दर्जे की तुलना में कुछ यात्रा का बेहतर स्तर चाहते हैं ।

नाइलोन का धागा बनाने के लिए अमरीकी ऋण

*118. श्री एम० एम० जोजफ : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने एक भारत-अमरीकी संयुक्त उपक्रम को नाइलोन के धागे का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दो कम्पनियों अर्थात्, मैसर्स मोदीपोन लि० और मैसर्स श्री सिन्थेटिक्स लि० को, जिसमें

अमरीकी इक्विटी शेयर हैं. नायलन धागे का उत्पादन करने के लिए एककों की स्थापना हेतु संयुक्त राज्य अमरीका सरकार द्वारा ऋण दिये गये हैं।

मैसर्स मोदीपोन ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास हेतु अमरीकी अधिकरण (कोले फंड) ऋण के अन्तर्गत 182 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया है। ऋण की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :—

- (1) यह 16 अर्धवार्षिक सामान किस्तों में लौटाया जाना।
- (2) इस पर 8% का ब्याज लगता है जो हर छः महीने के बाद देय होता है।

मैसर्स श्री सिन्थेटिक्स इस 1100 मे० टन प्रतिवर्ष की लाइसेन्स प्राप्त क्षमता वाला नायलन संयंत्र स्थापित कर रहे हैं जिसमें मैसर्स केमेटेक्स यू० एस० ए० की 60 लाख रुपये की वित्तीय भागीदारी है। इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए उन्हें निम्नलिखित दो पूंजीगत माल लाइसेन्स दिये गये हैं जिनके मूल्य उनके साथ दिये हुए हैं :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय विकास हेतु अमरीकी अधिकरण ऋण सं० 386 (एच-200 के अन्तर्गत 59.25 लाख रुपये का लाइसेन्स सं० पी/सी/2061352 दिनांक 17. 12. 1969.

(2) 205.75 लाख रुपये का लाइसेन्स सं० पी/सी 2062064 दिनांक 16. 11. 1970.

(क) एक्सिम बैंक आफ यू. एस. ए. , 1,45,75,000/- रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा ऋण।

(ख) मैसर्स केमेटेक्स पाइबर, न्यूयार्क की कम्पनी के इक्विटी शेयरों के बराबर 60 लाख रुपये।

मैसर्स श्री सिन्थेटिक्स लि० ने भी अन्तर्राष्ट्रीय विकास हेतु अमरीकी अधिकरण प्राधिकारियों से 100 लाख रुपये का रुपया ऋण प्राप्त किया है। इस ऋण की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :

- (1) यह 19 अर्ध वार्षिक सामान किस्तों में लौटाया जाना।
- (2) पहली किस्त. पहली अदायगी के दिन से चार वर्ष के बाद देय है।
- (3) इस पर ब्याज की दर 8% है जो हर छः महीने के बाद देय होता है।

बाढ़ के कारणों की जांच करने सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

*120 श्री०टी०एस० लक्ष्मणन : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) बाढ़ के कारणों की जांच करने और भारी हानि को रोकने के उपाय सुझाने के लिये केन्द्रीय सरकार के सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है।

सिचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) तथा (ख) : बाढ़ों तथा बाढ़ सहायता सम्बन्धी मन्त्रियों की सभिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत होने की आशा है।

विधि और न्याय विभाग का बनाया जाना

840. कुमारी कमला कुमारी : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि और न्याय विभाग बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह उद्देश्य कहां तक पूरा हुआ है ?

(ख) इस विभाग के बनाए जाने से पूर्व यह कार्य किस प्रकार किया जाता था; और

(ग) इस विभाग के बनाये जाने से वार्षिक खर्च में कितनी वृद्धि हुई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : पहले न्यायिक प्रशासन से सम्बन्धित कुछ कृत्यों का निष्पादन गृह मन्त्रालय द्वारा किया जाता था। ऐसे मामलों में सरकारी कामकाज को अधिक सुविधापूर्वक करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि पृथक न्याय विभाग बनाया जाए। प्रशासन सुधार आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि इन कृत्यों को गृह मन्त्रालय से विधि मन्त्रालय को अंतरित कर दिया जाए और विधि मन्त्रालय को विधि और न्याय मन्त्रालय नाम दिया जाये।

(ग) नये विभाग के बनाये जाने से अब तक जितना अतिरिक्त व्यय आवश्यक हुआ है वह केवल 15,000/- रुपए प्रतिवर्ष है।

पानीपत/सोनीपत से दिल्ली तक दोहरी लाइन बिछाना

841. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मन्त्री पानीपत/सोनीपत से दोहरी लाइन बिछाने के बारे में 10 अगस्त, 1970 और 16 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7390 और 204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट इस बीच सरकार को दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शालीमार में वस्तुओं तथा पार्सलों के उतारने चढ़ाने के ठेके के लिए करार

842. श्री ईश्वर चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शालीमार में वस्तुएं तथा पार्सल उतारने-चढ़ाने के ठेके के पेरा 7 के अनुसार

टेण्डर के लिये दिए गये नोटिस में यह कहा गया था कि टेण्डर मंजूर होने पर संविद श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार ठेके की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है; और

(ख) क्या उस व्यक्ति से, जिसका टेण्डर मंजूर किया गया है, करार करने से पूर्व वास्तव में ठेके की शर्तों में कोई परिवर्तन किया गया था और यदि हाँ, तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तया) : (क) जी हाँ ।

(ख) करार में निम्नलिखित शर्तों की व्यवस्था है :—

श्रमिकों के लाभ के लिए ठेकेदार उन सभी कानूनों, विनियमों तथा नियमों का अनुपालन करेगा जो इस समय लागू हैं या भविष्य में लागू होंगे और इन कानूनों, विनियमों के अनुपालन में ठेकेदार से किसी प्रकार की गलती या चूक हो जाने या इसके कारण अथवा परिणाम-स्वरूप होने वाली सभी तरह की हानि, क्षति, दावों और कीमतों की क्षतिपूर्ति करेगा और रेल प्रशासन को इनसे सुरक्षित रखेगा ।

शालीमार में प्रत्येक श्रमिक को मजूरी का भुगतान

843. श्री ईश्वर चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या माल गोदाम कोआप्रेटिव लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटी लिमिटेड द्वारा मुख्य नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में शालीमार में प्रत्येक श्रमिक को प्रत्येक मास मजूरी का भुगतान किया जाता है, और उसका प्रति मास विधिवत् प्रमाणीकरण किया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तया) मालगोदाम सहकारी श्रम ठेका समिति, शालीमार अपने मजदूरों को, दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में, मजदूरी का भुगतान करती रही है, लेकिन रेलवे का एक प्रतिनिधि हर महीने के भुगतान पत्रों की जाँच पड़ताल कर लेता है। रेल प्रशासन ऐसा प्रबन्ध कर रहा है कि उपर्युक्त समिति द्वारा भुगतान करने के समय रेल प्रशासन का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहे और ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत यथावर्द्धित प्रमाण पत्र जारी करे ।

केरल में सिंचाई और विद्युत सुविधाओं का विकास

844. श्री वयलार रवि : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में केरल में सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या आवंटित सारी राशि केरल सरकार द्वारा खर्च कर ली गई है; और

(ग) क्या केरल सरकार ने अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख) 1971-72 के लिए सिंचाई और बिजली सेक्टरों के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय तथा प्रत्याशित व्यय निम्नलिखित है:—

1971-72

योजना परिव्यय स्वीकृत | प्रत्याशित व्यय
लाख रुपये

1. सिंचाई

(वृहत् तथा मध्यम)

525

486.72

2. विद्युत

1725

2000.00

कुल 2250

2486.72

(ग) सिंचाई एक राज्यगत विषय है और सिंचाई परियोजनाओं पर राज्य कर योजनाओं में से ही धन लगाना होता है। केन्द्रीय सहायता जारी राज्य योजनाओं के लिए इकट्ठी दी जाती है न कि विशिष्ट सेक्टरों अथवा परियोजनाओं के लिए केरल की वार्षिक योजना 1971-72 के लिए 60 करोड़ रुपये है, जिसमें से 35 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता है।

केरल राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं और इडिककी विद्युत परियोजना के लिए योजना के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था। तंग वित्तीय स्थिति के कारण ऐसी किसी विशेष सहायता पर विचार करना सम्भव नहीं था।

क्विलोन में डिवीजनल कार्यालय खोलना

845. श्री बयालार रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्विलोन में एक डिवीजनल कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का सारांश क्या है और यह कब तक कार्यान्वित हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित करना

847. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितने क्षेत्र में मीटर गेज रेलवे लाइन हैं और कितने में बड़ी रेलवे लाइन है;

(ख) भारत के अन्य राज्यों में प्रचलित इन दोनों प्रकार की रेलवे लाइनों की तुलना में यह कितना है; और

(ग) क्या सरकार ने दीर्घ कालिक कार्यक्रम के रूप में मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित करने का निर्णय किया है और यदि हाँ, तो राजस्थान में कितनी मीटर गेज रेलवे लाइनों को बड़ी रेलवे लाइनों में परिवर्तित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : रेलवे लाइनों की लम्बाई के बारे में सूचना राज्य-वार संकलित नहीं की जाती, बल्कि रेलवे क्षेत्र-वार। 31 मार्च, 1971 को याता-यात के लिए खोली गयीं लाइनों, निर्माणाधीन लाइनों, आदि को मार्ग-किलोमीटर दूरी के बारे में रेलवे क्षेत्र वार ब्योरा भारतीय रेल व्यवस्था पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट 1970-71 के लिए संख्यकीय विवरण के पूरक के विवरण 8 में दिया गया है। इस रिपोर्ट की प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) मीटर आमान वाली जिन लाइनों, पर यातायात अधिक होता है उन्हें बड़ी लाइन में बदलने के बारे में संदर्शी योजना बना ली गई है।

अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली मीटर लाइन खण्ड (जिसका कुछ हिस्सा राजस्थान में पड़ता है) की लाइन क्षमता बढ़ाने और उसे बड़ी लाइन में बदलने के बारे में एक यातायात सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। जब इस सर्वेक्षण के परिणाम परीक्षा के लिए उपलब्ध हो जायेंगे, तो उसके बाद, इस आसान-परिवर्तन के बारे में विनिश्चय किया जायेगा।

शालीमार में ठेकेदारों द्वारा ठेके पर मजदूर भर्ती करने के लिए लाइसेंस

848. श्री ईश्वर चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शालीमार में 10 सितम्बर, 1971 से माल तथा पार्सल उतारने चढ़ाने के लिए नियुक्त किये गये ठेकेदार ने शालीमार में ठेके पर मजदूर भर्ती करने के लिए लाइसेंस लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ठेके की शर्तों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किये बिना उसको कार्य करने की अनुमति दी गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : वर्तमान लदाई उतराई ठेकेदार मैसर्स मालगोदाम कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटी ने सम्बन्धित लाइसेंस अधिकारी के पास 24-11-1971 को निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा कर दिया था और लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया है और इस विषय पर लाइसेंस अधिकारी से लिखा पढ़ी हो रही है। लाइसेंस दिये जाने तक दक्षिणपूर्व रेल प्रशासन द्वारा सहकारी समिति को ठेका जारी रखने की अनुमति दी गयी है।

शालीमार में माल तथा पार्सल उतारने-चढ़ाने के ठेके के लिए सहकारी समिति का पंजीकरण

849. श्री ईश्वर चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालगोदाम कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटी लिमिटेड को, जिसको शालीमार में 10 सितम्बर, 1971 के माल तथा पार्सल उतारने-चढ़ाने का ठेका दिया गया है, किस तरीख को

पंजीकृत किया गया था;

(ख) रेलवे में माल उतारने-चढ़ाने का कार्य करने वाले ऐसे कितने मजदूर हैं जो उक्त सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र में शामिल हुए थे; और

(ग) क्या पंजीकरण से पूर्व सोसाइटी बनाने वालों के चरित्र का सरकार द्वारा सत्यापन किया गया था ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) 16-8-1971

(ख) प्रवर्तक सदस्यों की कुल संख्या 50 थी। चूंकि आवेदन पत्र पंजीकरण के लिए सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति, हावड़ा की फाइल में पड़ा हुआ है इसलिए शालीमार स्टेशन पर रोजमर्रा का सप्ताह का कार्य करने वाले प्रवर्तक सदस्यों की वास्तविक संख्या का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

(ग) सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार ने पंजीकरण से पहले प्रवर्तक सदस्यों के पूर्व वृत्तों का सत्यापन कर लिया था।

नर्मदा परियोजना न्यायधिकरण की प्रगति

850. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा जल विवाद न्यायधिकरण के विचाराधीन नर्मदा परियोजना सम्बन्धी मामले की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) इसके कब तक हल हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) नर्मदा जल विवाद न्यायधिकरण द्वारा नर्मदा जल विवाद के न्यायनिर्णयन का कार्य चल रहा है। न्यायधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

चाय बोर्ड के चेयरमैन की विदेश यात्रा

851. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन ने अपना कार्यभार कब सम्भाला था; और

(ख) चाय बोर्ड में कार्यभार सम्भालने से लेकर अब तक वह कितनी बार विदेश गये और वह वहाँ कितने दिन तक रहे और उनके दौरे पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 10-9-1972.

(ख) वे पांच बार विदेश गए। उन्होंने जिन देशों का दौरा किया, वहाँ जितने दिन तक ठहरे तथा उनके दौरे पर जितनी धनराशि खर्च हुई, उसका व्यौरा नीचे दिया जाता है :

जिन देशों का दौरा किया	ठहरने की अवधि	उनके दौरे पर खर्च हुई धनराशि
1. रोम तथा पेरिस	6 दिन	6,542.16 रु०
2. लन्दन, एडिनबर्ग, ग्लासगो, डुबलिन, ब्रुसेल्स, हम्बर्ग तथा जेनेवा ।	15 दिन	13,137 66 रु०
3. रोम, हम्बर्ग, पेरुत तथा काहिरा ।	12 दिन	7,732.07 रु०
4. रोम, जैगरब, लन्दन, क्लोन, वेलग्रेड तथा लजूबलजना ।	19 दिन	12,185.03 रु०
5. लन्दन, वर्मुदा, वाशिंगटन, टोरंटो, मानट्रियल, बोस्टन, शिकागो, न्यूयार्क, पोर्ट आफ स्पेन, कराकस, पानामा, मैक्सिको, बैकुबर तथा सैनफ्रांसिस्को ।	40 दिन	24,125.13 रु०
		63,723.05 रु०

फिल्मों के निर्यात के लिए यू० के० से समझौता

852. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की फिल्म प्रोडक्शन एसोसिएशन के निदेशक तथा इंडियन चलचित्र निर्यात निगम के चेयरमैन के बीच नई दिल्ली में कोई बातचीत हुई थी और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) इस बातचीत के फलस्वरूप ब्रिटेन को कितनी फिल्मों का निर्यात किया जायेगा तथा वहाँ से कितनी फिल्में आयात की जायेंगी;

(ग) क्या अन्य यूरोपीय देशों से भी ऐसे समझौते किए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) ब्रिटेन के फिल्म उत्पादक संघ की प्रबन्ध निदेशक, श्रीमती डन्वूडी भारत आई थीं और उन्होंने भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के अध्यक्ष के साथ बातचीत की थी और ब्रिटेन के बीच फिल्मों का आदान-प्रदान करने के लिए कोई करार नहीं हुआ ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

लोह अयस्क का मूल्य

853. श्री बेंकारिया :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के मूल्य में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उचित स्तर पर लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) दिसम्बर, 1971 में डालर के अवमूल्यन के फलस्वरूप, कीमतों में कोई गिरावट नहीं आई सिवाय इसके कि रुपये में प्राप्त मूल्य में साधारण सी गिरावट हुई। इस सम्बन्ध में कीमतों में समुचित वृद्धि करने के लिए निकट भविष्य में क्रेताओं के साथ बातचीत प्रारम्भ होने की आशा है।

भूवेष्टित (लैण्ड लावड) देशों के लिए होने वाली विशेष समिति की मीटिंग में भारत द्वारा भाग लेना

854 श्री राजदेव सिंह : क्या विदेश व्यापार मंत्री - यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग द्वारा भूवेष्टित देशों के लिए गठित विशेष समिति की बैंकाक में होने वाली बैठक में भारतवर्ष भाग ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशेष समिति की बैठक में हुई चर्चा का पूरा व्यौरा सदन के सभा पटल पर रखने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) शायद माननीय सदस्य का आशय भूवेष्टित देशों सम्बन्धी इकाफे के विशेष निकाय से है जिसकी बैठक 22 से 24 फरवरी, 1972 तक बैंकाक में हुई थी। भारत ने इस बैठक में भाग लिया था।

(ख) यह विशेष निकाय, संयुक्त राष्ट्र के एशिया तथा सुदूर-पूर्व के लिए आर्थिक आयोग (इकाफे) के संकल्प के अनुसरण में गठित किया गया था। यह अपना प्रतिवेदन आयोग को बैंकाक में 15 से 27 मार्च, 1972 तक होने वाली बैठक में प्रस्तुत करेगा। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, जिसमें इकाफे सत्र में हुए विचार-विमर्श का संक्षिप्त अभिलेख होगा, इकाफे सचिवालय से प्राप्त होते ही, संसद पुस्तकालय में रख दी जाएगी।

खारे पानी का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र

855. श्री पी० के० देव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खारे पानी की बाढ़ कुल कितने क्षेत्र में आई थी; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर, 1971 के चक्रवात के दौरान ज्वारीय लहर के कारण तटीय क्षेत्र में लगभग 97,000 हेक्टेयर क्षेत्र खारे पानी के जलप्लावन् से प्रभावित हुआ। केन्द्रीय सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए और प्रभावित क्षेत्र के खारेपन को समाप्त करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय सुलझाने के लिए नवम्बर, 1971 के अन्त में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल को

प्रतिनियुक्ति किया। इस दल के सुझावों के आधार पर राज्य सरकार ने केन्द्रवाड़ा सिंचाई नहर प्रणाली की कमान के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के खारेपन को समाप्त कर दिया है और रबी की फसलें उगाई गई हैं।

ज्वारीय बाढ़ों से सुरक्षा के लिए अध्ययन और उपायों की सिफारिश करने के लिये उड़ीसा राज्य सरकार ने एक तकनीकी समिति नियुक्त की है। समिति को अपनी रिपोर्ट मई, 1972 के अन्त तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों को आयातित कारों का आवंटन

857. डा० कर्णो सिंह :

श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969, 1970 और 1971 के दौरान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को राज्यवार आवंटित की गई आयातित कारों की संख्या क्या है तथा ये कारें उनको किस उद्देश्य से दी गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को वर्ष 1969, 1970 तथा 1971 (26 नवम्बर, 1971 तक) में आवंटित आयातित कारों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	आवंटित कारों की संख्या
1969	5
1970	12
1971 (नवम्बर तक)	6
योग	23

ये कारें सरकारी प्रयोग के लिए आवंटित की गई थीं।

2. विभिन्न राज्य सरकारों को 1969, 1970 तथा 1971 में आवंटित कारों की संख्या राज्यवार निम्नांकित हैं :

	1969	1970	1971 (26-11-71 तक)	योग
उत्तर प्रदेश	1	—	1	2
हरियाणा	1	2	2	5
हिमाचल प्रदेश	—	2	1	3
महाराष्ट्र	7	—	1	8
आन्ध्र प्रदेश	2	3	—	5
जम्मू तथा काश्मीर	2	—	4	6
पंजाब	4	8	—	12
चण्डीगढ़	1	1	—	2

मैसूर	2	2	—	4
राजस्थान	2	5	—	7
तमिलनाडु	1	1	—	2
मध्यप्रदेश	2	—	—	2
नागालैण्ड	—	2	—	2
पश्चिमी बंगाल	—	—	2	2
	25	26	11	62

राज्य सरकारों को ये कारें अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पहुँचाने, सीमा पर गश्त लगाने, प्रतिरक्षा सम्बन्धी ड्यूटी देने तथा तस्करी निरोधक ड्यूटी देने के लिए दी गई थी।

भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड द्वारा दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम को बिजली की सप्लाई बन्द करने की धमकी

858. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड ने दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम को चेतावनी दी है कि यदि दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम पुनरीक्षित प्रशुल्क के अनुसार भुगतान करने पर सहमत नहीं हुआ तो पन्द्रह दिन का नोटिस देकर बिजली की सप्लाई बन्द कर दी जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और बंगला देश द्वारा चाय और पटसन का संयुक्त रूप से निर्यात

859. श्री एस० एम० पटेल : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और बंगला देश पटसन और चाय जैसी परम्परागत वस्तुओं के लिए संयुक्त प्रयास करने पर विचार कर रहे हैं जिससे इनसे अधिकतम लाभ उठाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विचाराधीन योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इन संयुक्त प्रयासों से हमें विदेशी मुद्रा की अधिक आय होगी और यदि हां, तो कितनी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस प्रकार की कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

बिजूरी-बड़बादी रेलवे लाइन पूरी करना

861. श्री रणबहादुर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजूरी-बड़बादी रेलवे लाइन पूरी करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या यह कार्य योजनानुसार चल रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : बरवाडीह-सरनाडीह लाइन का निर्माण कार्य 1947 में शुरू किया गया था किन्तु बाद में अर्थोपाय की कठिन स्थिति के कारण और साथ ही यह पता चलने पर कि इस खण्ड पर उतना यातायात न होगा जितने की प्रत्याशा की गयी थी, निर्माण-कार्य रोक दिया गया। जब उस क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के विकास के बारे में निश्चित योजनाएं उपलब्ध हो जायेगी, तो लाइन को पूरा करने के काम बिजूरी तक उसके विस्तार पर विचार किया जायेगा।

रेलवे में एक अलग कार्मिक विभाग की स्थापना

862. श्री रणबहादुर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन और विभाग में कार्मिक सैक्शन के कर्मचारियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन को दृष्टि में रखते हुए रेलवे में एक अलग कार्मिक विभाग स्थापित करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने, रेलों पर पृथक कार्मिक विभाग गठित करने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की। फिर भी, प्रशासनिक सुधार आयोग को रेलों से सम्बन्धित अध्ययन दल ने सुझाव दिया था कि रेलों पर कार्मिक शाखा को पृथक विभाग बना दिया जाये। कुछ अभ्यावेदन पृथक कार्मिक विभाग के गठन के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न पर कि क्या पूरी तरह से पृथक कार्मिक विभाग होना चाहिए और क्या इस विभाग के लिए अलग से भर्ती होनी चाहिए, रेलवे बोर्ड ने अनेक बार विचार किया है और यह विनिश्चय किया गया है कि विभिन्न विभागों से, कार्मिक अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए, अधिकारी लेने की वर्तमान पद्धति जारी रहनी चाहिए।

फिर भी, इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात व्यापार

863. श्री रामावतार शास्त्री : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया और पिछले वर्ष के राज्य व्यापार निगम के निर्यातों के मूल्य की तुलना में यह कितना है; और

(ख) वर्ष 1971 में राज्य व्यापार निगम को कितना लाभ हुआ ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) 1971-72 में 70.60

करोड़ रु० मूल्य के कुल निर्यातों की तुलना में 1971-72 में कुल 90 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात होने का अनुमान है।

(ख) 1971-72 में राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ 7 करोड़ रु० होने का अनुमान है जिसमें लगभग 4 करोड़ रु० का अवशिष्ट लाभ भी शामिल है जो सोयाबीन तेल तथा सूरजमुखी के तेल के आयात पर सरकार को देय हैं।

कोयला सम्बन्धी औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन

864. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला सम्बन्धी औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है;

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

काशी ब्यास नगर और मुगल सराय (उत्तर रेलवे) के स्विच पम्प कर्मचारियों द्वारा बिना समयोपरि भत्ते के कार्य करना

865. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार को सेन्ट्रल वार एसोसिएशन, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) से दिनांक 6 सितम्बर, 1971 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें काशी ब्यास नगर और मुगलसराय में नियुक्त उत्तर रेलवे के स्विच पम्प कर्मचारियों द्वारा बिना समयोपरि भत्ते के काम करने के बारे में शिकायत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) सम्भवतः ऐसा कोई ज्ञापन नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Engagement by Court of Private Legal Practitioners in Supreme Court

866. Shri M. C. Daga : Will the Minister of Law and Justice be pleased to state :

(a) whether Government engage private legal practitioners for pleading their cases in the Supreme Court; and

(b) if so, the names of the legal practitioners engaged during the years 1969-70 and 1970-71 and the amount of fees paid to them for each law suit ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) Yes Sir. In addition to the Attorney General General for India and the

Solicitor General for India, the Government engages other Advocates before the Supreme Court.

(b) Statements showing the names of the Legal Practitioners together with fees paid to them in each case, other than the Attorney-General for India and the Solicitor-General for India engaged during the years 1969-70 and 1970-71, are enclosed. [Placed in Library. see No. L.T. 1500/72]

इलाहाबाद (उत्तर रेलवे) की टिकट निरीक्षण शाखा के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

867. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मन्त्री इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर प्रदेश) के टिकट निरीक्षण शाखा अधिकारियों के दुराचार के मामलों के बारे में 13 जुलाई 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद के मुख्य टिकट निरीक्षक तथा इलाहाबाद डिवीजन की वाणिज्यिक शाखा के क्लर्क के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पूरी कर ली गई है। यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जो कार्यवाही शुरू हो गई थी वह अभी पूरी नहीं हुई।

(ख) अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन जिन कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं उन्हें अपने बचाव के लिए उचित अवसर देना होता है। इस मामले में जिन दो कर्मचारियों ने इस सुविधा के अधीन प्रलेखों का निरीक्षण करने की प्रार्थना की थी वह स्वीकार कर ली गई है। मुख्य निरीक्षक (टिकट) ने आरोपों के ज्ञापन का बचाव सम्बन्धी लिखित बयान पेश कर दिया है जबकि अभी क्लर्क ने अपना बयान प्रस्तुत नहीं किया।

Reward to Railway Employees for Work rendered during Indo-Pak War

868. Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri P. Gangadeb :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Railway employees rewarded by Government in appreciation of the work rendered by them during the Indo-Pak War of December 1971; and

(b) an account of the rewards given to them ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) & (b) 119 employees have been rewarded a total amount of Rs. 18,376 so far. The cases of 29 other employees for the grant of rewards are under consideration.

In addition 48 Gazetted Officers have been issued letters of commendations.

**Arrears of Dues Payable by New Delhi Municipal Committee to Delhi
Municipal Corporation**

869. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state ;

(a) whether huge amount of dues, payable to Delhi Municipal Corporation, is outstanding against New Delhi Municipal Committee for electricity supplied to it;

(b) if so, the amount of outstanding dues; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to ensure payment of the dues to the Delhi Municipal Corporation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) :
(a) to (c). According to the Delhi Electric Supply Undertaking, the outstanding dues from the New Delhi Municipal Committee to end of 1970-71 amounted to about Rs. 6.39 crores. Under Section 285 of the D.M.C. Act, 1957 any dispute regarding the rate of Supply has to be referred to the Central Government whose decision shall be final. A reference in the matter has been received from the DESU and is under examination in this Ministry.

Departmental Enquiries Against Employees of Eastern Railway

870. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Eastern Railway employees against whom departmental enquiries were held during the last two years and the number of those against whom Departmental enquiries are in progress at present; and

(b) the number of employees whose services were terminated during this period as a result of the departmental enquiries ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) & (b). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर विश्राम गृहों और शयन-कक्षों की व्यवस्था

871. श्री मुहम्मद अमीलुर्रहमान :

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपरा, सोनवा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, फारबिसगंज, बेगूसराय, भागलपुर, साहेबगंज, जमालपुर, धनबाद, गया पटना जंक्शन और पटना सिटी रेलवे स्टेशनों पर और अधिक विश्रामगृहों और शयन कक्षों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इस समय इन स्टेशनों में से प्रत्येक पर विश्रामगृहों, शयन कक्षों और उपलब्ध चारपाइयों की संख्या कितनी-कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पूर्व रेलवे के 1971-72 के निर्माण कार्यक्रम में पटना सिटी स्टेशन पर दो खाट वाले एक विश्राम कक्ष और चार खाट वाले एक बड़े कमरे की व्यवस्था की गयी है। इस समय और कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इनमें से प्रत्येक स्टेशन पर खाटों/बिस्तरों की संख्या तथा विश्राम कक्षों और बड़े कमरों की संख्या नीचे दी गयी हैं :—

स्टेशन	विश्राम कक्षों की संख्या	बड़े कमरों की संख्या	खाटों, बिस्तरों की संख्या		जोड़
			विश्राम कक्षों में	बड़े कमरों में	
छपरा	—	1	—	4	4
सिवान	—	—	—	—	—
मुजफ्फरपुर	2	1	4	6	10
समस्तीपुर	*1	1	*2	6	8
दरभंगा	2	—	4	—	4
कटिहार	3	—	6	—	6
पूर्णिया	—	—	—	—	—
फारबसगंज	1	—	1	—	1
बेगुसराय	—	—	—	—	—
भागलपुर	4	—	8	—	8
साहेबगंज	—	—	—	—	—
जमालपुर	1	—	3	—	3
धनबाद	4	—	8	—	8
गया	4	—	8	—	8
पटना जंक्शन	7	1	17	10	27
पटना सिटी	—	—	—	—	—

*समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का विश्राम कक्ष इस समय उपयोग में नहीं लाया जा रहा क्योंकि स्टेशन की इमारत में कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं और जैसे ही परिवर्तन सम्बन्धी यह काम पूरा हो जायेगा, विश्राम कक्ष उवमेण के लिए खोल दिया जायेगा।

चाय का निर्यात

872. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 में चाय का वास्तव में कितना निर्यात हुआ था;

(ख) देशवार इसके आंकड़े क्या हैं; और

(ग) देश के उत्पादन क्षेत्रों में उसके आंकड़े क्या हैं।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 2126 लाख कि०ग्रा०।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं।

देश	विवरण	1971 (आंकड़े लाख कि०ग्रा० में)
ब्रिटेन		713.4
पश्चिमी जर्मनी		35.4
आयरलैंड गणराज्य		56.5
नीदरलैंड		24.6
सोवियत रूस		412.7
आस्ट्रेलिया		30.6
अफगानिस्तान		159.5
ईराक		64.9
ईरान		32.8
जोर्डन		31.9
संयुक्त अरब गणराज्य		91.7
सूडान		124.7
ट्युनीशिया		19.8
कनाडा		38.4
सं० रा० अमरीका		90.5
न्यूजीलैंड		3.1
अन्य देश		195.8
	योग	2126.3

(ग) उत्पादन क्षेत्रों के अनुसार चाय के निर्यात आंकड़े अभिलिखित नहीं किये जाते।

कोयल नदी (पालामऊ) बिहार पर बांध का निर्माण

873. कुमारी कमला कुमारी : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कुटकू गांव के निकट कोयल नदी (पालामऊ) पर एक बांध निर्माणाधीन है; और

(ख) क्या इससे मिलने वाली अधिकांश सिचाई सुविधाएं गया और शाहाबाद जिलों को उपलब्ध होंगी जबकि बहुत थोड़ी सुविधायें पलामू मिलेंगी ?

सिचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित उत्तर कोयल परियोजना से शाहाबाद और गया जिलों में सोन उच्च स्तरीय नहर के अन्तर्गत कुल 4 लाख एकड़ के कमान को पूरक सप्लाई देने के अतिरिक्त गया जिले में कुल 4.2 लाख एकड़ और पलामू जिले में 0.2 लाख एकड़ कमान को सिचाई की

परिकल्पना है। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि अमानत और टहले जैसी अन्य नदियों पर अनुसन्धान कार्य किये जा रहे हैं ताकि पलामू जिले को और अधिक सिंचाई की सुविधायें दी जा सकें।

केरल में कुल्लोडु सिंचाई परियोजना का पूरा किया जाना

874. श्रीमती भागवती तनकप्पन : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कुल्लोडु सिंचाई परियोजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : कल्लाडा सिंचाई परियोजना जिसमें 17.9 टी० एम० मी० के सक्रिय संचय का एक जलाशय बनाने के लिये कल्लाडा नदी पर सारापार के निकट एक बांध, 3 मील अनुप्रवाह में एक पिक-अप वीयर और 2.6 लाख एकड़ की सिंचाई के लिए दक्षिण और बायें तट नहरों का निर्माण परिकल्पित है, योजना आयोग द्वारा 13.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1966 में स्वीकृत की गई थी। अब राज्य सरकार द्वारा 45 करोड़ रुपये लागत आंकी गई है।

केरल राज्य में बहुत सी अन्य संतत बृहत् सिंचाई परियोजनाएँ हैं, जिनको बहुत पहले से हाथ में लिया हुआ है। अतः कल्लाडा परियोजना पर पांचवीं योजना के अन्त तक ही काफी हद तक कार्य पूर्ण होने की आशा है।

केरल में नई रेलवे लाइनों के लिये सर्वेक्षण

875. श्रीमती भागवती तनकप्पन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वे रेलवे लाइनें बिछाने के कोई प्रस्ताव हैं जिनके लिए राज्य सरकार ने सर्वेक्षण कार्य हेतु अपने हिस्से की अपेक्षित धनराशि दे दी है लेकिन अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार सर्वेक्षण-कार्य कब आरम्भ करायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठना।

विधान सभा चुनावों के लिए आवार संहिता

876. श्री पी० गंगादेव

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने विधान सभा चुनावों के सम्बन्ध में कोई आचार संहिता तैयार की है;

(ख) यदि हां तो इस संहिता की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) हाल के विधान सभा चुनावों में संहिता का कहां तक अनुसरण किया गया है;

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टियों और अभ्यर्थियों से मांग-दर्शन के लिए एक आदर्श आचार-संहिता बनाई थी और उसे परिचालित किया।

(ख) संहिता की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1501/72]

(ग) निर्वाचन आयोग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हाल ही में राज्य विधान-सभा के निर्वाचनों में इस संहिता का कहां तक पालन किया गया।

रेलगाड़ियों के तीसरे दर्जे में सुधार

877. श्री प्रभुदास पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग रेलगाड़ियों के तीसरे दर्जे के डिब्बों की दशा सुधारने में असमर्थ रहा है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों में तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों की हालत में काफी सुधार हुआ है। जहां तक संभव होता है, और भी अधिक सुधार का काम नियमित रूप से किया जाता है।

अमरीका द्वारा परम्परागत वस्तुओं के निर्यात का रोका जाना

878. श्री प्रभुदास पटेल : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से रुई, वनस्पति तेल, उर्वरक, इस्पात, स्नेहक पदार्थ, अख्तवारी कागज तथा अलोह धातुओं जैसी परम्परागत वस्तुओं का आयात होता रहा है और यदि हां, तो क्या अमरीका द्वारा भारत को उनका निर्यात बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या सोवियत संघ ने उपरोक्त वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि करना स्वीकार कर लिया है और;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जाजं) (क) से (ग) : ये वस्तुएं संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य स्रोतों से आयात की जाती हैं। अमरीका सहायता बन्द हो जाने के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका से इनमें से कुछ वस्तुओं के आयातों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सोवियत संघ सहित अन्य सभी स्रोतों से अधिक मात्रा में सप्लाई प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इदिको होकर मथुरा से एरणाकुलम को मिलाने वाली रेलवे लाइन

879. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एरणाकुलम जिला विकास परिषद द्वारा पारित किया गया कोई संकल्प प्राप्त हुआ है जिसमें इदिको होकर मथुरा से एरणाकुलम को मिलाने के लिए रेलवे लाइन बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) धन की कमी और यातायात के पर्याप्त औचित्य के अभाव में सुझाए गये रेल सम्पर्क के निर्माण के बारे में अभी विचार करना सम्भव नहीं है।

हथकरघे के उत्पादों के लिए मंडियों की खोज करने हेतु एक व्यापार शिष्ट-मंडल को विदेश भेजना

880. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघे के उत्पादों के लिए मंडियों की खोज करने हेतु एक व्यापार शिष्टमंडल विदेश भेजने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। फिर भी हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास का 1972-73 में दो प्रतिनिधि मंडल-एक यूरोपीय देशों को तथा दूसरा सं० रा० अमरीका तथा कनाडा को और मलेशिया, हांगकांग तथा जापान को एक अध्ययन दल भेजने का विचार है।

Coverion of Samastipur-Raxaul Line into Broad Gauge

881. Shri Jagannath Mishra : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision to convert the metre gauge line from Samastipur to Raxaul via Darbhanga into a broad gauge line; and

(b) if so, the time by which this work is likely to be started and completed?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

साकरी से हसनपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) तक रेलवे लाइन

882. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्वोत्तर रेलवे के साकरी सेक्शन में दरभंगा में साकरी से हसनपुर तक रेलवे लाइन का विस्तार करने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Promotion of Mithila Arts and Handicrafts

883. Shri Jagannath Mishra : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government propose to promote arts and handicrafts of Mithila; and

(b) if so, the steps taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) :

(a) Yes, Sir.

(b) The main arts of Mithila are Madhubani folk paintings, sikki grass work and suchini embroidery. All possible help is being given to the Mithila painters in their work. Exhibitions have been organised in some of the departmental stores in Europe for promoting the sale of Madhubani paintings. A wide publicity to this art has been given through participation in Expo '67, Montreal and Expo '70, Osaka. Similar steps are also taken for the export and development of other arts and handicrafts of Mithila.

रेलवे प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता लाने हेतु सुझाव देने के लिए नियुक्त समिति का प्रतिवेदन

884. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता लाने हेतु सुझाव देने के लिए नियुक्त समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों पर विचार कर लिया है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) सम्भवतः संकेत उस "कार्य मूल्यांकन दल" की ओर है जिसे रेल मंत्री की अध्यक्षता में, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर विचार करते समय, रेलवे बोर्ड में कार्य के कुल निपटान के लिए अपेक्षित उपनिदेशकों और उनसे नीचे के पदों की समीक्षा करके उनकी संख्या निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया था। उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट में 43 राजपत्रित और 166 अराजपत्रित पद कम करने की सिफारिश की है। कार्य-मूल्यांकन दल की सिफारिशें रेलों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के भाग के रूप में सरकार के विचाराधीन हैं।

इंग्लैंड के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन

885. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 में भारत इंग्लैंड के बीच होने वाला व्यापार काफी सीमा तक भारत के प्रतिकूल रहा;

(ख) यदि हाँ, तो इस अवधि में यह संतुलन अनुमानतः कितना प्रतिकूल रहा; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1971 के दौरान तक भारत-ब्रिटेन व्यापार का संतुलन भारत के प्रतिकूल था।

(ख) जनवरी-अगस्त 1971 की अवधि के दौरान, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, ब्रिटेन के साथ भारत का प्रतिकूल व्यापार संतुलन लगभग 28.32 करोड़ रुपया था।

(ग) व्यापार संतुलन इस लिए प्रतिकूल हो गया है कि निर्यात-अभिमुख तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक उदार नीति अपनाने के कारण ब्रिटेन से होने वाले आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। ब्रिटेन को भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयत्नों को तीव्र किया गया है। जनवरी-अगस्त, 1971 के दौरान ब्रिटेन को भारत के निर्यात पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान हुए निर्यातों की अपेक्षा लगभग 10 प्रतिशत अधिक हुए थे। सरकार को आशा है कि यह प्रवृत्ति कायम रहेगी।

Officers Appointed in the Railway Department in 1957 still Temporary.

886. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state the number of Officers in each Department of the Railways who were appointed in 1957 and who are still temporary ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : The number of Officers appointed in 1957 and who are still temporary is 25 as detailed below :-

Department	Number
Civil Engineering	19
Transportation (Traffic) & Commercial	2
Personnel	3
Signal and Telecommunication	1
Total	25

विदेशों में भेजे गये सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों से हुए लाभ

887. श्री टी० एस० लक्ष्मणन : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा इस वर्ष कितने सरकारी प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजे गये;

(ख) इन पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) उन प्रतिनिधि मण्डलों के अनुभवों को देश की परियोजनाओं के कार्यचालन में सरकार

किस प्रकार प्रयोग लाने का विचार रखती है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1502/72]

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के कृत्य

888. श्री टी० एस० लक्ष्मणन : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग ने ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी विस्तृत योजना की जाँच करने, उसको विकसित करने, तथा उसे क्रियान्वित करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो ब्रह्मपुत्र बाढ़, नियंत्रण बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के कार्य में किस प्रकार की सहायता दी है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : असम सरकार द्वारा स्थापित ब्रह्मपुत्र बाढ़ आयोग नियंत्रण 15 जुलाई, 1970 से कार्य कर रहा है। ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, आयोग के कार्यों की प्राथमिकताएं और कार्यक्रम निर्धारित करता है, स्कीमों को स्वीकृति प्रदान करता है और राज्य योजना में विविध कार्यों के लिए प्रबधित राशियों के आवंटनों की जाँच करता है और स्वीकृति प्रदान करता है।

उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना

889. श्री टी० एस० लक्ष्मणन : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की सरकार ने उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने, जिसकी स्थापना सरकार ने जनवरी, 1971 को की थी, उत्तरी बंगाल के लिए अब तक किस प्रकार की सहायता दी है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है और अक्टूबर, 1971 से कार्य कर रहा है।

उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड आयोग के कार्यों की प्राथमिकताएं और कार्यक्रम निर्धारित करता है। यह स्कीमों को तथा राज्य योजनाओं में व्यवस्थित धन के विभिन्न कार्यों के लिए, आवंटन को स्वीकृति प्रदान करता है।

जी० टी० एक्सप्रेस में चोरी तथा कत्ल की घटनाएँ

890. श्री अमरनाथ चावला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली जी० टी० एक्सप्रेस में चोरी और कत्ल की घटनायें बढ़ रही हैं;

(ख) क्या कुछ मामलों में उन्हें इस आशय के अभ्यावेदन दिए गए थे कि चोरियों का कारण यह है कि कंडक्टर और टी० टी० आई० अनधिकृत व्यक्तियों को आरक्षित डिब्बों में बिठा देते हैं;

(ग) चोरी के विचाराधीन मामलों की संख्या क्या है और क्या चोरियों से जिनका नुकसान हुआ उन्हें कोई क्षतिपूर्ति दी गई है, यदि हाँ, तो क्या और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलमंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) हाँ, चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है लेकिन हत्या के मामले में नहीं ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) विभाग द्वारा एक चल टिकट परीक्षक को सजा दी गयी थी ।

चल टिकट बुकिंग की पद्धति

891. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टिकटों की बिक्री के लिए चल बुकिंग पर पद्धति लागू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए अनारक्षित आवास की व्यवस्था

892. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिक दूरी तक जाने वाली विभिन्न गाड़ियों में आम जनता के लिए केवल एक या दो डिब्बे अनारक्षित छोड़े जाते हैं; और

(ख) क्या इतने डिब्बे जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त होते हैं और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) प्रत्येक गाड़ी की स्थिति अलग-अलग है । साधारण सवारी गाड़ियों में उपलब्ध स्थान का अधिकांश अनारक्षित रखा जाता है । लेकिन कुछ मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षित डिब्बों की संख्या अनारक्षित डिब्बों की संख्या की

अपेक्षा अधिक रहती है। इन गाड़ियों में अतिरिक्त अनारक्षित सवारी डिब्बे नियमित रूप से लगाने की गुंजाइश नहीं है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम तथा नियमों में संशोधन

893 श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार रेशम बोर्ड को सुदृढ़ करने तथा रेशम के निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम तथा नियमों से संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी हाँ।

(ख) (1) रेशम उत्पादन उद्योग से सम्बन्धित विकास कार्यों के लिए वित्त जुटाने हेतु धनराशि एकत्र करना और रेशमी माल के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए बाह्य बाजार सर्वेक्षण करना तथा प्रचार अभियान चलाना, तथा

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मुख्य कार्यनिर्वाहकों को पर्याप्त प्रशासकीय तथा वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना ताकि वह अपने बड़े हुए कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

Introduction of Rajdhani Type Express Train Between Delhi and Bombay

894. Dr. Sankata Prasad : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the date from which the proposed Rajdhani Express type of train is likely to be introduced on the Delhi-Bombay section and the time it will take to complete the journey; and

(b) the fare proposed for the journey from Delhi to Bombay ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthiya) : (a). The proposed Rajdhani Express train between New Delhi and Bombay Centre will be introduced from 17. 5. 72 and will have a journey time of about 19-30 hours.

(b) A decision in this regard will be taken shortly.

Utilization of Railway land near Railway tracks

895. Dr. Sankata Prasad : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to allow the utilization of Railway land of either side of the Railway tracks for other purposes; and

(b) if so, the purpose for which it will be allowed to be utilized ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthiya) : (a) & (b). Instructions already exist for utilization of the Railway land on either side of the Railway track for:—

(i) licensing for grow more food purposes to cultivators either through the State Govt. or directly by the Railway Administration.

- (ii) licensing for castor plantation.
- (iii) licensing of the tanks and borrow pits for purpose of pisciculture.
- (iv) afforestation purposes either through the State Govts. or by the Railway Administrations themselves.

सरकार द्वारा 1971 में कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लेना

896 श्री एस० एम० बनर्जी : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1971 में कितने कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन मिलों को स्थायी रूप से नियंत्रण में ले लिया गया है; और

(ग) क्या भारतीय कपड़ा निगम इन मिलों को चलायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1971 के दौरान, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत, सरकार द्वारा 9 सूती वस्त्र मिलों का प्रबन्ध अपने अधिकार में लिया गया है। इन मिलों के नाम इस प्रकार हैं :-

क्रमांक	मिल का नाम
1.	आजम जही मिल्स लि०, वरांगल ।
2.	अजुध्या-टैक्सटाइल मिल्स लि०, दिल्ली ।
3.	अहमदाबाद जूपिटर स्पिनिंग वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग क० लि०, अहमदाबाद ।
4.	अहमदाबाद जूपिटर स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग क० लि०, बम्बई ।
5.	मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग क० लि० बंगलौर ।
6.	मिनर्वा मिल्स लि०, अहमदाबाद ।
7.	जहांगीर वकील मिल्स लि०, अहमदाबाद ।
8.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लि०, बुरहानपुर ।
9.	उस्मानशाही मिल्स लि०, नान्देड़ ।

(ख) जी नहीं। तथापि, यह सरकार के ऊपर है कि या तो वह इन मिलों का उपयुक्त रूप से पुनर्निर्माण करे या उक्त अधिनियम की धारा 18 एफ डी के उपबन्धों के अन्तर्गत उन्हें चालू फर्मों के रूप में बेच दे ।

(ग) पहले छः मिलों के मामले में राष्ट्रीय वस्त्र निगम और बाकी तीन मिलों के मामले में उनके अपने अपने राज्य वस्त्र निगम प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किए हैं ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए कर्मचारी संगठन के सुझाव

897 श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभागों में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जोरों पर है;

(ख) क्या यूनियनों, एसोसियशनों और फंडरेशनों को विश्वास में लिया गया है; और

(ग) क्या इन संगठनों ने कुछ सुझाव दिये हैं और यदि हां, तो इन सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेलों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ख) सदाशई यूनियनों, संस्थाओं और संघों द्वारा की गई भ्रष्टाचार या अनाचार की कोई शिकायत या भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों की जांच की जाती है और उस पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

(ग) ऐसे एक संगठन द्वारा दिये गये एक सुझाव की जांच की जा रही है ।

सरकारी उपक्रमों के माध्यम से निर्यात और आयात

898 श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों के माध्यम से अब किन किन वस्तुओं का निर्यात और आयात किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में सरकारी उपक्रमों के माध्यम से कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात और निर्यात हुआ है; और

(ग) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक वर्ष वार हुये कुल आयात और निर्यात में सरकारी उपक्रमों द्वारा कितने प्रतिशत आयात तथा निर्यात किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संभवतः माननीय सदस्य, आयातों तथा निर्यातों के लिये भार्गीकृत मदों के बारे में जानकारी चाहते हैं । (1) आयातों के लिए भार्गीकृत मदों को दर्शाने वाली तथा (2) निर्यातों के लिये भार्गीकृत मदों को दर्शाने वाली दो सूचियाँ सभा पटल पर रखी जाती हैं । (अनुबन्ध 1) [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1503/ 2]

(ख) तथा (ग) सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र के माध्यम से किये गये आयातों तथा निर्यातों के आंकड़े उपलब्ध हैं । 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 (सितम्बर, 71 तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के माध्यम से किये गये आयातों तथा निर्यातों का मूल्य तथा कुल आयातों व निर्यातों के सम्बन्ध में उसकी प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । (अनुबन्ध 2) [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1503/72] सितम्बर, 1971 के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

1970-71 तथा 1971-72 के दौरान निर्यात सामग्रियों के कुल मूल्य

899. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में देश से कितना और कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में हुए कुल निर्यात में कितनी परम्परागत वस्तुएँ और गैर परम्परागत वस्तुएँ हैं; और

(ग) इन वर्षों में विश्व के कुल निर्यातों में भारत के निर्यातों की क्या प्रतिशतता है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1504/72]

पूर्वी रेलवे में चोरियों और रेल डिब्बों की मोहर तोड़ने के परिणामस्वरूप होने वाली सम्पत्ति की हानि का मूल्य

900. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 से 1971-72 के दौरान पूर्वी रेलवे में चोरियों और रेल डिब्बों की मोहर तोड़ने के परिणामस्वरूप होने वाली सम्पत्ति की हानि का वर्ष वार, मूल्य क्या है; और

(ख) इन हानियों को रोकने की दृष्टि से क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पूर्व रेलवे पर मालडिब्बा काटकर चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य, 1969-70, 1970-71 और 1971-72 (फरवरी 1972 तक) की अवधि में क्रमशः 6,16,227 रु० 13,72,774 रु० और 14,00,128 रु० है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1505/72]

भारत-युगोस्लाविया व्यापार प्रबन्ध

901. श्री राजदेव सिंह : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का एक दल 1973 के बाद भारत और युगोस्लाविया के बीच व्यापार प्रबन्धकों पर विचार-विमर्श करने के लिए इस समय युगोस्लाविया गया हुआ है, जब कि दोनों देश रुपयों में व्यापार करने के स्थान पर खुली विदेशी मुद्रा में व्यापार करना आरम्भ कर देंगे; और

(ख) क्या यह दल दोनों देशों द्वारा रुपयों में व्यापार करने की अवधि में लिये गये ऋणों की वापसी के लिए मार्गोपायों पर विचार करेगा और मार्गोपाय निकालेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) उपमन्त्री (विदेश व्यापार) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल फरवरी-मार्च, 1972 में युगोस्लाविया गया और उसने युगोस्लाविया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भारत-युगोस्लाव व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श किया था जिसमें रुपया व्यापार युग में दोनों देशों द्वारा किए गए ऋणों को चुकाने के उपाय भी शामिल हैं।

तम्बाकू के निर्यात में कमी

902. श्री राजदेव सिंह :

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन में पिछले वर्ष सिगरेटों की बिक्री में जो कमी हुई क्या उसका इस देश से तम्बाकू के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) 1971 वर्ष में तम्बाकू के निर्यात में कितनी कमी हुई; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ब्रिटेन को हमारे तम्बाकू के निर्यातों में इस लिए कमी आ गई है कि उस देश के उपभोक्ताओं का झुकाव फिल्टर वाली सिगरेटों की ओर हो गया है, जिनके लिये एक सादा सिगरेट में आमतौर पर लगने वाली तम्बाकू के मुकाबले में 80 प्रतिशत तम्बाकू की आवश्यकता होती है।

(ख) 1971 में ब्रिटेन को किये गये निर्यातों में 16.7 लाख किग्रा की गिरावट आई।

(ग) तम्बाकू अध्ययन दल हाल ही में, नये बाजारों का अध्ययन करने तथा उनका पता लगाने के लिए पश्चिम यूरोपीय देशों को गया था जिनमें ब्रिटेन भी शामिल था।

न्यायाधीशों के लिए परिवार पेंशन और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान

903. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार से नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीशों के लिए परिवार पेंशन और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जो नहीं, किन्तु मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भुजफरपुर और दरभंगा में अधवाड़ा नदी समूह का नियंत्रण

904. श्री हरि किशोर सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुजफरपुर और दरभंगा जिलों में अधवाड़ा नदी समूह के नियंत्रण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित योजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अधवाड़ा नदी समूह में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी एक व्यापक स्कीम तैयार करने के लिये अन्वेषण-कार्य किया जा रहा है। स्कीम रिपोर्ट के तैयार हो जाने और

उसकी जाँच होने के पश्चात् ही इस बात पर विचार किया जायेगा कि इस स्कीम को पाँचवीं पंच-वर्षीय योजना में शामिल करना है अथवा नहीं।

बागमती नदी के पुराने पथ पर मार्गदर्शी बांधों का निर्माण

905. श्री हरि किशोर सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागमती नदी के पुराने पथ पर मार्गदर्शक बांध बनाने के बारे में सरकार को हाल ही में पिप्राशी, शिवोहार, बैलमुंड सन्निसेदपुर, औराई, कटरा और गंधार खण्डों के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसमें दिए गए सुझावों पर विचार किया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने सूचन किया है कि वर्तमान सक्रिय चैनल के साथ-साथ, जो कि बागमती के पुराने जल मार्गों में से एक है, बाढ़ तटबन्धों का निर्माण जागी है और इस सम्बन्ध में उन्हें कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

निजी कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही रेलवे लाइनें

906. श्री हरि किशोर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय निजी कम्पनियों द्वारा कितनी रेलवे लाइनें चलायी जा रही है;

(ख) क्या देश में निजी कम्पनियों द्वारा चालित कतिपय रेलवे लाइनें बन्द कर दी गई हैं; और यदि हां, तो उन के नम क्या हैं;

(ग) उस के फलस्वरूप कितने लोग बेरोजगार हो गये; और

(घ) क्या इन लाइनों को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) देश में निजी स्वामित्व की 8 रेलें हैं। इन में से 5 रेलें निकटस्थ राज्य सरकारों द्वारा और 3 स्वयं कम्पनियों द्वारा चलायी जा रही हैं।

(ख) जी हां, निजी रेलें जो हाल ही में बन्द की गयी हैं, निम्नलिखित हैं:—

(1) शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे

(2) हावड़ा आमता लाइट रेलवे और,

(3) हावड़ा शियाखला लाइट रेलवे

(ग) 2749 लेकिन उन्हें सरकारी रेलों में समाहृत करने का निर्णय किया गया है बशर्ते वे उपयुक्त हों।

(ख) जी नहीं। इनकी मालिक कम्पनियां इन रेलों को फिर से चलाने के लिए तैयार नहीं हैं और भारतीय सरकार द्वारा इन रेलों का संचालन अपने हाथ में ले लेने का वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं है।

**बम्बई क्षेत्र (पश्चिम तथा मध्य रेलवे) के इन्जिनियरिंग विभाग के नैमित्तिक
श्रमिकों की दैनिक मजूरी की दर**

907. श्री एम० कतामुतु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई क्षेत्र में पश्चिम तथा मध्य रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के नैमित्तिक श्रमिकों को किस दर पर दैनिक मजूरी दी जाती है, और

(ख) रेलवे विभाग से इतर, बम्बई क्षेत्र में, इसी कार्य के लिए बाजार में मिलने वाली यह मजूरी कितनी न्यूनाधिक है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) :

(क)	कोटि	मध्य रेलवे	दर
			पश्चिम रेलवे
	कुशल श्रमिक	6.20 रु०	5.00 रु०
	अर्धकुशल श्रमिक	4.30 रु०	4.00 रु०
	अकुशल श्रमिक	3.15 रु०	3.00 रु०
	*मैट को 3.60 रु०		
	*गैंगमिन को 3.30 रु०		

(ख) स्थानीय सिविल प्राधिकारियों द्वारा नियत की गयी बाजार दर क्षेत्र क्षेत्र के लिए अलग अलग है। मोटे तौर पर, उन क्षेत्रों में जो पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत आते हैं, कुशल श्रमिकों के लिए स्थानीय दरें 2.50 रु० से 5.40 रु० के बीच है, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 2.50 रु० से 4.50 रु० तक और अकुशल श्रमिकों के लिए 1.75 रु० से 3 रु० के बीच है। उन क्षेत्रों में जो मध्य रेलवे के अन्तर्गत आते हैं, कुशल श्रमिकों के लिए स्थानीय दरें 5 रु० से 7.36 रु० के बीच, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 4.25 रु० से 5.36 रु० के बीच और अकुशल श्रमिकों के लिए 3.45 रु० से 4.86 रु० के बीच हैं।

**द्विवेन्द्रम एरणाकुलम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करना और उसे
बड़ी लाइन बनाना**

908. श्री ए० के० गोपालन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार द्विवेन्द्रम एरणाकुलम रेलवे को मीटर गेज लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के साथ-साथ, उसके विद्युतीकरण के कार्य को भी आरम्भ करने का है;

(ख) क्या केरल सरकार ने विद्युतीकरण रेल पथ के लिए सस्ते मूल्य पर बिजली सप्लाई करने के लिए एक लम्बी अवधि वाला करार करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां ।

(ग) इस प्रस्ताव के आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ।

केरल के लिए नारियल जटा विकास योजना

909. श्री ए० के० गोपालन : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल नारियल जटा विकास योजना के वित्तीय परिव्यय के सम्बन्ध में योजना आयोग के अध्ययन दल की सिफारिशों को सामान्यता स्वीकार कर लिया है ।

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपना निर्णय अभी राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) अध्ययन दल की विभिन्न सिफारिशों पर लिये गये विनिश्चय गत वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में राज्य सरकार को सूचित कर दिये गये थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Litering of Beggars And Lepers At Lucknow, Sonapur, Gorakhpur And Muzaffarpur Stations

910. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether a large number of beggars and lepers loiter on the railway stations of Lucknow, Sonapur, Gorakhpur, Muzaffarpur and other stations of North Eastern Railway and

(b) if so, the steps being taken by Railway Administration to remove them from there ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) There are cases of beggars and lepers loitering on the railway stations of Lucknow, Sonapur, Gorakhpur, Muzaffarpur and other Stations of North Eastern Railway.

(b) The Ticket checking staff have been entrusted with the duty of evicting beggars and lepers from Railway premises.

In addition, frequent raids are conducted in collaboration with Government Railway Police and Railway Protection Force.

नये ऊपरी निचले पुलों का निर्माण करने के लिए केरल सरकार द्वारा अधिक धनराशि की मांग

911. श्री ए० के० गोपालन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने ऊपरी/निचले पुलों का निर्माण करने के लिये केन्द्र से अधिक धनराशि के आवेदन के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

रेलमन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) उनके हिस्से के 19.21 लाख रुपये की तुलना में 45.39 लाख रुपये।

(ग) रेल मंत्रालय ने केरल की राज्य सरकार को बताया है कि रेल संरक्षा निधि से प्रत्येक राज्य का हिस्सा पिछले अभिसमय समिति की सिफारिश पर और संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत फार्मूले के अनुसार विनिश्चित किया जाता है। रेल मंत्रालय को किसी राज्य सरकार का हिस्सा बढ़ाने का अधिकार नहीं है।

मुख्यमन्त्री का यह सुझाव कि यह फार्मूला नयी अभिसमय समिति के पास समीक्षा के लिए भेज दिया जाये, मान लिया गया है और यह मामला समिति के समक्ष पेश कर दिया गया है।

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के लिए भीमकुण्ड और रंगाली बांध परियोजना का काम तेज करना

912. श्री अर्जुन सेठी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हाल के विनाशकारी तूफान और बाढ़ों को देखते हुए सरकार ने बेतरणी और ब्राह्मणी नदियों पर बन रही क्रमशः भीमकुण्ड और रंगाली बांध परियोजनाओं के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कब तक आरम्भ कर दी जाएंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ करील) : (क) और (ख) : यह विचार किया गया है कि ब्राह्मणी पर रंगाली बांध और बेतरणी पर भीम कुण्ड बांध के प्राथमिकता के आधार निर्माण से इन नदियों में आई बाढ़ों के कारण हर साल होने वाली हानि काफी हद तक कम की जा सकती है। उड़ीसा सरकार ने इन बांधों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के कार्य को हाथ में ले लिया है। इन परियोजना रिपोर्टों की जांच और योजना आयोग द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात् इन परियोजनाओं पर कार्य हाथ में लिया जा सकता है।

झारगाम तथा कलाल कूण्डा रेलवे स्टेशनों (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के बीच गाड़ियों में लूट की घटनायें

913. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विशेष रूप से उत्कल एक्सप्रेस में दक्षिण-पूर्व रेलवे के झारगाम तथा कलालकुण्डा रेलवे स्टेशनों के बीच रेल गाड़ियों में बार-बार लूट की घटनायें होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। उत्कल एक्सप्रेस में हाल ही में हुए केवल दो मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(ख) अपराधी गिरोह का पता लगा लिया गया है और रेलवे पुलिस को इस गाड़ के साथ मार्ग रक्षी के रूप में चलने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं।

रेलवे बुक स्टालों के ठेकेदारों को लाइसेंस देना

914. श्रीमती मुकुल बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में रेलवे बुक स्टालों के कितने ठेकेदारों को लाइसेंस दे रखे हैं;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड की यह नीति है कि कार्य के सन्तोषजनक पाये जाने पर बुक स्टालों के ठेकेदारों के लाइसेंस निश्चित अवधि के लिए बढ़ा दिये जाते हैं, और

(ग) किस-किस ठेकेदार का काम सामान्यतया संतोषजनक पाया गया ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 257 ठेकेदार जिसमें 4 वेंडिंग ठेकेदार भी शामिल है।

(ख) रेलवे पुस्तक की दूकान के ठेकेदारों को दिये गये लाइसेंसों का नवीकरण करते समय सामान्यतः ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदारों द्वारा की गयी सेवा के गुणों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है बशर्ते कि ठेकेदार करार की शर्तों में किये जाने वाले वैसे परिवर्धनों, परिवर्तनों और आशोधनों से सहमत हो जैसा कि रेल प्रशासन जनहित में उचित समझे।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें व्यौरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1506-72]

ब्रिटेन द्वारा भारतीय हथकरघा वस्त्रों का आयात स्थगित करना

915. श्री नरेश कुमार सांघी : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय हथकरघा वस्त्रों का आयात स्थापित कर दिया है और भारतीय निर्यातकों को सुझाव दिया है कि ज। तक भारतीय कपड़े पर लगाये गये 15% अतिरिक्त शुल्क के प्रश्न पर निर्णय न हो जाये तब तक निर्यात स्थगित कर दिया जाय अथवा वैकल्पिक रूप से कीमत में 15% की कमी कर दी जाये;

(ख) क्या ब्रिटेन की सरकार की इस नीति का प्रभाव 57 लाख रुपये के उस पाल पर पड़ा है जो कि जहाजों में भरे जाने के लिये तैयार था और 50 लाख रुपये के उस पाल पर भी पड़ा है जो कि तैयार किया जा रहा था; और

(ग) क्या भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार के साथ यह प्रश्न उठाया है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री. ए. सी. जार्ज): (क) से (ग): जनवरी, 1972 से ब्रिटेन की सरकार ने भारत तथा अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों से आयात होने वाले सूती वस्त्रों पर एक नया सीमा शुल्क टैरिफ लागू कर दिया है। तथापि, ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय हथकरघा सूती वस्त्रों तथा हथकरघा रेशमी वस्त्रों के सम्बन्ध में 1972 के लिए क्रमशः 10 लाख वर्ग गज और 40 000 वर्ग गज की अधिकतम सीमा तक शुल्क मुक्त प्रवेश का प्रस्ताव किया है। उनकी प्रस्थापना के अन्तर्गत इनका शुल्क मुक्त प्रवेश भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार के बीच करार के पूरा होने पर निर्भर है।

तथापि प्रस्तावित शुल्क मुक्त बड़े गत वर्षों में हुए हमारे वास्तविक निर्यातों की तुलना में अत्यधिक कम हैं और इसकी व्याप्ति सदिग्धता से मुक्त भी नहीं है। ब्रिटिश सरकार को इस बात को राजी करने के लिए कि वे हमारे सभी हथकरघा माल को अप्रतिबंधित शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दें किये गये हमारे सभी प्रयास अभी तक सफल नहीं हो सके हैं।

फिर भी, भारत सरकार बराबर इस बात का प्रयास कर रही है कि ब्रिटिश सरकार के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य कोई हल निकल आये।

ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये उपायों द्वारा व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का ठीक-ठीक प्राक्कलन नहीं दिया जा सकता।

लदान के स्थान पर माल-भाड़े की अदायगी

916. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि अब तक की प्रथा के अनुसार पहुंच-स्थान पर माल भाड़ा दिये जाने के बजाये लदान के स्थान पर अदा किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाद में अदायगी की पहली व्यवस्था से रेलों को क्या वित्तीय कठिनाइयां पेश आती थीं और नई योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से वित्तीय लाभों या प्रशासनिक सुविधाओं की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री० के० हनुमन्तैया) (क) इस समय 362 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका भाड़ा पहले से दिया जाना अनिवार्य है। यह विनिश्चय किया गया है कि 1 अप्रैल, 1972 से अनिवार्यता: पहले से भाड़ा देने की यह शर्त कम मूल्य की 26 और वस्तुओं पर भी लागू कर दी जाये।

(ख) और (ग) कम मूल्य वाली 26 और वस्तुओं पर अनिवार्यता: पहले से भाड़ा देने की शर्त लागू करने के कारण और इस विनिश्चय के परिणामस्वरूप रेलों को उपदित मुख्य लाभ इस प्रकार हैं :-

- (1) बुकिंग के समय भाड़े का पहले से भुगतान हो जाने पर रेलों में बकाया भाड़े की राशि कम हो जायेगी। लोक लेखा समिति (पांचवी लोक सभा) ने अपनी 11 वीं रिपोर्ट की सिफारिश सं० 15 में विशेष रूप से यह कहा है कि :-

“समिति ने नोट किया है कि रेलों कुछ कोटी के परेषणों पर पहले से भाड़ा देने पर जोर देती रही हैं। समिति चाहेगी कि अन्य देशों में लागू प्रथा के अनुसार रेलवे बोर्ड कुछ और वस्तुओं पर भी इस प्रथा को लागू करने की व्यावहारिकता पर विचार करे।

- (2) कभी कभी माल पाने वाला माल की सुपुर्दगी लेने में विलम्ब कर देता है। इस बीच, परेषण पर विलम्ब शुल्क और स्थान शुल्क लग जाता है। माल का मूल्य बहुत कम होने के कारण रेलें इस शुल्क को वसूल करने की स्थिति में नहीं रही और उसे पूर्णतः अथवा अंशतः छोड़ देना पड़ता है।
- (3) जब माल पाने वाला माल की सुपुर्दगी नहीं लेता तो सार्वजनिक नीलामी द्वारा उसका निपटारा कर दिया जाता है। एक तो माल का मूल्य कम होता है और दूसरे माल भेजने वाले/माल पाने वाले को सुपुर्दगी का नोटिस जारी करने से लेकर नीलाम द्वारा बिक्री की अधिसूचना जारी होने तक के समय के बीच जब तक माल पड़ा रहता है, तब तक खराब होता रहता है। ऐसे मामलों में रेलों को स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क की बात तो दूर उस माल की बिक्री से अपना भाड़ा भी वसूल नहीं हो पाता।
- (4) जब भाड़ा पहले से दिया जा चुका होगा, तो माल पाने वाला बिना विलम्ब किये माल की सुपुर्दगी लेने में अधिक रुचि लेगा और इससे माल-डिब्बे शीघ्र खाली हो सकेंगे।

संविधान का प्राधिकृत हिन्दी पाठ

917. श्री एस० सी० सामन्त : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति ने संविधान के अधिप्रमाणित हिन्दी पाठ के प्रकाशन के बारे में क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा और संविधान का नवीनतम हिन्दी पाठ कब तक उपलब्ध होगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराजसिंह चौधरी) : (क) विधि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति ने भारत के संविधान के अधिप्रमाणित हिन्दी पाठ के प्रकाशन के बारे में कोई विनिर्दिष्ट सिफारिश नहीं की है। किन्तु सरकार भारत के संविधान के प्राधिकृत और नवीनतम हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चूँकि प्रकाशित किये जाने के लिए प्रस्थापित, संविधान के हिन्दी अनुवाद को प्राधिकृत रूप देने के लिए संसदीय विधान अधिनियमित किया जाना होगा अतएव यह कहना सम्भव नहीं कि भारत के संविधान का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करना कब तक सम्भव होगा। इस प्रयोजन के लिए संसद में आवश्यक विधान लाने का प्रश्न विचाराधीन है।

विभिन्न अधिनियमों के हिन्दी संस्करण

918. श्री एस० सी० सामन्त : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न अधिनियमों के सरल हिन्दी में, हिन्दी संस्करण प्रकाशित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : भारत सरकार के विधि मंत्रालय के संकल्प सं० एफ 39161:प्राश01 तारीख 8 जून, 1961 द्वारा गठित राजभाषा (विधायी) आयोग को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों तथा विनियमों जो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित हों, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करना है। आयोग ने अब तक 302 केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद तैयार किए हैं जिनमें से 192 अनुवाद राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) की धारा 5 के अधीन, राष्ट्रपति के प्राधिकार से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जा चुके हैं। केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवादों में आयोग द्वारा प्रयुक्त विधिक पद ऐसे हैं जो विचार-विमर्श और अनुवादों को अन्तिम रूप देने के दौरान आयोग द्वारा तैयार किए गए हैं और इन पदों का प्रयोग विशुद्धता, संक्षिप्तता और सरलता का सम्यक ध्यान रखकर किया जाता है।

निर्यात में सफलता का दावा

919. श्री एस० सी० सामन्त :

श्री अमरनाथ चावला :

क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स', दिनांक 28 फरवरी, 1972 में "आर० बी० आई० डिखलेम्स मेजर एक्सपोर्ट ब्रेक थु" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : एक वक्तव्य 14 मार्च, 1972 को सभा पटल पर रखा गया था (प्रति संलग्न है)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1507/72]

तम्बाकू निगम की स्थापना

921. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या विदेश व्यापार मन्त्री 25 नवम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 352 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी एजेंसी ने तम्बाकू निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार से सरकारी क्षेत्र में एक तम्बाकू निगम की स्थापना करने की सिफारिश की है; और

(ख) सिफारिश की मुख्य विशेषतायें क्या हैं तथा सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

गंगा को ब्रह्मपुत्र से मिलाने की योजना

922. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा को ब्रह्मपुत्र से मिलाने वाली योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) अन्तिम रिपोर्ट के कब तक तैयार होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरीठ) : (क) और (ख) : केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने "तीस्ता बहुद्देशीय बराज परियोजना" नामक एक स्कीम तैयार की थी । इससे पश्चिम बंगाल में गजलडोवा के निकट तीस्ता नदी पर, इसके दोनों किनारों से दो मुख्य नहरें निकालते हुए और उन्हें बाएं किनारे पर ब्रह्मपुत्र से और दायें किनारे पर गंगा (फरक्का के पास) से जोड़ते हुए, 3070 फुट लम्बे बराज का निर्माण परिकल्पित था । नौवहन सुविधाओं की व्यवस्था के अतिरिक्त, इससे बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में 22.8 लाख एकड़ (सी० सी० ए०) क्षेत्र की सिंचाई की जानी थी । मुख्य नहरों के साथ-साथ प्रधान प्रपातों पर स्थित विद्युत घरों में 64 मेगावाट (स्थायी विद्युत) तक का जल-विद्युत जनन भी विकसित किया जाना था । चूंकि स्कीम की अनुमानित लागत 357 करोड़ रुपये थी, इसलिए सिंचाई के पक्ष को प्रथम प्राथमिकता देते हुए इसे उपयुक्त चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने परियोजना के सिंचाई पक्ष के बारे में आगे भी अन्वेषण-कार्य चलाए और 'तीस्ता बराज परियोजना' (प्रथम चरण) पर एक परियोजना रिपोर्ट दी । प्रथम चरण पर 44.6 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसमें, महानन्दा नदी तक एक सम्पर्क नहर सहित, गजलडोवा में तीस्ता पर एक बराज और 7.5 लाख एकड़ (सी० सी० ए०) की सिंचाई के लिए एक नहर प्रणाली सहित सोनापुरहाट में महानन्दा पर एक दूसरा बराज सम्मिलित है ।

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने, जिसने पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी टिप्पणी भेज दी है, रिपोर्ट की तकनीकी जांच कर ली है । इन टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है ।

दिनहाटा (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) से पटसन की दुलाई के लिये बैंगनों की सप्लाई

923. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को मालूम है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे दिनहाटा स्टेशन से

पटसन की ढुलाई के लिये वैगनों की सप्लाई के सम्बन्ध में, रेलवे अधिकारियों ने अन्य लोगों के दावों की उपेक्षा करते हुए केवल जी० के० जूट सप्लाईज नामक कम्पनी के लिये ही वैगन दिए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलमन्त्री (श्री के० हनुमन्तेश) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल से चाय के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

924. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर बंगाल में स्थित चाय बागानों से चाय के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : इस समय चाय के निर्यात आंकड़ों का जो संकलन किया जाता है उसमें विंशी मुद्रा आर को राज्य वार नहीं दिखाया जाता।

पड़ौसी राज्यों द्वारा आणविक बिजली घरों में हिस्सा बटाना

925. श्री एन० शिवप्पा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया कि आणविक विजलीघरों की बिजली पड़ौसी राज्यों में बाँटी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों ने उनके क्षेत्र में स्थित परमाणु विद्युत् केन्द्र से विद्युत् के हिस्से की मांग की है। परमाणु ऊर्जा आयोग ने उन राज्यों को, जहाँ ऐसे केन्द्र स्थित हैं, विद्युत् सप्लाई के सम्बन्ध में पहले ही कुछ वायदे किए हैं। ये वायदे पूरे किये जा रहे हैं। राज्यों को विद्युत् की शेष मात्रा क्षेत्र में उपलब्ध होगी। भविष्य के परमाणु विद्युत् केन्द्रों के लिए विद्युत् का आवंटन क्षेत्र में राज्यों की मांग और कमी को दृष्टि में रख कर किया जाएगा।

विभिन्न राज्यों में रुई की खरीद

926. श्री एन० शिवप्पा :

श्री के० मालन्ना :

क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में रुई खरीदने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसे उत्पादकों से सीधे खरीदेगी अथवा एजेंटों के माध्यम से खरीदेगी; और

(ग) कितनी रुई खरीदने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग) भारतीय रुई निगम रुई खरीदने के लिए विभिन्न राज्यों के बाजारों में पहले ही प्रवेश कर चुका है । निगम की नीति उपजकर्ताओं की सहकारी समितियों के माध्यम से वाणिज्यिक आधार पर बिक्री योग्य सारी रुई खरीदी जायेगी क्योंकि यह इस पर निर्भर करेगा कि कितनी रुई मिलती है, उसकी कीमतें क्या हैं और क्वालिटी कैसी है ।

रेशम और रेयन के निर्यातकर्ताओं की अधिकार-पत्र

927. श्री एन० शिवप्पा : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने हाल ही में सिफारिश की है कि निर्यातकर्ताओं को संश्लिष्ट धागा प्राप्त करने के लिए रिलीज आर्डर जारी करने की अपेक्षा अधिकार पत्र जारी किये जाने चाहिए; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

समुद्रपारीय पूंजी निवेश निगम की स्थापना

928. श्री एन० शिवप्पा :

श्री के० मालन्ना :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु भारतीय उद्योग की सहायता करने के लिए समुद्रपारीय पूंजी निवेश निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है तथा उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस निगम के कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) समुद्रपार पूंजी निवेश निगम स्थापित करने की कोई भी प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू के स्टॉक की खरीदना

929 श्री के० सूर्यनारायण :

श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू के विशाल भंडार उत्पादकों के पास बिना बिके पड़े हैं, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वह राज्य व्यापार निगम के माध्यम से उत्पादकों के पास पड़े बिना बिके तम्बाकू के भंडार को खरीद ले; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत वर्ष के मुकाबले में तम्बाकू के उत्पादन में 50% अधिक वृद्धि होने के कारण, उपजकर्त्ता अपना भंडार अभी तक नहीं बेच पाये हैं।

(ख) जी हाँ।

(ग) तम्बाकू बाजार को सुस्थिर करने के लिए, सरकार ने राज्य व्यापार निगम को तुरन्त तम्बाकू की खरीद आरम्भ करने के निदेश दिये हैं। राज्य व्यापार निगम ने तम्बाकू खरीदना शुरू कर दिया है।

भारत और बंगाल देश के बीच फरक्का बांध परियोजना के बारे में वार्ता

930 श्री सी० टी० दण्डपाणि :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांगला देश और भारत के बीच फरक्का बांध परियोजना के बारे में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय लिए गए ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि दोनों देशों द्वारा सांक्षी नदी प्रणालियों के व्यापक सर्वेक्षण करने, बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्रों में दोनों देशों से संबंधित परियोजनाएँ तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए स्थायी तौर पर दोनों ही देशों के विशेषज्ञों की एक संयुक्त नदी आयोग की स्थापना की जाए।

दोनों देशों के विशेषज्ञ अग्रिम बाढ़ चेतावनी और बाढ़ पूर्वसूचना पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेंगे, बृहत् नदी प्रणालियों पर बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे और भारत के सहवर्ती क्षेत्रों के साथ बंगला देश के विद्युत ग्रिडों को जोड़ने की सम्भाव्यता की जांच करेंगे ताकि दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए साम्यिक आधार पर क्षेत्र के जल संसाधनों का समुयोजन किया जा सके।

**बांधों में गहराई तथा गहरे दरारों का अनुमान लगाने के लिए शीघ्रगामी
उपाय का आविष्कार**

931 श्री सी० टी० दण्डपाणि :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्रों ने अनेक बांधों जैसे विशाल निर्माणों में गहराई तथा गहरे दरारों का अनुमान लगाने के लिए एक शीघ्रगामी उपाय का आविष्कार तथा उसका सफल प्रयोग भी किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस उपाय से बड़े बड़े बांधों में दरारों की समस्या को हल करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हाँ।

(ख) कुछ बांधों में दरारों का पता लगाने के और दूसरे तरीकों के पूरक रूप में यह तरीका, जिसका उपयोग केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान संस्थान, पूना ने किया है, सक्रिय परीक्षण तकनीकों के क्षेत्र में एक परिवर्धन है।

धनबाद तथा गया रेलवे स्टेशनों के बीच आरक्षण कोटे में वृद्धि

932. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद तथा गया रेलवे स्टेशनों से कालका मेल, सियालदह-पठानकोट एक्सप्रेस और डीलक्स गाड़ियों में दिल्ली तथा अन्य स्टेशनों के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों (तीन टायर तथा दो टायर) में आरक्षण हेतु कितना कितना कोटा है;

(ख) क्या इस कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी होगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1508/72]

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पटना जंक्शन और पटना शहर रेलवे स्टेशनों के आरक्षण कोटे में वृद्धि

933. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पटना जंक्शन और पटना शहर रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली सभी गाड़ियों में उक्त स्टेशनों का प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी (तीन टायर और दो टायर) का आरक्षण कोटा कितना है; और

(ख) क्या इस कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है ।
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 15(9/72)]

(ख) जी नहीं

हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस और अपर इंडिया एक्सप्रेस गाड़ियों में तीसरे दर्जे के शयन-यानों और भोजन यानों की व्यवस्था करना

934. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 11 अप/12 डाउन हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस और 13 अप/14 डाउन अपर इंडिया एक्सप्रेस गाड़ियों के तीसरे दर्जे के शयन यानों (दो टायर तथा तीन टायर वाले दोनों) की व्यवस्था करने की व्यवहार्यता का परीक्षण किया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार हावड़ा मेल आसाम मेल और अपर इंडिया एक्सप्रेस गाड़ियों में भोजन यानों की व्यवस्था करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 11 अप/12 डाउन हावड़ा दिल्ली और 13 अप/14 डाउन अपर इंडिया एक्सप्रेस गाड़ियों में तीसरे दर्जे के 2-टियर और 3-टियर शयन यान पहले से ही चल रहे हैं ।

(ख) मुगलसराय और नई दिल्ली के बीच हावड़ा-दिल्ली कालका मेल और असम मेल के मीटर लाइन वाले भाग पर भोजन यान सेवा की पहरे से ही व्यवस्था है । अपर इंडिया एक्सप्रेस गाड़ियों पर भोजनयान की व्यवस्था करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पटना सिटी रेलवे स्टेशन के पश्चिम में नाला संख्या 102 पर बिजली का प्रबन्ध

935. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय जनता द्वारा अनेक बार यह अनुरोध किये गये हैं कि पटना सिटी रेलवे स्टेशन के पश्चिम में नाला संख्या 102 पर 'मेन होल' बनाए जाएं और बिजली की व्यवस्था की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) इस तरह का कोई अनुरोध रेल प्रशासन को नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जूट के निर्यात शुल्क में वृद्धि

936. श्री पी० के० देव : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में जूट पर हमारे निर्यात शुल्क में कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) उसके परिणामस्वरूप यदि जूट के निर्यात पर कुछ प्रभाव पड़ा है तो कितना; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान "इकनामिक टाइम्स", दिनांक 20 दिसम्बर, 1970 में इस बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कालीन अस्तर तथा हैसियत पर, 13-12-1971 से 200 रुपये प्रति मे० टन निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

लौह-अयस्क के मूल्य में वृद्धि के बारे में जापान से बातचीत

937. श्री पी० के देव : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान को किस मूल्य पर लौह-अयस्क दिया जाता है :

(ख) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने लौह-अयस्क का मूल्य बढ़ाने के लिये जापानी क्रेताओं से फिर से बातचीत प्रारम्भ की है; और

(ग) यदि हां, तो जापान सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लौह अयस्क की निर्यात कीमत कई बातों पर निर्भर करती है जैसे निर्यातित लौह अयस्क की श्रेणी, पत्तन का स्थान जहाँ से यह निर्यात किया जाता है, उतार-लदान का व्यय आदि । अप्रैल से सितम्बर, 1971 में जापान को निर्यातित सभी श्रेणियों के लौह अयस्क की जहाज पर कीमत 55.40 रु० प्रति मे० टन है ।

(ख) तथा (ग) : डालर अवमूल्यन के पश्चात, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने विद्यमान लौह-अयस्क संविदाओं में कीमतों में उपयुक्त वृद्धि करने हेतु जापानी क्रेताओं से कहा है और इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में बातचीत होने की सम्भावना है ।

**जोगिन्दर नगर विद्युत संयंत्र को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश
सरकारों के बीच विवाद**

938. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान जोगिन्दर नगर विद्युत संयंत्र पर दावे को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों के बीच विवाद की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विवाद है; और

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : पंजाब पुनर्गठन और संयुक्त पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के समापन के परिणामस्वरूप जोगिंदर नगर विद्युत केन्द्र (हिमाचल प्रदेश में स्थित) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकारी पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को आवंटित किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभ्यावेदन दिया है कि यह विद्युत केन्द्र उन्हें हस्तांतरित किया जाना चाहिए। अभ्यावेदन जांच करने के पश्चात यह निर्णय किया गया था कि मूल आवंटन ज्यों का त्यों रहना चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर में ग्रामीण विद्युतीकरण

939. श्री के० मालन्ना : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कुल कितने गांवों में बिजली लगाई गई;

(ख) क्या और अधिक गांवों में बिजली लगाने के लिए मांग की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना का और विस्तार करने का है और यदि हां, तो प्रस्तावित विस्तार की रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंज नाथ कुरील) : (क) चतुर्थ योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में सिंचाई पम्पों के विद्युतीकरण पर बल दिया जाना जारी है, ग्रामों का विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक आनुषंगिक भाग है। मैसूर में 31-1-1972 तक 144821 सिंचाई पम्प और 9463 ग्राम विद्युतीकृत हुए।

(ख) और (ग) मैसूर तथा अन्य राज्यों में भी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की बहुत मांग है। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए राज्य योजना में व्यवस्थित परिव्ययों के अतिरिक्त भारत सरकार ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए योगात्मक धन देती है। निगम ने अभी तक एक पाइलट ग्राम विद्युत सहकारिता समेत मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड की 12 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों स्वीकार की हैं, जिनमें 14035 सिंचाई पम्पों और 760 लाख रुपये की ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा दिए गए अतिरिक्त परिव्ययों के परिणामस्वरूप तथा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अन्य वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं से लिए धन के परिणामस्वरूप, बोर्ड का 1971-72 के दौरान कुल 2000 ग्रामों और 1972-73 के दौरान कुल 2000 ग्रामों को विद्युतीकृत करने का विचार है जब कि 1969-70 में 416 ग्राम और 1970-71 में 657 ग्राम विद्युतीकृत किए गए थे।

दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन

940. श्री के० मालन्ना : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के बारे में 29 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 794 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने

की कृपा करेंगे कि इस मामले में और क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों भागीदार राज्यों में लोकप्रिय सरकारों के गठन तक दामोदर घाटी निगम के क्रियात्मक आधार पर पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करना स्थगित रखा गया था। दोनों राज्यों में लोकप्रिय सरकारों के गठन हो जाने के पश्चात अब इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा।

मैसूर राज्य में नदी जल परियोजनायें

941. श्री के० मालन्ना : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्ष योजना के लिए नदी जल परियोजनाओं सम्बन्धी कोई योजनाएं मैसूर सरकार ने केन्द्र को भेजी हैं;

(ख) यदि हाँ तो क्या केन्द्र सरकार ने उन पर विचार कर लिया है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये उक्त राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ।

(ख) योजना आयोग द्वारा अभी तक चतुर्थ योजनावधि में, मैसूर की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिए निम्नलिखित नई सिंचाई परियोजनाएं स्वीकार की गई हैं।

परियोजना का नाम	लागत (लाख रुपयों में)	लाभ (एकड़)
1. मंचनावाले बहुद्देशीय जलाशय परियोजना,	237.36	7000
2. ताराका जलाशय परियोजना,	170.00	18000
3. सागरेडाडाकेरा जलाशय परियोजना	49.28	2000
4. गुंडल जलाशय परियोजना	192.15	10000
5. बोटेहोले परियोजना	205.00	13000

(ग) सिंचाई एक राज्यगत विषय है और राज्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी खास सेक्टर अथवा परियोजना के लिये नहीं होती। मैसूर के वास्ते 1971-72 के लिये योजना परिव्यय 70 करोड़ रुपये का है जिसमें से केन्द्रीय सहायता 34.6 करोड़ रुपये की है।

सिले सिलाये हथकरघा कपड़ों का निर्यात

942. श्री के० मालन्ना : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले सिलाये भारतीय हथ-करघा-कपड़े कुल देशों में लोकप्रिय हो रहे हैं उनका निर्यात बढ़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो किन देशों में वे लोकप्रिय हो रहे हैं; और

(ग) ऐसे कपड़ों का निर्यात और बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश स्वीडन, डेनमार्क, ब्रिटेन, नार्वे, स्विटजरलैंड तथा अमरीका ।

(ग) वर्तमान उपायों को जारी रखने के अतिरिक्त, जो अन्य उपाय किये गये हैं उनमें विदेशों में आयोजित किये जाने वाले मेरों तथा फैशन प्रदर्शनों में भाग लेना तथा विदेशी क्रेता दलों का भारत बुलाये जाने का प्रबन्ध करना भी शामिल है ।

विदेशी तथा देशीय चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण

943. श्री के मालन्ना : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी तथा देशी चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्णय सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिहायशी उद्देश्यों के लिये आफिसर केरिजों का दुरुपयोग

944. श्री अजीज इमाम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1971 से जनवरी, 1972 के दौरान इलाहाबाद डिवीजन में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने रिहायशी प्रयोजनों के लिए आफिसर इंस्पेक्शन केरिजों का दुरुपयोग किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने केरिजों के दुरुपयोग को दुरुत्साहित करने हेतु क्या कार्यवाही की है और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

रेलमन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) नवम्बर, 1971 से जनवरी, 1972 तक की अवधि के दौरान जब निरीक्षण यानों की निरीक्षण/यातायात के काम के लिए जरूरत नहीं थी तब इलाहाबाद मंडल में अधिकारियों द्वारा इन यानों का उपयोग अस्थायी आवास के लिए किया गया था । इनका कोई दुरुपयोग नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन पर पासंग काय के लिये श्रमिकों को अपर्याप्त सप्लाई

945. श्री अजीज इमाम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन पर पार्सल कार्य के निपटाने के लिए श्रमिकों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण मई 1971 से कई एक पैकेज क्षतिग्रस्त हुए हैं और रेलवे को उनके मुआवजे के रूप में भारी राशि देनी पड़ी थी;

(ख) स्टेशन पर प्रतिमास कितने पैकेज रुके पड़े रहे और मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(ग) क्या पार्सल कार्य निबटाने के लिये नियुक्त ठेकेदार पर्याप्त श्रमिकों को नहीं दे सका है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

रेलमन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) कुछ अवसरों पर अधिक यातायात की निकासी के लिए जब मजदूरों की माँग की गयी तो सप्लाई ठेकेदार अतिरिक्त मजदूर सप्लाई नहीं कर पाये। ऐसे एक अवसर पर यातायात के जमघट की निकासी के लिए विभागीय मजदूर लगाये गये और विभागीय मजदूरों का खर्च ठेकेदार से वसूल किया गया। दो अवसरों पर ठेकेदार पर जुर्माना किया गया। इसके अलावा ठेकेदार को समय-समय पर चेतावनी पत्र भी जारी किये गये। ठेकेदार के काम पर बराबर निगाह रखी जा रही है और भविष्य में गलती करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

रेलवे बोर्ड के सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध प्रतिवेदन

946. श्री अजीज इमाम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खंडीय रेलवे और रेलवे बोर्ड में सतर्कता निरीक्षकों के चयन के लिए अपनाई गई कसौटी क्या है :

(ख) क्या सतर्कता निरीक्षकों का चयन स्थायी आधार पर अथवा एक विशिष्ट अवधि के लिए किया जाता है ; और

(ग) क्या वर्ष 1970-71 के दौरान किसी सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध संसद सदस्यों से भ्रष्टाचार के कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे और यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है।

रेलमन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) सतर्कता निरीक्षक केवल एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं जो 4 वर्ष की होती है और जिसे विशेष गुणों वाले अलग-अलग मामलों में 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आवश्यकता होने पर उनकी अवधि समाप्त होने से पहले भी उन्हें अपने मूल विभाग/अपनी मूल रेलवे में वापस भेजा जा सकता है।

(ग) 1970-71 अर्थात् अप्रैल, 1970 से मार्च 1971 तक अवधि में किसी संसद सदस्य की ओर से रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय के किसी जांच निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

विवरण

(1) क्षेत्रीय रेलों में सतर्कता निरीक्षकों का प्रवरण उन रेल कर्मचारियों अथवा पुलिस कार्मिकों में से किया जाता है जो वास्तव में उपयुक्त होते हैं और जिनकी सतर्कता कार्य में रुचि होती है। इस प्रवरण का महाप्रबन्धक द्वारा वैयक्तिक अनुमोदन किया जाना चाहिए। ये कार्मिक उपयुक्त कोटि के रेल कर्मचारियों और राज्य पुलिस कर्मचारियों में से लिये जाने चाहिए। इन शर्तों के अधीन वास्तविक भर्ती किस प्रकार की जाये, इसका निर्णय सम्बन्धित रेल प्रशासनों को करना होता है।

(2) रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय में जांच निरीक्षकों के पद विशिष्ट कोटि के रेल कर्मचारियों और राज्य पुलिस के कार्मिकों में से भरे जाते हैं। ऐसा करते समय उनकी सत्यनिष्ठा, सेवा का अभिलेख और सतर्कता कार्य करने में उनकी सहमति और रुचि का कथोचित ध्यान रखा जाता है और इसके लिए महानिदेशक, सतर्कता, रेलवे बोर्ड का वैयक्तिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

इलाहबाद डिविजन में माल डिब्बों पर परिचालन सम्बन्धी प्रतिबन्ध और उनकी बुकिंग सम्बन्धी प्राथमिकता का उल्लंघन

947. श्री अजीज इमाम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971-72 में इलाहबाद डिविजन से परिचालन प्रतिबन्धों के विरुद्ध और प्राथमिकता की प्रणाली के उल्लंघन में, बड़ी संख्या में माल डिब्बों को बुक किया गया, पुनः बुक किया गया और अन्यत्र स्थानों को भेजा गया ;

(ख) क्या नियमों में उदारता बरतों के लिए ऐसा किया गया था और क्या नियमों में उदारता बरतने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली गई थी ; और

(ग) वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971-72 में कितने माल डिब्बों के लिए नियमों में उदारता बरती गई थी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ईरान को बिजली के पंखों के निर्यात में कमी

948. श्री पम्पान गौडा : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान को बिजली के पंखों के निर्यात में कमी हो रही है : और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री श्री ए. सी. जार्ज : (क) तथा (ख) : वर्ष 1968-69 में भारत से ईरान बिजली के पंखों के निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। यह गिरावट

मुख्यतः पूर्ति के अन्य स्त्रोतों विशेषतः जापान तथा हंगरी से कड़ी प्रतियोगिता के कारण आई थी।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुधार करना

949. श्री सी० चित्ति बाबू : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1970 में संसद के समक्ष रखे गए निर्यात नीति संकल्प में वर्णित निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए लाइसेंस देने और अन्य प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है : और

(ख) पिछले 18 महीनों में इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप निर्यात की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए.सी. जाज) : (क) लाइसेंसिंग तथा अन्य प्रक्रियाओं को और अधिक सुप्रवाही बना दिया गया है। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें उसकी मुख्य बातें दर्शायी गई हैं।

(ख) निर्यात निष्पादन अनेकों कारणों से प्रभावित होता है। अतः गत 18 महीनों में लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में किए गए सुधार के परिणामस्वरूप निर्यातों में परिमाणात्मक वृद्धि का आकलन करना संभव नहीं है।

विवरण

पूँजीगत माल और कच्चे माल, संघटक तथा फालतू पुर्जों के आयात हेतु लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और अधिक सुप्रवाही बनाया गया है ताकि देरी को कम किया जा सके और निर्माता-निर्यातक अपनी निर्यात जरूरतों के अनुसार आयात आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकें। जो मुख्य परिवर्तन किए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं :

1. पूँजीगत माल के आयातों के सम्बन्ध में, तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा स्वदेशी दृष्टिकोण से दी गई अनुज्ञा, पूँजीगत माल (सी. जी.)। पूँजीगत माल तदर्थ समिति द्वारा मामले को निपटाये जाने की तारीख से 12 माह की अवधि तक वैध होती है और न कि उस तारीख से जिस को तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा आयात आवेदन पत्र की जांच की गई थी।

2. जहाँ आयात किए जाने वाले पूँजीगत माल का मूल्य 7.5 लाख रुपये से अधिक होता है वहाँ आवेदक को अपनी आवश्यकताएं विज्ञापित करनी होती हैं ताकि यदि स्थानिक निर्माता उस माल की पूर्ति करने की स्थिति में हो तो उसे इसके लिए अवसर मिल जाए। यह भी विनिश्चय किया गया है कि ऐसे मामलों में जहाँ पूँजीगत माल के आयात करने हेतु आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से निबटाये जाने में समय लगता है और इस दौरान स्वदेशी दृष्टिकोण से दी गई अनुज्ञा की वैधता समाप्त हो जाती है वहाँ आवेदक को दुबारा विज्ञापन नहीं देना होगा। ऐसे मामलों में, तकनीकी विकास के महानिदेशालय से पुनः स्वदेशी दृष्टिकोण से अनुज्ञा प्राप्त करना पर्याप्त होगा।

3. एक सुविधा दी गई है जिसके अनुसार निर्माता अपने प्रतिपूर्ति लाइसेंस की कीमत के मुकाबले अपने वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस में दिए गए कच्चे माल की मदों की, विहित शर्तों के अधीन, लाइसेंसिंग प्राधिकारी से उस सम्बन्ध में मंजूरी प्राप्त किए बिना स्वतः आयात कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से निर्माता लाइसेंसिंग औपचारिकताओं में जाये बिना, उत्पादन तथा निर्यात आवश्यकताओं के अनुसार वस्तु का आयात कर सकता है।

4. पंजीकृत निर्यातकों को अग्रिम लाइसेन्स, जिनका मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक न हो, जारी करने की शक्ति क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को सौंप दी गई है ताकि निर्यात क्रयादेश के निष्पादन हेतु निर्यातक आवश्यक कच्चा माल समय पर प्राप्त कर सके।

5. प्राथमिकता क्षेत्र में, वास्तविक उपभोक्ता, प्राधिकारी की सिफारिश प्राप्त किये बिना और जिस मशीन की रख रखाव के लिए फालतू पुर्जें आयात करने हैं उसका विवरण दिए बिना, आवृत्ति आधार पर फालतू पुर्जें आयात करने के लिए आवेदन दे सकता है।

6. जैसाकि लघु क्षेत्र में है, बड़े क्षेत्र के गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे हुए औद्योगिक एककों को भी वार्षिक आधार पर कच्चे माल की अपनी आयात आवश्यकताएं प्राप्त करने की अनुमति दी गई है ताकि वे अपने उत्पादन की योजना अपेक्षाकृत अच्छी तरह तैयार कर सकें।

7. एक प्रक्रिया चालू की गई है जिसके अनुसार, इंजीनियरी उद्योग में लगे निर्माता निर्यातोन्मुख उत्पादन हेतु इस्पात की अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता आधार पर प्राप्त कर सकते हैं।

8. पंजीकृत निर्यातकों द्वारा आयात प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र देने की समय सीमा को 2 से 3 महीने कर दिया गया है और देर से प्राप्त तथा अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर कटौती करने की पद्धति को काफी उदार बना दिया गया है।

9. पात्र निर्यात सदनों के लिए आयात सुविधाएं प्रदान करने की प्रणाली को और अधिक विस्तीर्ण कर दिया गया है ताकि ये निर्यात सदन अधिक विविधतापूर्ण स्तर पर निर्यातों को बढ़ा सकने की स्थिति में हो जाएं।

10. अन्य निर्यातकों की तरह, हीरे तथा जवाहरात के निर्यातक भी आयात प्रतिपूर्ति लाइसेन्सों के लिए सीधे ही लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के पास आवेदन पत्र भेज सकते हैं और इसके लिए निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से आवेदनपत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है।

11. सामान्य मुद्रा क्षेत्र और रुपया भुगतान क्षेत्र के सम्बन्ध में कच्चे माल, संघटक तथा फालतू पुर्जें के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों की मान्यता तिथि को 12 माह से बढ़ा कर 18 माह कर दिया गया है।

12. लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को यह अनुदेश जारी कर दिये गए हैं कि अन्तरिम राहत के रूप में, आयकर सत्यापन प्रमाणपत्र पेश करने की प्रत्याशा में 12 माह की अवधि के लिए आयात लाइसेंस, आवेदकों से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार किए बिना जारी कर दिए जाएं।

रेलवे विभिन्न विभागों में तदर्थ भर्ती के लिये नीति

950. श्री सी. चित्तिबाबू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के सिविल, मैकेनिकल, आपरेटिंग और स्टोर्ज विभागों में तदर्थ भर्ती सम्बन्धी नीति क्या है; और

(ख) आई. आर. एस. ई. टी. टी. सी. डी. और अन्य सम्बन्ध सेवाओं की भर्ती के लिए नियम क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) रेलों पर अराजपत्रित सेवाओं के लिए भर्ती निर्धारित पद्धति के अनुसार की जाती हैं अर्थात् तीसरी श्रेणी के सभी पद रेल सेवा आयोगों/ पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर भर्ती समिति के माध्यम से तथा चतुर्थ श्रेणी के सभी पद विधिवत गठित प्रवरण बोर्डों/विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में जाँच समितियों द्वारा भरे जाते हैं। फिर भी रेलों को यह अधिकार दिया हुआ है कि वे अनुग्रह के आधार पर और साथ ही कुछ श्रेष्ठ खिलाड़ियों की भर्ती कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार की नियुक्तियों की अभिपुष्टि रेल सेवा आयोगों द्वारा होनी चाहिए।

(ख) जहां तक राजपत्रित सेवाओं का सम्बन्ध है, इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा, भारतीय रेल यातायात सेवा और दूसरी प्रथम श्रेणी की सेवाओं में रिक्त पदों का 66 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है और शेष 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत श्रेणी—II के उपयुक्त अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

निर्माण परियोजनाओं में तदर्थ आधार पर भर्ती किये गये अधिकारियों का खपाया जाना

951. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तदर्थ आधार पर भर्ती किये गये अधिकारियों को खपाने के विचार से रेलवे बोर्ड ने निर्माण परियोजनाओं में निर्धारित संख्या से अधिक पद बनाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों को किस प्रकार खपाया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) प्रथम कुछ योजना अवधियों के दौरान भर्ती किये गये अस्थाई (अवर्तित) अधिकारी व्यक्तियों के वार्षिक कोटा के अनुसार ही प्रथम श्रेणी में समाहित किये जाने के पात्र हैं जिसका विनिश्चय संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया गया है। निर्माण आरक्षित स्थाई रिक्तियों में स्वतः समाहित होने के वे पात्र नहीं हैं। इन अधिकारियों को अधिक संख्या में समाहित किये जाने के प्रश्न की आवधिक समीक्षा की जा रही है।

आयातित रुई का व्यापार

952. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने रुई व्यापारियों के द्वारा ही रुई के आयात का व्यापार किया जा रहा है; और

(ख) वर्ष 1970-71 के दौरान कुल कितनी रुई आयात की गई और उसमें से कितनी रुई पुराने व्यापारियों द्वारा आयात की गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सितम्बर, 1970 से रुई के सभी आयात भारतीय रुई निगम के माध्यम से मार्गीकृत है। उपभोक्ता मिलों को उप-लाइसेन्स दिये जाते हैं। 1970-71 के दौरान आयातों के लिये प्राधिकृत 9.99 लाख गांठों में से मिलों को लगभग 7.72 लाख गांठे, गैर सरकारी व्यापार माध्यमों के जरिये तथा 2.26 लाख गांठें रुई निगम के माध्यम से आयात करने की अनुमति दी गई थी।

उकाई बांध परियोजना

953. श्री बेकारिया : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उकाई बांध परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या निर्माण कार्य नियत समय से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्माण कार्यक्रम को तेज करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) कच्चे बांध, पक्के बांध और रेगुलेटर पर कार्य लगभग पूर्ण होने को है। नहरों और पक्की संरचनाओं पर कार्य जारी है।

(ख) से (घ) सम्पूर्ण परियोजना पर कार्य अनुसूची के अनुसार चल रहा है और रेडियल क्रैस्ट गेटों के निर्माण को छोड़कर जो कि इस्पात की सप्लाय में कुछ देरी के कारण नहीं हो सका है, लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया गया है। निर्माण कर्ताओं द्वारा अपेक्षित लगभग 3,490 मेट्रिक टन इस्पात पहले ही सप्लाय किया जा चुका है और आगे भी सभी साधनों से जिसमें आयातित इस्पात शामिल है, इस्पात को भेजने की भी व्यवस्था कर दी गई है और इस कार्य के भी माचं, 1973 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

गुजरात में ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण

954. श्री बेकारिया : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण ने गुजरात के कुछ जिलों में सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख) गुजरात के कच्छ और भड़ोच जिलों में ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में विशेष सिब्बन्दी की मंजूरी दी है और स्टाफ की भर्ती चल रही है।

एनाकुलम क्विलोन-त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोनपुनालूर सेक्शनों पर पैसेंजर गाड़ियों में भारी भीड़ होना

955. श्री वयालार रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल में एनाकुलम-क्विलोन-त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोन पुनालूर सेक्शनों पर छोटा सफर करने वाले यात्रियों के बड़ी संख्या में होने के कारण पैसेंजर गाड़ियों में भारी भीड़ रहती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सेक्शनों पर और अधिक रेल कारें चलाने का है।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) यद्यपि खण्डीय सवारी गाड़ियों में स्थान का पूरा पूरा उपयोग नहीं होता, कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम और पुनालूर पर लम्बी दूरी की गाड़ियां नं० 105/106 मद्रास तिरुवनन्तपुरम मेल और पुनालूर-कोल्लम खण्ड पर नं० 162 तिरुवनन्तपुरम मदुरै सवारी गाड़ी में कम दूरी के यात्रियों से भीड़-भाड़ हो जाती है।

(ख) जी नहीं।

पश्चिमी तट की नदियों की सिंचाई क्षमता का उपयोग करने हेतु योजना

956. श्री बी० बी० नायक : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तट की नदियों की सिंचाई क्षमता का उपयोग करने हेतु कोई योजना है यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इन नदियों की सिंचाई क्षमता का उपयोग इस समय किस सीमा तक नहीं होता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख) मोटे अनुमान के अनुसार, तापी नदी के दक्षिण में पश्चिम-प्रवाही नदियों की कुल सिंचाई क्षमता 58 लाख एकड़ है। पहले से चल रही अथवा निर्माणाधीन परियोजनाओं से लगभग 18.7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इन परियोजनाओं की एक सूची संलग्न है। (ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1510/72)

राज्य सरकार ने और पाँच लाख एकड़ भूमि के लाभ के लिए पहले ही कुछ नई स्कीमें तैयार की हैं। वे कुछ और परियोजनाओं का भी अनुसंधान कर रहे हैं और जब अनुसंधान कार्य पूर्ण हो जाएगा और उनके कार्यान्वयन के लिए संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, राज्य सरकार इनके निर्माण को हाथ में ले लेगी।

काफी व्यापार में एकाधिकार

957. श्री बी० बी० नायक : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि काफी के निर्यात व्यापार पर कुछ गैर-सरकारी निर्यातकताओं का एकाधिकार है जो कम दर पर काफी खरीदते हैं और ऊँचे मूल्य पर निर्यात करते हैं।

(ख) यदि हाँ, तो काफी के मुख्य निर्यातकताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने काफी निर्यात का काम राज्य व्यापार निगम को सौंपने पर विचार किया है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध क्या निर्णय किया गया है।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। निर्यात के लिए काफी, खुली नीलामियों द्वारा बेची जाती हैं। इन निर्यात नीलामियों में भाग लेने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या फर्म अपना नाम काफी बोर्ड में पंजीकृत करा सकता है और जमानत जमा करने तथा बैंक गारंटी देने जैसी कतिपय पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात परमिट प्राप्त कर सकता है।

(ख) इस समय 20 पंजीकृत निर्यातक हैं जो स्वतन्त्र रूप से नीलामियों में भाग ले सकते हैं और निर्यात के लिए अपेक्षित मात्रा में काफी खरीद सकते हैं। एक विवरण संलग्न है (अनुबंध) (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1511/72)

(ग) पंजीकृत निर्यातकों की सूची से यह देखा जा सकता है कि भारतीय राज्य व्यापार निगम भी एक पंजीकृत निर्यातक है।

काफी का बड़ी मात्रा में जमा होना

958. श्री बी० बी० नायक : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1971 के अन्त में काफी बोर्ड के पास बहुत मात्रा में काफी अनबिकी पड़ी थी और यदि हाँ, तो उस समय अनुमानतः कुल कितनी काफी अनबिकी पड़ी थी और वह किस उत्पादन अवधि की थी।

(ख) क्या इस में से एक बड़ी मात्रा खराब पाई गई थी और यदि हाँ, तो कितनी; और

(ग) काफी को खराब होने से रोकने और उसकी शीघ्र बिक्री के लिए क्या कार्यवाही की गई है या को जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970-71 फसल से 1,10,000 मे० टन काफी बोर्ड के अनुमानित उत्पादन में से दिसम्बर, 1971 के अन्त में काफी बोर्ड के पास काफी का अनबिका भंडार 29,335 मे० टन था।

(ख) काफी भंडारों के सर्वेक्षण से प्रकट हुआ है कि पूल में लगभग 5,600 मे० टन काफी उचित औसत किस्म की काफी से घटिया थी, जिसके कारण निम्नांकित हो सकते हैं।—

(1) काफी ही घटिया किस्म की हो,

(2) पूल को सुपुर्दगी के समय से ही ह्यास होना शुरू हो गया हो,

(3) गत वर्ष अत्यधिक फसल होने के कारण अभिनाशन में विलम्ब

(4) अधिक समय तक भंडारण के कारण थोड़ी सी खराबी आ गई हो।

(ग) भारतीय काफी की किस्म सुधारने के लिए काफी बोर्ड ने एक तकनीकी समिति नियुक्त की है जिसके विचारार्थ विषय निम्नोक्त है :—

(1) अभिसाधन-क्षमता का मूल्यांकन !

(2) बागान स्तर पर, अभिसाधन कर्मशालाओं में और भंडारण के समय पर की जाने वाली एहतियाती कार्यवाही।

रेल दुर्घटनाएँ

959. श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार व्यवस्था के खराब रख-रखाव के कारण सहवर्ती स्टेशनों के बीच संचार व्यवस्था की गड़बड़ी के कारण इस वर्ष अनेक रेल टक्करें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) जनवरी और फरवरी, 1972 के महीनों में ऐसी कोई टक्कर नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति सम्बन्धी नीति

960 श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की भर्तियों तथा पदोन्नतियों के बारे में रेलवे की क्या नीति है;

(ख) क्या उक्त नीति सभी रेलवे विभागों में समान है; और

(ग) एक्जी तथा नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित संवर्गों में खपाने सम्बन्धी नीति क्या है तथा क्या इस प्रकार उन्हें खपाये जाने के लिए कोई समय-अवधि नियत की गयी है ?

रेलमंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) भारतीय रेलों पर श्रेणी II श्रेणी III और श्रेणी IV पदों पर भर्ती और पदोन्नति के सम्बन्ध में सामान्य व्यवहार के नियम भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली में दिये गये हैं जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। श्रेणी I के पदों पर भर्ती और पदोन्नति संव लोक सेवा आयोग द्वारा नियन्त्रित की जाती हैं।

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली के अध्याय 1 के उपखंड IV में यथाविहित श्रेणी IV के पदों पर बाहर से की जाने वाली भर्ती फिलहाल 31-12-72 तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गयी है ताकि बड़ी संख्या में पात्र नैमित्तिक मजदूरों और एक्जी कर्मचारियों को छानबीन के

बाद आमोदित करने के में सुग्रीवा हो। उन्हें अनेकित करने लिए समय की कोई सीमा निश्चित नहीं की गयी है क्योंकि ऐसा करना इस कारण से सम्भव नहीं है कि इस तरह का आमोदन परिवर्तनीय कारणों जैसे रिक्तियों की उपलब्धता, व्यक्तियों की उपयुक्तता आदि पर निर्भर है।

कर्मचारियों तथा अधिकारियों का उसी वेतनमान में पदोन्नति अवरोध

961. श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग में कतिपय श्रेणियों के कर्मचारी तथा अधिकारी 10 वर्ष से भी अधिक अवधि तक, पदोन्नति प्राप्त किये बिना, अपने वर्तमान ग्रेडों में पड़े रहते हैं; और

(ख) कर्मचारियों तथा अधिकारियों के इस प्रकार के पदोन्नति-अवरोध को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) उच्चतर ग्रेडों पर की जाने वाली पदोन्नति रिक्तियों की उपलब्धता और प्रवरण या वरिष्ठता एवं उपभोक्ताओं के आधार पर कर्मचारियों और अधिकारियों की पात्रता पर भी निर्भर करते हैं। इस सम्बन्ध में दूसरे वेतन आयोग ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी :-

“जैसा कि हमने पहले कहा है, किसी सेवा या ग्रेड में पदों की संख्या आमतौर पर काम का स्वरूप और विभिन्न स्तरों पर वितरित किये जाने वाले उत्तरदायित्वों के आधार पर निश्चित की जाती है, दूसरे शब्दों में यह सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता पर न कि सरकारी नौकरों की उन्नति की सम्भावनाओं के सन्दर्भ में निश्चित की जाती है इसके साथ ही, समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है। 1969 में 269 राजपत्रित पदों का दर्जा बढ़ाया गया था ताकि राजपत्रित कर्मचारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर दिये जा सकें। इसके बाद सरकार ने यह विनिश्चय भी किया था कि तीसरी और चौथी श्रेणी के जो कर्मचारी अपने ग्रेड के अधिकतम पर दो या इससे अधिक वर्षों से अवरुद्ध हों उन्हें अन्तिम बार दी गयी वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन मंजूर किया जाये। फिर भी, 450-575 और 435-575 रु० (अब 270-57) के वेतनमान के कर्मचारियों को प्रति महीने 30 रु० का निश्चित व्यक्तिगत वेतन मंजूर किया गया और यह निर्णय 1. 3. 1971 से लागू किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के अन्तर्गत निर्यात निर्धारित कोटा

962. श्री एस० आर दामाणी : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1971 से मार्च, 1972 तक की अवधि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के अन्तर्गत भारतीय चाय के निर्यात का कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक कितना निर्यात किया गया है और कितना मूल्य मिला है; और

(ग) शेष चाय को भेजने की संभावनाएं क्या हैं और निर्यात में यदि कोई गिरावट आई है तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अभी कोई अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार नहीं है। परन्तु, चाय निर्यातक देशों द्वारा की गई एक तदर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत जनवरी, 1971 से मार्च, 1972 तक की अवधि के लिए भारत और श्रीलंका के लिए 50.6 करोड़ कि० ग्रा० का संयुक्त निर्यात कोटा नियंत्रित किया गया है। ऐसा विचार है कि इस कोटे में भारत और श्रीलंका का भाग लगभग बराबर-बराबर होगा। एक देश के निर्यात में कमी का लाभ दूसरा देश उठा सकता है।

(ख) 1 जनवरी, 1971 से 29 फरवरी, 1972 तक के दौरान भारत द्वारा 181.64 करोड़ रु० मूल्य की 24.381 करोड़ कि० ग्रा० चाय का निर्यात किया जा चुका है। इसमें 45 करोड़ कि० ग्रा० दरी चाय है जिसे संयुक्त कोटे में नहीं गिना जाता।

(ग) इस कोटे के मार्च, 1972 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

मुरठा तथा कोराहिया (पूर्वोत्तर रेलवे) पर रेलवे हॉल्ट

963. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कामतौल तथा जगियारा स्टेशनों के बीच मुरेठा पर तथा समस्तीपुर डिवीजन के जयनगर तथा खाजोली स्टेशन के बीच कोराहिया पर रेलवे हॉल्ट बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब निर्णय किया जायेगा।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जांच करने से पता चला है कि प्रस्तावित गाड़ी हॉल्ट खोलने के लिए कोई वित्तीय औचित्य नहीं है।

मोदीनगर (उत्तर रेलवे) में अलग बुकिंग खिड़कियों का खोला जाना

964. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों में मोदीनगर (उत्तर रेलवे) में यात्री यातायात में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यात्रियों को समय पर टिकट मिलने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो अप और डाउन गाड़ियों के लिये अलग-अलग बुकिंग खिड़कियों के न खोलने के क्या कारण हैं।

रेलमन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) मोदीनगर स्टेशन से बुक किया गया यात्री यातायात 1967-68 में प्रतिदिन 1906 यात्री से बढ़कर 1970-71 में प्रतिदिन 2634 यात्री हो गया, लेकिन अप्रैल 1971 से फरवरी 1972 तक की अवधि में इसका दैनिक औसत घटकर 2368 यात्री हो गया।

(ख) कुछ अवधियों में अनेक गाड़ियों के आने जाने के कारण टिकट के लिए लम्बी कतार

लगाने से यात्रियों की असुविधा के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ग) अप और डाउन गाड़ियों के लिए अलग-अलग टिकट खिड़कियों की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है। फिर भी, टिकट खिड़कियों पर भीड़ से छुटकारा पाने के लिए टिकट बाबुओं के कार्य के घण्टों को युक्तियुक्त करने तथा टिकट देने की प्रणाली में सुधार करने का प्रस्ताव है।

व्यापार तथा टैरिफ सम्बन्धी सामान्य समझौते के अन्तर्गत आने वाले देशों से करार

965. श्री बी० बी० नायक : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के निर्यात व्यापार के संरक्षण तथा इसके बढ़ाने के लिए तथा व्यापार का टैरिफ सम्बन्धी सामान्य समझौते के अन्तर्गत आने वाले देशों के साथ कोई करार किया गया है अथवा व्यापार तथा टैरिफ सम्बन्धी सामान्य समझौते में किसी संशोधन पर सहमति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और आगामी वर्ष के दौरान इसका भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) गाट के तत्वाधान में विकासशील देशों की व्यापार वार्ता समिति में भारत ने आठ विकासशील देशों अर्थात् ब्राजील, चिली, मैक्सिको, फिलीपाइन्स, स्पेन, तुर्की, ट्यूनिशिया तथा पीरू के साथ टैरिफ रियायतों के आदान प्रदान के लिए करार दिये हैं। ये वार्ताएं, सभी विकासशील देशों, गाट के सदस्यों तथा गैर सदस्यों के लिए खुली हुई थी, क्रमवार उत्पादों के आधार पर सम्पन्न हुई और इनमें अधिमानी आधार पर सीमा-शुल्कों पर रियायतों का आदान प्रदान किया जाना शामिल था। आठ देशों के साथ हस्ताक्षर किये गये करारों के सम्बन्ध में भारत ने 28 टैरिफ शीर्षकों पर टैरिफ रियायत प्रदान की थीं और 33 टैरिफ शीर्षकों पर टैरिफ रियायत प्राप्त की थीं। 1969-70 तथा 1970-71 की अवधि में आठ देशों से उन उत्पादों के विषय में जिन पर भारत ने टैरिफ रियायतें प्रदान की थीं, और प्राप्त की थीं, भारत के आयात तथा निर्यात क्रमशः औसतन 28.7 लाख रु० तथा 45.1 लाख रु० के थे। इन वार्ताओं के दौरान भारत ने सीमा शुल्क टैरिफ में जो कमी करवाई उससे आगामी वर्षों के दौरान सम्बद्ध देशों को निर्यात बढ़ाने के भारत के प्रयासों में सहायता मिलेगी।

मिर्जापुर में पार्सल सम्बन्धी कार्य का ठेका समाप्त किया जाना

966. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मिर्जापुर में पार्सल सम्बन्धी कार्य का ठेका करार के खंड 28 के अन्तर्गत समाप्त करने का विचार है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इलाहाबाद डिब्रीचन के कुछ अन्य स्टेशनों पर भी पार्सल सम्बन्धी कार्य का ठेका समाप्त करने का विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्थापित कार्यवाही की रूपरेखा क्या है?

रेलमन्त्री (श्री के० हनुमन्तेया) : (क) जी हाँ। सम्हलाई ठेकेदार का कार्य अत्यन्त असन्तोषजक होने के कारण, मिर्जापुर स्टेशन का पार्सल सम्हलाई का ठेका समाप्त कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

जनित एककों का आयात

968. श्री वरके जार्ज : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या विदेशों से जनित एककों (जनरेटिंग यूनिट) का आयात करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख) :

इस मन्त्रालय द्वारा 1972-77 की अवधि के लिए तैयार किये गये विद्युत विकास के एक कार्यक्रम से 17.7 मिलियन किलोवाट की अतिरिक्त विद्युत जनन क्षमता का प्रतिष्ठान परिकल्पित है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रसंग में इस संबंध में एक गहन अध्ययन किया जा रहा है कि क्या देशी निर्माता आवश्यक संयंत्र और उपस्कर उपलब्ध करा सकते हैं और इस सम्बन्ध में आयात का सहारा लेना किस सीमा तक आवश्यक होगा। विद्युत जनन सेटों के आयात का निर्णय यदि आवश्यक हुआ, प्रत्येक मामले के गुणों पर आधारित होगा।

स्वर्ण रेखा नदी पर बांध का निर्माण

969. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णरेखा नदी पर बांध बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समय इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार ने सिंचाई नौवहन बाढ़ नियंत्रण के समेकित और समन्वित विकास के लिये और बेसिन में जल के औद्योगिक और घरेलू इस्तेमाल के लिए चांदिल के निकट मुख्य स्वर्णरेखा पर एक बांध का अन्वेषण कार्य और चंबासा के निकट इसकी सहायक नदी खरखाई पर एक बांध का कार्य शुरू कर दिया है। जलाशय सर्वेक्षण पूर्ण हो गये हैं और विस्तृत जल विज्ञान सम्बन्धी, मौसम विज्ञान सम्बन्धी निर्माण सामग्री तथा कमान सर्वेक्षण जागी है।

सिंचाई उद्देश्यों के लिए उड़ीसा सरकार ने अपने क्षेत्र में सुन्नेईपटलों खारकई पर एक बांध के निर्माण के लिये एक स्कीम तैयार की है और खारकई की सहायक नदी बाँकबल पर भालुजोरी में एक बांध के लिये अनुसंधान किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने भी अपने क्षेत्र में स्वर्णरेखा की एक सहायक नदी डोलोंणा पर एक बांध के लिए अन्वेषण कार्य शुरू किए हैं।

गैर परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के लिये सरकारी क्षेत्र के विस्तार की योजना।

970. श्री बनमाली पटनायक : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 में विश्व बाजार में गैर-परम्परागत वस्तुओं का क्षेत्र अधिक व्यापक बनाने की नीति को ध्यान में रखते हुए निर्यात में सरकारी क्षेत्र के कार्य का विस्तार करने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये निर्यात योजनाएँ हर वर्ष तैयार की जाती हैं जिनमें अपरम्परागत माल के निर्यात पर बल दिया जाता है। राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम से कहा गया है कि वे अपने 1972-73 के निष्पादन बजट में पर्याप्त मूल्य के अपरम्परागत माल के निर्यात की व्यवस्था शामिल करें। हाल ही में, अपेक्षाकृत बड़े उपक्रमों और आधोरान्त (टर्नकी) परियोजनाओं में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिये परियोजना तथा उपस्कर निगम की स्थापना की गई है जो रेल व्यवस्थाओं, लोकोपयोगी वस्तुओं, औद्योगिक संयंत्रों तथा परियोजनाओं, कार्बिड, फोस्फोरस सहायक उपस्कर आदि जो कि पूर्णतः अपरम्परागत प्रकार की मर्च हैं, के क्षेत्र पर बल देगा तथा हथकरघा निर्यात निगम को, जो कि हस्तशिल्प व हथकरघा माल को भी वह निर्यात करता है, विशेषतः पहनने के आभूषणों तथा सिले सिलाये फैशन परिधानों के निर्यात में वृद्धि का कार्य करने को कहा गया है। हाल ही में सरकार ने पैकों में बन्द और बांड अंकित भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय चाय निगम की स्थापना की है।

सिगनल वर्कशाप, गोरखपुर का विकास

971. श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगनल वर्कशाप, गोरखपुर में आधुनिक किस्म के सिगनल उपकरण बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी राशि खर्च की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

बाराबंकी और बरौनी (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलना

972 श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने बाराबंकी और बरौनी रेलवे स्टेशनों के बीच पूर्वोत्तर रेलवे की छोटी रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण की ओर इंजीनियरिंग प्रतिवेदन की जांच कर ली है और उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) भटनी में मण्डरडीह के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रिपोर्टों की जांच की जा चुकी है और मुजफ्फरपुर होकर बाराबंकी-समस्तीपुर (बरौनी) मीटर लाइन में बदलने के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह निर्माण कार्य 1972-73 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ख) मण्डरडीह (वाराणसी) भटनी मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में तापीय बिजली घर की स्थापना

973. श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिजली की कमी पूरी करने के लिये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट तापीय बिजली घर बनाने का कोई प्रस्ताव है; यदि, हाँ तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : उत्तर प्रदेश सरकार ने 61.84 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर 200-200 मेगावाट के दो यूनिटों के प्रतिष्ठापन के लिये एक स्कीम प्रस्तुत की है। परियोजना रिपोर्ट की जांच पड़ताल हो रही है।

चल निरीक्षकों और वाणिज्यिक क्लर्कों (पश्चिमी रेलवे) की संख्या में वृद्धि

974. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे में 1 दिसम्बर, 1969 और 1 दिसम्बर, 1971 को, अलग अलग, चल लेखा निरीक्षकों और वाणिज्य क्लर्कों की मंजूरशुदा संख्या कितनी थी; और

(ख) इस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Procedure Regarding Transfer of Class III And Class IV Employees of Railways

975. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the procedure followed at present in regard to the transfer of Class III and Class IV employees in the Railway Department; and

(b) whether Government are aware of the difficulties faced by them on account of high prices and acute shortage of residential accommodation in big cities and, if so, the steps taken or proposed to be taken to provide relief to them ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) & (b). Transfers are ordered when necessary in the administrative interest. Transfers outside a Division are ordered very rarely except in cases of staff in grades above Rs. 250-380 (AS) whose seniority is

reckoned on all-Railway basis. Government are aware of the difficulties of staff. Hence transfers are kept to the minimum necessary. The scheme of periodical transfers already stands suspended since 1968.

Meeting of Departmental Promotion Committee

976. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 2377 on the 11th August, 1970 and Unstarred Question No. 2314 on the 30th November, 1971 regarding the holding of a meeting of the Departmental Promotion Committee and State the names of the Railway Officers who have been recommended for confirmation ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthiya) : Departmental Promotion Committee, held on 17. 8. 1971, selected three Temporary Assistant Traffic Officers for permanent appointment. The Permanent appointment of S/Shri M. C. Dhingra and K. D. Sarkar has already been notified. Notification in respect of the third Officer will issue after necessary formalities are completed.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

- (1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—
 (एक) निर्वाचन-संचालन (चौथा संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5573 में प्रकाशित हुए थे ।
 (दो) निर्वाचन-संचालन (संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 70 (ड.) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1493/72]
- (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—
 (एक) एस० ओ० 5006, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में संसदीय तथा विधान-सभायी निर्वाचन क्षेत्रों सम्बन्धी परिसीमन आदेश 1966 की अनुसूची 8 में कतिपय शुद्धियाँ की गई हैं ।
 (दो) एस० ओ० 5240, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसूर राज्य के सम्बन्ध में संसदीय तथा

विधान-सभायी निर्वाचन क्षेत्रों सम्बन्धी परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची 11 में कतिपय शुद्धियाँ और संशोधन किये गये हैं।

(तीन) एस० ओ० 5251, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में संसदीय तथा विधान-सभायी निर्वाचन क्षेत्रों सम्बन्धी परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची 4 में कतिपय शुद्धियाँ और संशोधन किये गये हैं।

(चार) एस० ओ० 5359, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में संसदीय तथा विधान सभायी निर्वाचन-क्षेत्रों सम्बन्धी परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची 1 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(पांच) एस० ओ० 32 (ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में संसदीय तथा विधान-सभायी निर्वाचन क्षेत्रों सम्बन्धी परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची 6 में कतिपय संशोधन किये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1494/72]

संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से मैं निम्न पत्र सभा-पटल रखता हूँ :

संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, की एक एक प्रति :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 20 मार्च 1972 की उद्घोषणा, जो भारत के राज पत्र दिनांक 20 मार्च 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 200 (ड.) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1971 को जारी की उद्घोषणा को रद्द किया गया है।

(दो) संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधिन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 20 मार्च, 1972 की उद्घोषणा, जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 मार्च 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एम० आर० 201 (ड.) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा त्रिपुरा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 21 जनवरी, 1972 को जारी की गयी उद्घोषणा को रद्द किया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1495/72]

डाक घर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम

विधि और न्याय मंत्रालय राज्यमंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : श्री के० आर० गणेश की ओर से मैं निम्न लिखित पत्र सभा सटल पर रखता हूँ।

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 क की उपधारा (3) केअन्तर्गत डाकघर बचत बैंक(दूसरासंशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मार्च 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 281 में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिय संख्या एल० टी० 1496/72 ।

- (2) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1970-71 के सम्बन्ध में प्रतिवेदन-केन्द्रीय सरकार (रेलवे) की एक प्रति ।
- (3) वर्ष 1970-71 के विनियोग लेखे रेलवे भाग 1-समीक्षा-की एक प्रति ।
- (4) वर्ष 1970-71 के विनियोग लेखे रेलवे भाग 2-विस्तृत विनियोग लेखे-की एक प्रति ।
- (5) वर्ष 1970-71 के विरुद्ध लेखे (ऋण लेखे सहित पूंजी विवरण), सन्तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखे रेलवे की एक प्रति ।
- (6) संविधान के अनेच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :-
 - (एक) वर्ष 1969-70 के लिए केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) के निम्नलिखित भाग:-
 - (क) भाग 1—प्रस्तावना ।
 - (ख) भाग 2—मुगल लाइन लिमिटेड के कार्य का मूल्यांकन
 - (ग) भाग 3—नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के कार्य का मूल्यांकन ।
 - (घ) भाग 4—नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड के कार्य का मूल्यांकन ।
 - (ङ.) 5—भाग इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड ।
 - (दो) वर्ष 1970 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के हिन्दी संस्करण के निम्नलिखित भाग :-
 - (क) भाग 1—प्रस्तावना ।
 - (ख) भाग 2—राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कार्य का व्यापक मूल्यांकन ।
 - (ग) भाग 3—भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के कार्य का व्यापक मूल्यांकन ।
 - (घ) भाग 4—राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के कार्य का व्यापक मूल्यांकन ।
 - (ङ.) भाग 5—हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड के कार्य का व्यापक

मूल्यांकन। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०
1497/72)।

दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बी० एन० कुरील) : डा० के० एल० राव
की ओर से मैं निम्नलिखित उत्तर सभा पटल पर रखता हूँ :

1. दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उसके लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
2. दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में वर्ष 1972-73 के बजट अनुमानों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1498/72]

राज्य सभा से सन्देश

Messages from Rajya Sabha

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है।

- (एक) कि राज्य सभा को लोकसभा द्वारा 16 मार्च, 1972 को पास किये गये विनियोग (रेल) विधेयक 1972 के सम्बन्ध में लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (दो) कि राज्य सभा को लोकसभा द्वारा 16 मार्च, 1972 को पास किए गये विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (तीन) कि राज्य सभा ने 18 मार्च, 1972 को अपनी बैठक में सशस्त्र बल (आसाम तथा मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) विधेयक, 1972 पास कर दिया है।

सशस्त्र बल (आसाम तथा मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers (Amendment) Bill
as Passed by Rajya Sabha

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सशस्त्र बल (आसाम तथा मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) विधेयक, 1972 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

सामान्य बजट, 1972-73 सामान्य चर्चा

General Budget, 1972-73-General Discussion

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : पिछली बार अपने बजट भाषण में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि देश में सार्वजनिक निर्धनता और बेरोजगारी की समस्याएँ ज्यों की त्यों बनी हुई हैं; परन्तु फिर भी इस बार भी इन समस्याओं को हल करने के लिए यथेष्ट गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। देश से निर्धनता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि सामाजिक पद्धति में अमूल परिवर्तन नहीं होंगे तथा जब तक भूमि का न्याय संगत उचित विवरण नहीं होगा। इस संदर्भ में यह बजट पूर्णतया असफल है। सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये केवल एक समिति गठित करके अपनी जिम्मेवारी और विपक्ष के विरोध से बचने की चेष्टा की है।

यद्यपि देश में बेरोजगारी की समस्या अपने भीषणतम रूप में है परन्तु शासक दल उसको साधारण रूप में पेश करता है प्रधान मंत्री राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्षों का भी स्वीकार नहीं करती जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि देश में लोगों के रहन-सहन का स्तर गरीबी के स्तर से भी नीचे जा रहा है। यही हालत बेरोजगारी की है। पहली पंचवर्षीय योजना के समय बेरोजगारों की संख्या जहाँ 33 लख थी वहाँ वर्ष 1969 में यह संख्या 126 लाख पहुँच गई इसके पश्चात सरकार ने इसके आँकड़े ही प्रकाशित करने बन्द कर दिये क्योंकि सही आँकड़े इतने अधिक हैं सरकार द्वारा देश की प्रगति के दावे सरासर खोखले सिद्ध होते हैं। कुछ गैर-सरकारी आँकड़ों के अनुसार आज बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ तथा कम रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या 17 करोड़ है। ये आँकड़े बिल्डज के हैं। जहाँ वर्ष 1960 में यह संख्या 16,06,000 थी वहाँ अब अबतक, 1971 तक बढ़कर 49,00,000 हो गई है। 1960 से 1970 के बीच इस संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। और यह तो स्पष्ट है ही कि सभी बेरोजगार लोग अपने नाम दर्ज नहीं कराते, वास्तविक संख्या तो न जाने क्या होगी।

शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1958 की संख्या 13,90,000 थी जो वर्ष 1959 में 15,26,000 हो गई। 1957 से 1959 के बीच इस संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केरल राज्य में बेरोजगारी बहुत ही बड़ी है। इससे वहाँ के काजू, नारियल जटा बीड़ी तथा अन्य अनेक उद्योग प्रभावित हुए। और पश्चिम बंगाल के तो बेरोजगारी इतनी बड़ी जितनी देश के किसी भी भाग में नहीं बड़ी।

सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु घोषित कार्यक्रम से बड़े ही मामूली परिणाम निकले। इस कार्यक्रम में भी गति नहीं आ रही है क्योंकि कुल निर्धारित 25 करोड़ रुपये की राशि में से अभी तक केवल 3.5 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये हैं। इसी से स्पष्ट है कि सरकार इस समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। यह समस्या निरन्तर बढ़ती जायेगी और पूँजीवाद प्रणाली के अन्तर्गत इसे हल नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए तो समूची सामाजिक प्रणाली में आमूल-भूत परिवर्तन करना होगा और समाजवाद ही इसका हल है। हमें अन्य समाजवादी देशों का अनुकरण करना चाहिए। जहाँ प्रत्येक नागरिक को कार्य करने का अधिकार उपलब्ध है। हमारे देश में ऐसी बात है ही नहीं। पिछले अल्पावधि कार्यक्रमों की धीमी गति से पता चलता है कि सरकार इस समस्या के हल के लिये गंभीरता से प्रयास नहीं कर रही है। यद्यपि इस बजट में उत्पाद बढ़ाने के लिए काफी राशि रखी गई परन्तु केवल उत्पादन बढ़ाने से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं

होगी क्योंकि अब पूंजीवाद एकाधिकार-वाद तक पहुँच जाता है तो पूंजीवाद लोग अधिकाधिक आधुनिक मशीनें लगा कर बेरोजगारी बढ़ाते हैं। हमें स्वयं इन यंत्रों के उपभोग का विरोध करना है क्योंकि इसका अर्थ है लोगों को बेकार और बेरोजगार करना। कल ही रेल मंत्री ने बताया कि वह स्वयं वह यंत्रों तथा संकणकों (कम्प्यूटरों) का उपयोग करेंगे। रेल कर्मचारी इसके विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं क्योंकि इसके फलस्वरूप लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे।

अतः उत्पादन बढ़ाने का अर्थ रोजगार बढ़ाना नहीं है। इससे तो पूंजीवादी कानून का बोलबाला रहता है जो कि अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, उत्पादन बढ़ाने हेतु आधुनिक मशीनों की स्थापना करेंगे जिससे गांवों में अधिकाधिक लोग बेरोजगार होते हैं।

इसका कारण यह है कि जमींदारी भूमि प्रणाली से उत्पादन करना है और इसे ग्रामीण क्षेत्र पर लादना है। सरकार कृषि में पूंजीवाद ला रही है और इसी कारण लोग अपने रोजगार से हाथ धो रहे हैं। इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

प्रगति और सामाजिक न्याय के बारे में सरकार ने कहा है कि वह कुछ आधारभूत संगठनात्मक परिवर्तन करेगी। वस्तुतः आधारभूत परिवर्तन संगठनात्मक परिवर्तन नहीं होते। मूलभूत परिवर्तन का अर्थ है जमींदारी प्रणाली तथा पूंजीवादी शोषण की पूर्णतया समाप्ति। आप तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके तथा कतिपय प्रबंधों तथा कोयला खानों आदि को अपने अधिकार में करके समाजवाद लाना चाहते हैं। राष्ट्रीयकरण करना सामाजिक उपाय नहीं है इससे तो पूंजीवादी लोगों को संकट के समय के लिये अधिक सुदृढ़ करना होता है। इसका प्रमाण यह है कि निर्धनवर्ग को बहुत कम ऋण दिया गया है। उस दिन वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि छोटे वर्ग को केवल 23 प्रतिशत ऋण ही दिये गये हैं तथा शेष 77 प्रतिशत धनिक वर्ग को भिला ताकि वे अपने बड़े-बड़े स्वार्थों की पूर्ति कर सकें। इसी प्रकार अन्य संगठनात्मक परिवर्तन भी पूंजीवाद को निर्बल नहीं करेगा। यही कारण है कि इस प्रकार के उपाय समाजवादी उपाय नहीं हैं।

आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक स्वराज्य के सरकार के बारे में भी परस्पर विरोध है क्योंकि इसमें भी विदेशी सहायता पर निर्भरता निहित है। अभी प्रश्नकाल के दौरान बताया गया था कि भारत सरकार और ब्रिटेन के उद्योगपतियों के बीच कोई करार हो रहे हैं। इसी अवधि में अनेक विदेशी गैर-सरकारी पूंजीवादियों को लायसेन्स जारी किये गये हैं। वर्ष 1969 में 214 विदेशी कम्पनियों को तथा 1970 में 380 को लायसेन्स दिये गये थे। विदेशी पूंजीनिवेश के लिये आवेदन पत्रों की संख्या में वृद्धि होती ही जा रही है। सरकार गैर सरकारी विदेशी कम्पनियों को शुल्क में अनेक रियायतें देकर विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दे रही है जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हो रहा है। यह सिद्ध हो चुका है कि सरकार का आत्मनिर्भरता का नारा एक दम खोखला है। और हम अधिकाधिक विदेशी सहयोग पर आश्रित होते जा रहे हैं।

यह बजट पुरानी विचारधारा पर आधारित है। हम चाहते हैं कि काले धन कर अपवंचन को रोक कर तथा बड़े वर्गों पर अधिक कर लगाकर आय धन-स्रोत बनाये जाएं। परन्तु सरकार इस नीति को नहीं अपना रही है। यही कारण है कि इस बजट से समस्याएं हल नहीं होंगी बल्कि निर्धनता और असमानता बढ़ेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : पिछले दो दशकों में भारत के लोगों ने अनेक

विजयें प्राप्त की हैं। इस बार कर बजट भी पूर्णतया विश्वासपूर्ण बजट है और राष्ट्र के आत्म-विश्वास का प्रतीक है। इस बार सरमायेदार पूंजीपतियों, अवसरवादी वामपक्षियों, विघटनकारी शक्तियों तथा दशिणपंथी प्रतिक्रियावादियों को भारी पराजय का मुख देखना पड़ा। बंगला देश की विजय ने फासिस्ट शक्तियों की भी जड़ें उखाड़ दी है। वर्ष 1971 में सभी दिशाओं में ऐतिहासिक क्रांतियां हुई हैं और वर्ष 1972 के आरम्भ में हमारे देश के लोगों को नई और नाटकीय सफलताएं मिली हैं।

वर्तमान बजट बड़ा ही स्पष्टवादी और सहनशील है और इसमें भारत का साथ ही बंगला देश के लोगों के सम्मुख खड़ी अनेक चुनौतियों का प्रबल उत्तर मौजूद है। गरीबी और अज्ञानता के विरुद्ध हमारा नारा वास्तविक कदम है केवल एक नारा ही नहीं है और इस उद्देश्य की पूर्ति उत्पादन और सामाजिक न्याय द्वारा की जायेगी। यह बजट इन उत्पादन शक्तियों को प्रबल करेगा जिनके द्वारा कम से कम अगले वर्ष तो हमारी अर्थ व्यवस्था उत्पादन-प्रधान बने और हम प्रत्येक राजनीतिक तथा कूटनीतिक मोर्चे पर विजय प्राप्त कर सकें अर्थात् आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्वाधीनता का अपना लक्ष्य प्राप्त करके अपने देश के करोड़ों लोगों के आर्थिक स्वराज्य के स्वप्न को साकार कर सकें जिसका कि राष्ट्रपति ने जिक्र किया है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना-व्यय से 700 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह भी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यदि योजना में पूंजी-निवेश नहीं किया जाता है तो गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी-निवेश करना भी असम्भव हो जाता है। इसीलिए एक ही वर्ष में योजना में और अधिक 700 करोड़ रुपये लगाने का निश्चय किया गया है। यह भी एक बड़ी भारी सफलता है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभाग गत अनुभवों से लाभ उठाकर इसका पूरा पूरा उपयोग करेंगे।

इस बजट की अन्य महत्वपूर्ण सफलताएं ग्रामीण जल सप्लाई, बेघरों के लिए ग्रामीण गृह-निर्माण, गन्दी बतियों की सफाई तथा गरीब बच्चों को दुग्ध सप्लाई आदि योजनाओं जैसे सामाजिक कार्यक्रमों को इस वर्ष लिया जाना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विपदाओं के लिए 94 करोड़ तथा बंगला देश के लिये 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके देश के लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता दिखाई गई है।

यदि वर्ष 1971 में दो बजट पेश न किये जाते तो जो वित्तीय कठिनाई आती उससे भारी प्रगति रुक जाती और वित्त मंत्री की स्थिति बड़ी जटिल हो जाती। अतः गत वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा अन्तःस्रोत जुटाने का प्रयास वस्तुतः सहायीय रहा। इसी कारण ही इस वर्ष व्यय घाटे का बजट पेश किया जा सका।

परन्तु फिर भी मैं इस बजट में मिट्टी के तेल पर उगाए गए शुल्क की और वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा विश्वास है कि अब इस मद पर पुनः विचार किया जा सकता है क्योंकि मिट्टी का तेल एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता की चीज है। मेरी अपील है कि मन्त्री महोदय इस मद से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर पुनः विचार करें।

मैं वित्त मंत्री के समक्ष कुछ सुझाव भी पेश करना चाहता हूँ जोकि वर्षों के अनुभव के बाद रचनात्मक सिद्ध हुए हैं। आ. देश के सम्मुख सबसे बड़ा प्रश्न धन-स्रोत एकत्रित करना है।

परम्परागत अर्थव्यवस्था में विश्वास रखने वाला व्यक्ति घाटे के बजट की विडम्बना को समझता है परन्तु इस देश में भी यह प्रक्रिया बदलती जा रही है। मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ कि घाटे के बजट की व्यवस्था से देश नष्ट हो जाता है। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है और इसमें घाटे की बजट-व्यवस्था के लिए गुंजाइश है।

रिजर्व बैंक ने लगभग 1000 गैर सरकारी कम्पनियों के विभिन्न सर्वेक्षण किये हैं जिनमें निमिटेड कम्पनियों के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र की कम्पनियाँ भी शामिल हैं। चल सम्पत्ति की सूची में लगाई पूँजी 4000 करोड़ से अधिक है। मेरा मंत्री महोदय से सुझाव है कि वह न्यूनतम अवरोध की पद्धति पर न चलें। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है जहाँ कहीं भी इतनी बड़ी चल सम्पत्ति सूची नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ अधिक स्थान उपलब्ध नहीं है। अतः इस पद पर 4000 करोड़ रुपये खर्च करना उचित नहीं होगा। मंत्री महोदय इस पद पर भी गम्भीरता से विचार करें तथा इस सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त करें। सरकार ने शक्तिशाली मंत्री-मंडलीय आर्थिक उप समिति गठित की है। वें इस सम्बन्ध में समुचित समन्वय करके प्रगति की दिशा में बढ़ेंगे।

मंत्री महोदय ने आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वाधीनता पर जोर दिया है। 1956 से 1968 के बजटों से पता लगना है कि विदेशी ऋणों तथा उन के ब्याज के अदायगी के रूप में 1845 करोड़ दिया गया है और वर्ष 1968-69 से 1970-71 के बीच यह राशि 1443.2 करोड़ रुपये रही है। यदि इस वर्ष 1974-75 तक का कुल हिसाब लगाए तो यह राशि 9902 करोड़ रुपये होती है। इस से स्पष्ट है कि इस तरह के अनुदान से देश पर कितना बड़ा भार है। सरकार इस प्रकार के अनुमान लेना बन्द करे और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। यह एक बड़ी भारी चुनौती है और हम इस का सामना सभी के सहयोग से ही कर सकते हैं।

उदहारणार्थ गांवों में पेय जलसुविधाओं के लिए सदस्यगण देश भर में घूमे और उन स्थानों का पता लगाए जहाँ यह सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है। इस समस्या के हल के लिए सभी अपना दायित्व समझें। आज देश का 42 प्रतिशत निर्यात ग्राय ऋण भुगतान में चला जाता है और यदि हम अपना निर्यात 100 प्रतिशत बढ़ा दें तब भी आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते। यह समझना एक भूल होगी कि कोई देश हमें दान में कुछ दे रहा है।

प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसी विदेशी अनुदान के सहारे नहीं बन रही है। हमारे कुल संसाधनों का 85 प्रतिशत हमारे देश के लोग ही जुटाते हैं केवल शेष 15 प्रतिशत के लिए ही हम विदेशों का मुँह तकते हैं फिर भी हम इतनी बड़ी राशि से ऋण का भुगतान कर रहे हैं। हमने बंगला देश के बारे में प्रण लिया और सफलता पाई इसी प्रकार हमें इस संदर्भ में भी पक्का निश्चय और संकल्प करके कम से कम अगले तीन वर्षों में तो विदेशी अनुदान से मुक्ति पा ही लेना चाहिए परन्तु वो इस के विपरीत रहा है। गैर परित योजना के 13वें करार के अधीन अमरीका से हम 1500 करोड़ रुपये का मशीनी सामान प्राप्त कर रहे हैं।

हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने भारत का दौरा किया था। उन्हें बताया गया कि भारत किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता कम करना चाहता है और आयात की आवश्यकता को कम करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। परन्तु यदि हम हाल ही की परियोजनाओं की ओर देखें और अपना विश्लेषण करें तो हमें आश्चर्य होगा कि हम विदेशी सहायता पर पहले से कहीं

अधिक आश्रित से दिवाई देते हैं। मेरा विश्वास है कि जायद किसी एजेंसी अथवा मंत्रालय में निहित स्वार्थ हैं जिनका सम्बन्ध विदेशी हितों में है और जो शायद हमारे साहसिक प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। सरकार को ऐसे तत्त्वों से बचना चाहिए।

उत्पादन में वृद्धि करना ही हमारे समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। 1973-74 में इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 1 करोड़ 3 लाख मीट्रिक टन था परन्तु अब यह 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। उर्वरकों तथा तांबा और अन्य अलौह खनिजों के लक्ष्य में भी कमी कर दी गई है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बताया है कि देश की औद्योगिक अधिष्ठापित क्षमता में से 35 प्रतिशत क्षमता अनुपयुक्त पड़ी रही है। यदि इस अनुपयुक्त क्षमता का उपयोग कर के उत्पादन बढ़ाया जाये तो हमें कहीं से भी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी हमें कर-संसाधनों के साथ साथ गैर कर संसाधनों का भी उपयोग करना चाहिए।

जब हमें पूंजी चाहिए तो 5000 से 6000 करोड़ रुपये तक जो पूंजी छिपी पड़ी है खोज कर प्रयोग में लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। वांचू समिति के प्राक्कलन के अनुसार 1968 में काला धन लगभग 7000 करोड़ रुपये का था। इस धन की प्राप्ति से बिना कर लगाए या नोट छापे भी हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है।

उड़ीसा के लिए दूसरे इस्पात संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा किया जाता है। बहुत खाद्य नियंत्रण तथा सिंचाई योजनाएं आरम्भ की जानी है। इस सम्बन्ध में कार्य तो आरम्भ हो चुका है परन्तु कार्य को तेरी से करने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। विकास योजना के लिए उड़ीसा को उच्चतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह पिछड़ा क्षेत्र है। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री के० मनोहरन् (मद्रास-उत्तर) : इस बजट से जनता की आशाएं पूरी नहीं हुई है।

बजट को देश में सामाजिक-आर्थिक पहलुओं की अवस्था में परिवर्तन लाने का साधन कहा जा सकता है। जो दल समाजवाद लाना चाहता है, इस बजट द्वारा उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा।

मिट्टी के तेल पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए जो कि सर्वसाधारण की आवश्यकता की वस्तु है।

1971 के मध्यावधि चुनावों में इन्दिरा कांग्रेस को प्रधान मंत्री के अह्वान पर बहुमत मिला। जनता ने उस दल को यह समझ कर बहुमत प्रदान किया कि यदि इन्दिरा कांग्रेस को हरा दिया जाता तो समाजवादी उपलब्धियाँ समाप्त हो जाएगी।

राज्यों के चुनावों में भी प्रधान मंत्री के दल को बहुमत मिला है।

प्रजातन्त्र एक प्रकार से खतरे में है क्यों प्रजातांत्रिक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विरोधी दल आवश्यक हैं। यदि विरोधी दल नहीं रहे तो एक दल ही सर्वेसर्वा हो जायेगा। स्थिरता प्राप्त करने के बाद सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि उसने क्या क्या प्रतिज्ञायें की हैं। सरकार को अपनी ईमानदारी सिद्ध करनी होगी और सरकार को अपने समाजवादी कार्यक्रम

पूरे करने होंगे। विश्लेषण करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस बजट को समाजवादी बजट नहीं करेगा।

गत वर्ष दो बार प्रस्तुत किये गये बजटों ने जनता की कमर पहले ही तोड़ दी है। सरकार यदि चाहती तो मिट्टी के तेल, एल्युमीनियम, उर्वरक, विद्युत चालित पम्पों आदि पर कर न लगाती क्योंकि एक तरफ हम कृषि क्रांति की बात करते हैं और दूसरी ओर उर्वरक पर कर लगाते हैं।

मैं श्री चव्हाण से अनुमोद कछुंगा कि वह कम से कम मिट्टी के तेल, उर्वरक और एल्युमीनियम से कर वापस ले ले।

मैं अब केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों के बारे में कहना चाहूंगा। श्री सुब्रह्मण्यम तथा श्री मोहन कुमार मंगलम् मद्रास आये तथा केन्द्रीय योजना मंत्री श्री सी सुब्रह्मण्यम ने द्रमुक सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या द्रमुक की नीति केन्द्र के साथ सहयोग करने की है अथवा राज्यों की स्वायत्तता के नाम पर संघर्ष करने की है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के स्तर का अनुचित अधिकार जता कर स्पष्टीकरण मांगने वाले ये लोग कैसे होते हैं?

5 मार्च को मदुरै में जनता के समक्ष भाषण दिया जिस पर प्रतिक्रियावाद समाचार-पत्र 'हिंदू' के विशेष संवादाता ने लिखा कि श्री मनोहर ने कहा है कि यदि राज्यों की स्वायत्तता की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो हम पृथक्तावादी दृष्टिकोण पुनः अपनायेंगे। यह सरासर झूठ है।

इस सम्बन्ध में मैं 'मद्रास मेले' का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें लिखा है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि देश की एकता पहले है और राज्यों की स्वायत्तता बाद में। अन्त में उसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिये कि केन्द्र तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकता जब तक राज्य भी सुदृढ़ न हों।

आज हम जिस स्वायत्तता का पक्ष ले रहे हैं वह केवल आर्थिक क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में और कुछ हद तक नीति के क्षेत्र के बारे में सम्वाद को पूर्णता दी जानी चाहिए। आज हमारा संघ भीतर से एकात्मक रूप धारण किये हुए है और बाहर से संघीय रूप। संघीय सिद्धान्त में यह अपेक्षा की जाती है कि केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होनी चाहिए। इस सिद्धान्त को केवल कड़े कानून के रूप में ही लागू नहीं करना है अपितु व्यावहारिक रूप भी देना है ताकि केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारें अपने स्वतंत्र नियंत्रण से साधन जुटा सकें।

हमारी मांग यह है कि केन्द्र और राज्यों को एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहिए। इस पहलू को समझा जाना चाहिए। देश में निन्दा और अपशब्दों का नियोजित अभियान चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 'द्रमुक' सरकार द्रविड़ों के लिए द्रविड़नाड की पुरानी मांग को दोहरा रही है। 'द्रमुक' ने पृथक्तावादी धारणा को पूर्णतया छोड़ दिया है। हम केवल राज्यों की स्वायत्तता ही चाहते हैं।

राज्य स्वायत्तता क्या है सरदार पटेलकर ने अपनी पुस्तक 'दि फाउण्डेशन्स आफ न्यू इण्डिया' में लिखा है कि "भारतीय संविधान तो है परन्तु यह काफी हद तक केन्द्र के पक्ष में है"।

मैं सभा का ध्यान तीसरे वित्त आयोग के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहूँगा जिसमें यह कहा गया है कि वित्तीय नियन्त्रण केन्द्र के पास है और राजस्व के तुच्छ और न बढ़ने वाले संसाधन ही राज्य सरकारों के लिए छोड़ दिये गए हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम राज्यों की स्वायत्तता चाहते हैं न कि आत्म निर्णय अथवा पृथक्कीकरण।

एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री के० बी० राव ने अपनी एक पुस्तक 'इण्डियन जनरल आफ पोलिटिकल साइंस' में लिखा है कि "केन्द्र योजना बनाता है और निर्णय लेता है, राज्यों को निदेश देता है परन्तु राज्य योजना आयोग की खैरात की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : वह मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर तीन मिनट म० पू० पुनः सभावेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three Minutes past Fourteen of the clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

श्री के० मनोहरन् : मैं केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में बोल रहा था। 'द्रमुक' की नीति को स्पष्ट करने के लिए मैं बी० बी० कृष्णामूर्ति के कथन का उल्लेख करूँगा जिसमें वह कहते हैं कि वित्तीय प्रणाली किस प्रकार बनाई गई है जिससे केन्द्र अधिकाधिक संसाधनों पर नियंत्रण रख सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि देश की वित्तीय संस्थाओं पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार है, केन्द्र लचीले कर लगा सकता है और लचकहीन कर राज्यों के लिए छोड़ दिए गए हैं। जब हम राज्यों की स्वायत्तता के बारे में कहते हैं तो उसका आधारभूत तथ्य यह है कि राज्यों को अपने संसाधन बढ़ाने के लिए अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीपति की अध्यक्षता में तीन सदस्यों वाली एक समिति नियुक्त की थी इन तीनों सदस्यों का 'द्रमुक' दल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस समिति के प्रतिवेदन पर आलोचनार्थे हुई। कुछ व्यक्तियों ने खुले रूप में कहा कि राजामन्नार प्रतिवेदन से संविधान समाप्त हो जायेगा। इस पर श्री राजामन्नार ने इस बात का खण्डन किया।

एक स्पष्ट बात मुझे यह कहनी है कि केन्द्र द्वारा हमारे राज्य को राजनीतिक पहलू से किस प्रकार पंगु बनाया जाता है। एक छोटी सी घटना सारी स्थिति को स्पष्ट कर देगी।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने बृद्धीश्वर मन्दिर में राजा चोला की मूर्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार किया। वह मन्दिर तंजानूर में है तथा राजा राजा चोला द्वारा निर्मित उस मन्दिर में हम उनकी मूर्ति लगाना चाहते हैं। यह साधारण सी बात है। उम अनुरोध को केन्द्रीय सरकार ने इस आधार पर ठुकरा दिया कि मूर्ति की स्थापना से मन्दिर की वास्तुकला का सौन्दर्य समाप्त हो जायेगा। क्या केन्द्र यह समझता है कि तमिलनाडु की जनता में सौन्दर्य भावना की कमी है? इस प्रकार का अपमान हम सहन नहीं कर सकते और राज्यों को खैरात पाने वाले निगम के रूप में ही नहीं समझा जाना चाहिए। हमने अपनी मांग की पुष्टि के लिए शेख मुजीबुर्रहमान का उल्लेख किया तो कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने राज्य की स्वायत्तता के नाम पर मुजीबुर्रहमान ने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से विजयी हुए।

शेख मुजीबुर्रहमान का छः सूत्री कार्यक्रम राज्य-स्वायत्तता के नाम पर है।

उपाध्यक्ष महोदय : छः सूत्री कार्यक्रम समाप्त हो गया है।

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : धन्यवाद।

श्री के. मनोहरन : पहले मेरी बात सुनिए..... (व्यवधान)

छठा सूत्र था कि पूर्वी पाकिस्तान में परा-मिलीटरी बल स्थापित किया जाना चाहिए।

परन्तु हम किसी राज्य की ऐसी मांग को कभी सहन नहीं करेंगे। श्री सात्वे ने मेरी बात समझी है..... (व्यवधान)

‘द्रमुक’ की ओर मैं कह सकता हूँ कि घाखले कम होते जा रहे हैं। हम दक्षिणी-पूर्व एशिया में एक सर्वोत्तम प्रजातन्त्र के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन आपको राज्यों की सहायता करने का भी ध्यान रखना चाहिये जिसके लिये हमारे बीच बातचीत होनी चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री ने भी देश का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहा है कि यद्यपि देश ने समाजवाद और प्रजातन्त्र के लक्ष्य को पूरे दिल से स्वीकार किया है, फिर भी हर राज्य द्वारा इस लक्ष्य तक पहुंचने की विभिन्न राहों पर मतभेद हो सकता है। सभी राज्यों ने एक ही मार्ग द्वारा इस लक्ष्य तक पहुंचने की जिद की तो इससे कठिनाइयां पैदा हो जायेगी।

प्रधानमन्त्री निस्सन्देह बधाई की पात्र हैं लेकिन मुझे भय है कि उनके इर्दगिर्द के लोग उन्हें कहीं बिगाड़ न दें। मैं जानता हूँ कि यह वर्ग उन्हें बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि वह एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं।

हमें इस देश में सही समाजवाद लाने के लिये पूरी शक्ति से काम करना चाहिये और हमें वहीं नहीं रुक जाना है जहां हम हैं। हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। आये तो इन्दिरा गांधी का हम तामिलनाडू में स्वागत करते हैं लेकिन उनकी लहरों का नहीं।

श्री नरेन्द्र कुमार सात्वे (वेतूल) : यह वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध हुआ है। इस वर्ष हमने एक तरह से राजनैतिक स्थिरता प्राप्त की है। फिर भी हमारे विपक्ष के मित्र हमारे काम की निन्दा करते हुए कहते हैं कि संसदीय प्रजातन्त्र खतरे में है। विरोधी-दलों के सभी सदस्य हमारे कामों में दोष ढूंढते हैं। चुनाव में पराजय के कारण ही वे ऐसी बहकी बहकी सी बातें करते हैं।

हमने अपनी टार से कुछ सोचकर अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है और इसी कारण हमारी शानदार जीत भी हुई।

वित्त मंत्री की निन्दा करना आसान काम है। इन्होंने पिछले वर्ष बजट द्वारा जो साधन जुटाये, उसी को लेकर उनकी निन्दा हुई है। वर्ष 1970-71 और 1972-73 के दौरान करों से वास्तव में 683 करोड़ रुपये की राशि जुटायी गयी।

दक्षिणपंथियों ने इसे बेकार का बजट बताया है और कहा है कि इसी मुद्रा स्फीति का खतरा है जो गरीब लोगों को कुचलेगी। वामपंथी मित्रों का कहना है कि इससे विकास तो होगा लेकिन इसका लाभ केवल एकाधिकारियों तथा पूंजीपतियों को पहुंचेगा।

यदि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का मूल्यांकन किया जाये तो देश की अर्थ व्यवस्था का कुशल प्रबन्ध करने के लिए वे सचमुच बधाई के पात्र हैं। अब वह स्थिति आ गई है जब हमारे लिये आत्मनिर्भरता प्राप्त करना अनिवार्य सा हो गया है। अमरीका द्वारा हमारे प्रति अपनाये गये घातक रवैये ने हमें निस्सन्देह आत्म निर्भरता की राह की ओर उन्मुख किया है और हम इसके लिये और निक्सन के आभारी हैं।

आत्म निर्भर होने के लिये हमें अधिक पैसों की आवश्यकता होगी जिसके लिये अधिक कर भी लगाने पड़ेंगे। इस वर्ष वित्त मंत्री महोदय के 683 करोड़ रुपये की राशि के कर प्रस्ताव ऐसे हैं जिनका बाजार भाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने, प्रतीत होता है कि कर भी लगाये हैं और लोगों को खुश भी किया है। इस प्रकार इन्होंने एक असम्भव कार्य किया है। वित्त मंत्री की कला का रहस्य यह है कि लोगों को पीड़ित किये बिना वह उनसे कर लेते हैं। उनकी सफलता की यही कुंजी है। इसके साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में वर्ष 1969-70 की अपेक्षा 1970-71 में गिरावट आयी है। इस दुःखद स्थिति का हमें सामना करना है और उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाना है।

कुछ मुख्य कठिनाईयों की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहली मुख्य कठिनाई कारखानों के लिये कच्चे माल के परिवहन से सम्बन्धित है। आशा है कि कच्चे माल के परिवहन के लिए प्राथमिकता के आधार पर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। दूसरी कठिनाई उद्योगों को ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में है। खेद की बात है कि हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक उद्योगों तथा छोटे किसानों के लिए ऋण की वे सुविधाएं नहीं दे रहे जिनकी उनसे आशा थी।

तीसरी स्थायी कठिनाई लाईसेंस की प्रक्रिया के बारे में है। लाईसेंस देने की प्रक्रिया में जो बुराईयाँ तथा विलम्ब हैं, उनको शीघ्र समाप्त करना अनिवार्य है।

इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के लिये पहले वर्ष की अपेक्षा 710 करोड़ रुपये अधिक की व्यवस्था करने के लिए वित्त मंत्री निस्संदेह बधाई के पात्र हैं लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। उद्योग-पतियों पर निर्भर करके न तो तीव्र औद्योगीकरण होगा और न ही उत्पादन बढ़ेगा। जब तक सरकार औद्योगिक क्षेत्र पर अधिक व्यय नहीं करती उस समय तक यह समस्या हल नहीं होगी।

मूल्य स्तर बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सरकार बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुएं बनाने का निर्णय करे। सरकार कठिन आर्थिक स्थिति का सामना कैसे करती जा रही है? 55

करोड़ लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी आखिर सरकार पर ही है। उद्योग-व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के हमारे सभी प्रयत्नों का विरोध करते आए हैं। वे विभिन्न अधिकाधिक सुविधाओं की माँग करते आए हैं। जो भी नई सुविधाएं इन्हें दी जाती हैं उनका उल्लेख वाँचू आयोग के प्रतिवेदन में है मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री महोदय इस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करते जा रहे हैं। प्रतिवेदन में काले धन तथा कर की चोरी का दोष सरकार पर भी लगाया गया है और कहा है कि कर की अधिक दर प्रत्यक्ष करों के कानून, राजनैतिक दलों को चन्दे, भ्रष्ट व्यापार प्रणालियाँ आदि आदि इन बुराइयों के कारण हैं। आयोग ने विक्रय-कर की अधिक दर, कर कानूनों को लागू करने में ढील और नैतिक स्तर की गिरावट को भी इन बुराइयों के कारण माना है। इस आयोग ने कानूनी अथवा सामाजिक बहिष्कार सरीखी कई ऐसी सिफारिशों की हैं जो कभी भी कार्यान्वित नहीं हो सकतीं। उन्होंने किसी कानून का सुझाव क्यों नहीं दिया ?

प्रत्यक्ष करों की दरों को सुनिश्चित करने का भी आयोग ने सुझाव दिया है। मुझे आशा है कि इस प्रकार की सिफारिशों के आधार पर कानून बनाने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी।

मिट्टी के तेल पर शुल्क लगाने का कारण वित्त मंत्री महोदय ने यह बताया है कि यदि इस पर कम शुल्क लगे तो इसके डीजल तेल सरीखी वस्तुओं के साथ मिलावट का भय है। उनके अनुसार मिट्टी के तेल पर कुछ अधिक कर लगना जरूरी सा है।

समाज विरोधी-तत्वों द्वारा मिट्टी के तेल का उपयोग मिनावट करने के लिए किया जा रहा है तथा सरकार इस कदाचार को रोकने में असमर्थ है इस कारण गरीब जनता को कर देना पड़ता है। मिट्टी के तेल, उर्वरकों, तथा पम्पिंग सैटों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि मिट्टी के तेल का मूल्य 6 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया तो यह सामाजिक तथा आर्थिक न्याय का उल्लंघन होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : बंगला देश के युद्ध के पश्चात जनता यह आशा कर रही है कि अब गरीबी तक धन संचयन के विरुद्ध तथा आत्म-निर्भरता प्राप्ति के लिए एक नया युद्ध आरम्भ होगा, किन्तु वित्तमंत्री के बजट ने जनता की आशा को धाराशायी कर दिया है। जहाँ तक बजट प्रस्तावों का सम्बन्ध है, सामान्य जनता पर पुनः बोझ आ पड़ा है और सरकार की 'गरीबी हटाओ' नीति सम्बन्धी सभी लक्ष्य जान बूझकर, सुनियोजित ढंग से छोड़ दिये गये हैं।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा है कि अगले वर्ष केन्द्र का अतिरिक्त शुल्क 133 करोड़ रुपये तथा राज्यों का 50 करोड़ रुपये होगा। और इस प्रकार 375 करोड़ रुपये का मूल घाटा 242 करोड़ रह जायेगा जो उनकी दृष्टि में अधिक हानिकारक नहीं है। परन्तु योजना आयोग के अनुसार 200 करोड़ से अधिक घाटे की व्यवस्था हानिकारक है।

शेयर बाजार में प्रसन्नता क्यों है ? इसका स्पष्ट कारण यह है कि उन्हें बहुत बड़े बजट की आशा थी। किन्तु जब यह बजट सामने आया तो उन्हें आश्चर्य हुआ और स्वभावतः वे उल्लास में झूम रहे हैं। 'स्टेट्समैन' में एक लेख इस शीर्षक के अन्तर्गत छपा है कि बजट से निगमित क्षेत्र को कोई हानि नहीं हुई है। अतः उनका उल्लिसित होना स्वाभाविक है। एक आय वाणिज्यिक संपादक ने कहा है कि 1972-73 के बजट से केवल तीन वर्ग प्रसन्न हुए हैं और वे हैं—शेयर के दलाल, काले बाजार के व्यापारी और कर अपवंचक।

मेरा तात्पर्य बजट के पछे निहित भावना से है क्योंकि देश में इस समय उसी भावना की चर्चा है और उसी भावना पर निर्वाचन लड़े जाते हैं। नारों में स्थान्तरित इसी भावना ने बहुमत प्रदान किया है। इस बजट में जो भावना दिखाई देती है वह पूर्णतया पूँजीवादी है। देश में निर्वाचन सम्पन्न हो चुके हैं, राज्यों तथा केन्द्र सभी जगह मत्तारूढ़ दल का मार्ग निष्कण्टक है। अब वे अपने कार्यक्रमों को पूरा कर सकते हैं। मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि देश में हमारे वर्तमान समाज के समाजवादी रूपांतरण सम्बन्धी उनकी स्पष्ट परिभाषा क्या है। हम यह नहीं कहते कि यह एक ही बात में होना चाहिये। किन्तु इस विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकेत स्पष्ट दिखाई देने चाहिये और वे संकेत सामान्य जनता के जीवन में स्पष्ट रूप से महसूस किये जाने चाहिये। अन्यथा आप अधिक समय तक पारिश्रमी की शरण में नहीं चल सकते। वर्तमान पद्धति आगे नहीं चलनी चाहिए अन्यथा लोकमत आपके विरुद्ध हो जायेगा।

सम्पूर्ण बजट में एक ही भावना सर्वत्र व्यक्त है कि बड़े बड़े उत्पादकों पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो वे निरुत्साहित हो जायेंगे और पूँजी निवेश को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। पूँजीवादी विचारधारा यह है कि यदि समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करनी है तो हमारे पास वितरण के लिये धनराशि होनी चाहिये, धनराशि जुटाने के लिए उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये और उत्पादनकर्ता केवल गैर सरकारी क्षेत्र है। अतः अधिक उत्पादन के उद्देश्य से गैर सरकारी क्षेत्र पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। यदि सरकार इसी मार्ग पर चलती है तो हम समाजवाद की ओर नहीं बढ़ेंगे बल्कि किसी अन्य दिशा की ओर बढ़ेंगे।

कल के 'स्टेट्समैन' में 290 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की वित्तीय-व्यवस्था का सारांश दिया गया है। बताया गया है कि वर्ष 1970-71 में इन कम्पनियों को उत्पादन तथा बिक्री मूल्य में 14 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। इन उद्योगों को महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे इंजीनियरिंग कंपिटल गुड्स बेसिक मेटल्स तम्बाकू, सिल्क रेशम कपड़ा, खनिज तेल तथा सीमेंट आदि की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 1970-71 में इन कम्पनियों की बिक्री में होने वाले लाभ की मात्रा में वृद्धि हुई है तथा कुल लागत पर लाभ की मात्रा में वृद्धि हुई है। इन कम्पनियों की आय पर अधिक निगमित कर लगाया जाना चाहिये। किन्तु वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष इन कम्पनियों को अछूता छोड़ दिया है। संसाधनों के संघर्ष में इस लक्ष्य को छोड़ दिया गया है। यदि इस प्रकार से संसाधनों के लक्ष्यों को छोड़ा गया तो संसाधन कहां से जुटाये जायेंगे? जब तक इन बड़े बड़े एकाधिकारवादियों की शक्तियों को समाप्त नहीं किया जाता तब तक कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे सरकार अर्थ व्यवस्था के ढांचे को बदल सके और उस दिशा में ले जा सके जिसमें वे वह जाना चाहती है।

आज की मिश्रित अर्थव्यवस्था का तर्क यह है कि उत्पादन बढ़ाने से मूल्य कम हो जायेंगे। अतः उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है कि उद्योग तथा व्यापार को हतोत्साहित न किया जाये।

वितरण व्यापार पूरी तरह से गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथ में है इसीलिए किसी भी शुल्क निवेश उत्पादन शुल्क आदि के सम्बन्ध में हमारे अनुमान जबसे सिद्ध हुये हैं। जिस वस्तु को सरकार नियंत्रण में लाना चाहती है वह उसके हाथ में नहीं होती, वह उन हाथों में है जो एकाधिकार-विरोधी प्रयासों को विफल करने में जुटे हैं।

बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण केन्द्रों में बताया गया है कि वर्ष 1971 में मूल्यों में तुलनात्मक

रूप से स्थिरता रही है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 1971 में चीनी के मूल्य में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मछली, अण्डों तथा मांस के मूल्य में 10.4 प्रतिशत तथा वस्त्रों के मूल्यों 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन्हीं वस्तुओं से हम साधारण उपभोक्ता के भाग्य के सम्बन्ध में निश्चय कर सकते हैं। तर्क दिया गया है कि उत्पादन लागत बढ़ने से मूल्यों में वृद्धि अनिवार्य हो जाती है। यह बात सही नहीं है। वर्ष 1970 में औद्योगिक कच्चे पदार्थों के थोक मूल्यों का सूचकांक 203.8 रुपये था और 1971 में यह कम होकर 177 हो गया परन्तु तैयार माल का मूल्य सूचकांक 18.7 से बढ़कर 167.6 हो गया है। कारण यह है कि अर्थव्यवस्था को इस तथ्य द्वारा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि कुछ लोग इस प्रकार से इसका नियंत्रण कर रहे हैं कि यदि उत्पादन में आवश्यक कमी करने अथवा उत्पादन में रोक लगाने से उन्हें सहायता मिलती है, तो उत्पादन में वृद्धि नहीं चाहते। सीमित उत्पादन से अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं।

सूती कपड़े के बारे में कई सदस्यों ने कहा है। मोटा सूती कपड़ा निश्चित दरों पर नहीं मिलता है। इस क्षेत्र में काला बाजार गम है। मिलें सीमित उत्पादन के हित में हैं। पिछले वर्ष मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई कोई मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ा, रुई की पैदावार भी 61 लाख गांठ की हुई जबकि उपभोग के लिए केवल 55 लाख गांठों की ही आवश्यकता है। इसके उपरान्त भी कपड़े के मूल्य में 10 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

चीनी के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति है। पहले चीनी पर आंशिक नियंत्रण था। मिल मालिकों द्वारा गड़बड़ी किये जाने पर नियंत्रण हटा दिया गया। इसके पश्चात् मूल्यों में वृद्धि हुई और चीनी के भंडार गायब हो गये। इसके पश्चात् 1 जनवरी से फिर से आंशिक नियंत्रण लागू कर दिया गया परन्तु इस बार नियंत्रण मूल्य 2 रुपये प्रति किलो निश्चित किया गया जबकि पहले यह मूल्य 1.85 रुपये प्रति किलोग्राम था। चीनी बेचने वाली राशन की दुकानों पर लिखा मिलता है कि चीनी उपलब्ध नहीं है। अतः उपभोक्ता को खुले बाजार में जाना पड़ता है जहां 3 से 4 रुपये प्रति किलोग्राम मिलती है।

व्यवहारिक रूप से रेमन लुगड़ी पर बिड़ला बन्धुओं का एकाधिकार है और स्पिनिंग उद्योग भी थोड़े से औद्योगिक गृहों के नियन्त्रण में है। उत्पादन में वृद्धि हुई और रिकार्ड स्थापित किया गया। अतः कपड़ा मूल्यों में भी इतनी वृद्धि हुई कि रिकार्ड स्थापित हो गया और परिणाम यह हुआ कि रेशम उद्योग में गम्भीर संकट उत्पन्न हुआ और वह बन्द हो जाने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति विशेषतया अमृतसर क्षेत्र के उद्योगों में है। मेरा तात्पर्य यह है कि वह पूंजीपतियों द्वारा पैदा किया गया कृत्रिम संकट है। सरकार बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। क्योंकि वे भी पूंजीवादी दर्शन में विश्वास रखते हैं।

शरणार्थी सहायता के उद्देश्य से जो विशेष कर लगाये गये थे उनको हटाने के विषय में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि शरणार्थियों के वापस जाते ही इन करों को वापस ले लिया जायेगा। अभी सरकार कह सकती है कि लगभग डेढ़ लाख शरणार्थी शेष हैं। इस मामले में मंत्री महोदय को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि इन करों को कब तक वापस ले लिया जायेगा।

बजट में पूंजीगत क्षेत्र को अछूता छोड़ दिया गया है इसी लिए शेयर बाजार में प्रसन्नता है।

काले धन के विषय में कहा गया है। कर अपवंचन ही काले धन का एकमात्र स्रोत नहीं

है। यह एक स्रोत अवश्य है और इसे रोका जा चाहिए यह हमारे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का संस्थागत ग्रंथ बन चुका है। इस काले धन की समस्त सामाजिक और आर्थिक जटिलताओं के विरुद्ध अभियान चलाया जाना है तो इन को उचित रूप में समझा जाना चाहिए। बजट के प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिससे कि काले धन के संचलन का दमन करने के लिए प्रभाव डाला जा सके। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार काला धन शहरी संपत्ति में लगाया जा रहा है। सरकार को इस और तुरन्त विचार करनी चाहिए।

ग्रामीण धनी वर्ग करो से मुक्त रहता है। उन पर भी कर लगाये जाने चाहिये। धनी किसानों की कृषि आय तथा उनकी संपत्ति पर कर न लगाने का कोई कारण नहीं है। यदि कोई कारण हो सकता है तो वह राजनैतिक कारण है। यह पग उठाना ही पड़ेगा अन्यथा हम संसाधन जुटाने का युद्ध हार जायेंगे।

कृषि, उद्यान, डेरी, मुर्गीपालन आदि में बड़े बड़े पूंजीनिवेश काले धन को छुपाने के साधन बन गये हैं। सरकार को इस बात का पता है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

राज्य सरकारों को संसाधनों के गैर-ग्राम्य साधन उपलब्ध नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्र को वे छूना नहीं चाहते। इस स्थिति में उन्हें ओवर डाफ्ट मांगने पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नीति कमजोर है और राज्यों को कांग्रेसी दलों में अनुपात से अमीर किसानों का प्रभुत्व रहता है और सरकार श्रान्तरिक अशान्ति सम्भवतया अन्य विभाजन के डर से इस पग को उठाने में हिचकिचाती है।

विदेशी ऋण चुकाने के लिये हमें अपनी वार्षिक निर्यात आय का 30 प्रतिशत देना पड़ता है। ऐसे समय जब कि हमारी एक बड़ी ऋणदाता हमारे देश की आपात कालीन स्थिति में शत्रुओं तथा सैनिक सहायता प्रदान करके हमारी कठिनाईयों को बढ़ाने में नहीं हिचकिचाता तब भी क्या कुछ समय के लिए ऋण के भुगतान को स्थगित करने की बात क्या उचित नहीं है। कम्पनियों के लाभों के स्थानांतरण पर भी प्रतिबन्ध अथवा आंशिक प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता संसाधनों में कोई वृद्धि नहीं हो सकती।

हम ऋण भुगतान को इसलिये स्थगित नहीं करना चाहते हैं कि विदेशी सहायता समाप्त हो जायेगी। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि विदेशों से हमारा सम्बन्ध विच्छेद हो जायेगा। हमें माल की सप्लाई और आवश्यक सेवाओं के वैकल्पिक संसाधनों के सम्बन्ध में व्यापक रूप से खोज करनी होगी। इसके साथ-साथ मौलिक औद्योगिक, आर्थिक प्रबन्ध सम्बन्धी तकनीकी और वैज्ञानिक सभी प्रकार के उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। इस प्रकार के देश व्यापी प्रयासों के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाई गई है और न ही इस पर ध्यान दिया गया है।

अपने वास्तविक रूप में यह बजट अनुपयोगी है। इससे देश में कोई उत्साह जागृत नहीं हुआ है और न ही इसका कोई प्रभाव पड़ा है। इसमें वही पुराना राग अलापा गया है। अप्रत्यक्ष-कर लगाये गये हैं, घाटे की अर्थ-व्यवस्था का आश्रय लिया गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। नई नीति की ओर बढ़ना केवल नारा मात्र है और यह बहुत बुरा लक्षण है।

वित्त मंत्री को बजट में निहित भावना पर प्रकाश डालना चाहिये क्योंकि जनता इसे जानने के लिये बहुत उत्सुक है।

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : There was a general fear that the Government would bring heavy taxation this time. The budget has belied all those fears. The prices have not shot up as a result of this Budget. This is a welcome feature and I congratulate the Finance Minister for this. I would, however, request that the tax on kerosene oil should be withdrawn.

Provision of increased allocation for Plan Outlay in the Budget is good. Funds allocated for welfare schemes are not being utilized and they are allowed to lapse.—The Government should see that the social welfare schemes are implemented. Complications in pension scheme should be removed and a check should be exercised to see that the funds allocated for the purpose are properly utilized. The Government should also ensure effective implementation of the schemes regarding drinking water facilities and food for babies.

The slum dwellers should not be removed far away from their slums this creates a lot of difficulties for them. Government should make efforts to rehabilitate them there itself by replacing their huts by good houses.

As regards foreign aid our Prime Minister has taken a firm stand. We should be careful to see that there are no strings tied when we receive some foreign assistance.

It has recently come to my notice that the Government proposed to start certain new ventures with foreign collaboration. Each case should be examined carefully to ensure that we are not burdened with out-of-date machinery and sick mills.

The Government should carefully examine every case in which it gives approval for foreign collaboration. It may not happen that the foreigners may come here and they may advise us to what to do and to what not to do.

In the end I will request that tax on fertilizers and pumps should be withdrawn.

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : I welcome this budget and congratulate the Finance Minister for presenting such a budget. The poor class will not be much affected by this budget. The deficit of the budget can be made good by checking evasion of taxes, black-marketing and by realising arrears. Stringent measures should be taken against defaulters. More power should be given to income tax authorities for collection of tax arrears.

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए]
[Shri R. D. Bhandare in the Chair]

Severe action should be taken against the corrupt officers.

The agriculture policy of our Government is quite satisfactory. The farmers are getting credit. The agriculture levy should be imposed by the Centre so that the tax should be uniform throughout the country.

Duty on kerosene oil should be reduced from six paise to two paise.

Black-marketers should be severely dealt with. They should be given deterrent punishment.

There should not be any time limit for re-opening of income tax cases. The department should be authorised to open them any time they are satisfied to such action against tax evaders.

The contracts of the film artists and film producers should be executed in the courts. They have got plenty of black money. This steps will help in checking black money. The tax evaders should not be given any credit facilities.

Tax on State lotteries is proper.

Misuse and theft of medicines in the C. H. S. dispensaries should be checked. There should timely transfer of the doctors.

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) विर मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट विकास प्रधान और सन्तुष्ट है। इस बजट में विकास योजनाओं को छोड़े बगैर रक्षा पर हुए अतिरिक्त व्यय और बंगला देश को दी गई सहायता भार को पूरा करने की व्यवस्था की गई है। देश का कोई भी अर्थ शास्त्री इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि यह बजट प्रगति प्रधान नहीं है।

भारत-पाक युद्ध में जवानों द्वारा किये गये कार्य की मैं सराहना करता हूँ और अनुरोध करूंगा कि सरकार को जवानों की सहायता के लिये यथासम्भव कार्यवाही करनी चाहिये।

200 करोड़ रुपये की बंगला देश को दी गई सहायता का देश में स्वागत किया गया है।

वित्त मंत्री को परमाणु बम के निर्माण के लिये भी धन राशि निर्धारित करनी चाहिये।

वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र या गैर-योजना व्यय में कमी कर अथवा करों की तेजी से वसूली कर आय के अनेक साधन उत्पन्न कर सकते थे आश्चर्य है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

वित्त मंत्री को गत वर्ष लगाये गये शरणार्थी अधिकार को समाप्त करना चाहिए। माननीय मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिए कि दो या तीन महीनों में शरणार्थी अधिकार समाप्त कर दिया जायेगा।

यह दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान सरकार गत 25 वर्षों से कोई आर्थिक नीति नहीं अपना रही है। सरकार की नीति के कारण देश में गरीबी में वृद्धि हुई है, मूल्य बढ़े हैं, बेकारी बढ़ी है। देश विदेशी सहायता पर निर्भर रहने लगा है और देश में भ्रष्टाचार का बोल-बोला हो गयी है।

देश को अब विदेशी सहायता पर कम से कम निर्भर रहना चाहिए। विदेशी सहायता के साथ हमेशा कुछ न कुछ शर्तें लगी होती हैं। अतः हमें अपने ही संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए।

देश में अर्थव्यवस्था के बारे में आत्मनिर्भर होने के लिए अनेक बातों की आवश्यकता है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। संसाधनों का उचित उपयोग किया जाना चाहिए, अधिक बचत और विनियोजन किया जाना चाहिए, अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए एक उत्तरदायी प्रशासन और कुशल प्रबन्ध होना चाहिए और अन्ततः इसके लिए अनुशासन और बड़े परिश्रम की आवश्यकता है।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को किसी देश, विशेषकर अमरीका से सहायता नहीं लेनी चाहिए। हमें देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यथासम्भव कार्यवाही करनी चाहिए।

बजट में निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

यदि हम इस्पात और उर्वरकों अथवा अन्य वस्तुएं जिन पर वित्त मंत्री ने कर लगाये हैं।

आयात वास्तव में कम करना अथवा रोकना चाहते हैं तो इस्पात और संयंत्र कारखानों को अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। इस वर्ष 35 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है यदि इस क्षमता को 35 से बढ़ाकर 85 प्रतिशत नहीं किया गया तो हमें विदेशी सहायता को अभी भी आवश्यकता रहेगी।

यदि सरकार व्यापार अन्तर को कम करना चाहती हैं और अपने संसाधनों पर निर्भर रहना चाहती है तो उसे विदेशों के सहयोग से उद्योग स्थापित करने की नीति में परिवर्तन करना चाहिए।

लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लोगों में यह भावना है कि देश में कम से कम आयात किया जाये।

सामाजिक न्याय का अभिप्राय सामाजिक कल्याण योजनाओं सम्बन्धी कानून बनाना, मूल्यों में स्थिरता, अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। सरकार ऐसी नीति का पालन कर रही है जिससे मूल्यों में स्थिरता न आकर मूल्य बढ़ रहे हैं। मूल्य में वृद्धि को रोकने के सब दावे झूठे तथा दिखावटी हैं।

देश का कोई भी अर्थशास्त्री इस बात से असहमत नहीं होगा कि यह मुद्रास्फिति का बजट है।

गांवों में रोजगार के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस कार्य पर केवल 3 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। देश में बेरोजगारी की वही स्थिति है जो 26 वर्ष पूर्व थी।

उर्वरक पर 10 से 15 प्रतिशत शुल्क लगाने और बिजली से चलने वाले पम्पों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने के कारण इस बजट को किसान विरोधी बजट की संज्ञा दी गई है। एक और वैज्ञानिक तरीके से खेती को प्रोत्साहन देने को कहा जाता है दूसरी और वैज्ञानिक कृषि पर कर लगाया जाता है। यदि स्थिति यही रही तो कृषि क्रान्ति की बजाये देश में एक क्रान्ति होगी। मिट्टी के तेल पर लगा शुल्क तुरन्त हटा लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जनता का यह विश्वास हो जायेगा कि सरकार केवल समाजवाद की बात करती है लेकिन गरीब वर्गों पर बोझ घटाने के लिए कुछ नहीं करती।

निम्न आय वर्ग की छूट सीमा को 7500 रुपये किया जाना चाहिए। इस से समाज के गरीब वर्गों को राहत मिलेगी। लेकिन इस बजट में ऐसा नहीं किया गया।

सरकार देश में सामान्य लोगों को राहत देने में असफल रही है।

इस बजट में विकास और सामाजिक न्याय की व्यवस्था नहीं की गई है।

सरकार प्रतिष्ठापित अथवा फालतू पड़ी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ रही है।

सरकारी क्षेत्र से होनी वाली बचत में एक प्रतिशत की कमी हुई है। गत चार वर्षों में सरकारी क्षेत्र में लगभग नहीं के बराबर बचत हुई है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री वांचू जैसे न्यायाधीशों पर आक्षेप लगाये गये हैं। उन्होंने बहुत ही उपयोगी दस्तावेज प्रस्तुत किया है और उस पर विचार करना सरकार का काम है। काले धन

का अवश्य पता लगाया जाना चाहिये। सरकार को इस बारे में यथासम्भव कार्यवाही करनी चाहिये। वांचू समिति द्वारा इस सम्बन्ध में दी गई चारों सिफारिशों के बारे में वित्तमन्त्री को विचार करना चाहिये। सर्वप्रथम वर्तमान प्रशासन प्रबन्ध में परिवर्तन किया जाना चाहिये। दूसरे, लाइसेन्स परमिट देने की प्रणाली के बारे में एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की जानी चाहिये। तीसरे, आयकर-विभाग की गुप्तचर शाखा का पूरी तौर से नवोकरण किया जाना तथा उसमें सुधार किया जाना चाहिये। अन्त में वांचू समिति ने सिफारिश की है कि कर दरों में कमी करने से काले धन का पता लगाने में सहायता मिलेगी।

पश्चिम जर्मनी और स्वीडन में उत्पादन की इतनी अधिक दर देखकर बहुत आश्चर्य होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ उपलब्ध जनता द्वारा पूरी शक्ति का उपयोग किया गया है वहाँ कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमास 1800 रुपये से अधिक वेतन मिलता है।

सरकार को 50 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की व्यवस्था करनी है। यद्यपि यह कार्य बहुत कठिन है परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि प्रशासन तन्त्र में परिवर्तन किया जाये तो सरकार उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकती है। आशा है सरकार इस दिशा में कार्यवाही करेगी और देश से दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करेगी।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : यह बजट एक प्रकार से गत वर्ष प्रस्तुत किये गये बजट की ही प्रतीक है। बंगला देश में घटी घटनाओं से हमारी अर्थव्यवस्था में जो अन्तर उत्पन्न हो गया है, यह बजट उसे दूर करने के लिये लाया गया है।

यह प्रसन्नता की बात है कि शरणार्थियों और देश की रक्षा पर किये गये जारी खर्च के बावजूद भी विकास कार्यों को छोड़ा नहीं गया है। अब हम विदेशी सहायता के बिना कार्य करने में समर्थ हैं। अतः बजट ने आर्थिक आत्म-निर्भरता के संकल्प को पूरा किया है।

आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए कर लगाना आवश्यक है। उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नई नीतियां बनाई जानी चाहिये। बजट में प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र को कम किया गया है। केवल थोड़े से नगरीय क्षेत्र में कर लगाये गये हैं। बड़े ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ दिया गया है।

आर्थिक विकास में मन्दी आ गई है। यह बात वित्त मन्त्री ने भी स्वीकार की है। उन्होंने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि हमारे अनेक आधारभूत उद्योग, विशेषकर इस्पात और उर्वरक पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं। यह बात स्वीकार करना दुःखपूर्ण है।

सरकारी क्षेत्र की असफलता के लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया नहीं जाता तब तक सरकारी क्षेत्र समुचित रूप से काम नहीं कर सकता। अतः जिम्मेदारी निर्धारित करना सरकार का प्रथम और प्रमुख कर्तव्य है।

यह प्रसन्नता की बात है कि बजट में सामाजिक न्याय लाने की व्यवस्था की गई है। गाँवों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने, गाँवों में गन्दी बस्तियों को साफ करने और उनमें सुधार करने प्राइमरी शिक्षा और शिक्षित बेरोजगारों के लिए बजट में 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो अच्छी बात है।

प्राइमरी शिक्षा के प्रचार से न केवल अशिक्षिता समाप्त होगी बल्कि इससे हजारों शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।

मिट्टी के तेल पर कर लगाना आश्चर्य की बात है। नगरों में मिट्टी के तेल का प्रयोग ईंधन और मशीनों में किया जाता है लेकिन गांवों में इसका प्रयोग केवल प्रकाश के लिए ही होता है। अतः मिट्टी के तेल पर कर लगाना उचित नहीं है।

आसाम में कच्चे तेल का उत्पादन होता है और वह देश में पेट्रोलियम के कुल उपभोग का 20 प्रतिशत तेल सप्लाई करता है। अतः आसाम में मिट्टी के तेल और पेट्रोलियम का मूल्य सबसे अधिक होने की बात समझ में नहीं आती।

काले धन का पता लगाने के लिए जोरदार नीति अपनाई जानी चाहिए और सरकार को काले धन का पता लगाने के लिए नये उपाय प्रयोग में लाने चाहिए।

एक कारण यह भी है कि व्यक्ति कड़ी मेहनत करके धन कमाता है और यदि उन्हें इसका एक बड़ा भाग कर के रूप में देना पड़े तो उसे भय होता है कि इस प्रकार उसके पास कुछ नहीं बचेगा, जब तक इस भय को दूर नहीं किया जाता है तब तक उनमें कर अपवचन की प्रवृत्ति रहेगी।

मैं अब आसाम की चर्चा करूंगा सामाजिक न्याय का तात्पर्य है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच आर्थिक अंतर को कम करना है। इसी प्रकार इसका तात्पर्य यह भी है कि देश के विभिन्न प्रदेशों का समान रूप से आर्थिक और औद्योगिक विकास हो। यदि कोई प्रदेश आर्थिक अथवा औद्योगिक रूप से पिछड़ा रहता है तो देश के विकास को अवरोध करता है।

इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि पूर्वी क्षेत्र संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए भी औद्योगिक विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसकी क्षमता तथा संसाधनों को उस क्षेत्र के लोगों की उन्नति के लिए नहीं लगाया गया है।

रोजगार स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि हम 1951-61 के आंकड़ों की 1961-71 के आंकड़ों से तुलना करें तो यह देखेंगे कि रोजगार के क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। भूमि पर काफी दबाव है और भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। आसाम की प्रगति नहीं हुई है। यदि औद्योगिक विकास का विविधिकरण नहीं दिया जाता तब तक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

इस संदर्भ में बैंक सम्बन्धी सुविधाओं का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा। आसाम में जो बैंक कार्यालय हैं वे देश के कुरु बैंक कार्यालयों का 1.1 प्रतिशत है। पूर्वी क्षेत्र के ग्राम्य इलाकों में बैंकों को शाखाओं के खोले जाने की धीमी गति के कारण आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। यदि वहां बैंकों की नई शाखाएं खोली जायेंगी तभी आसाम का आर्थिक विकास होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट के प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ

Shri Nageshwer Dwivedi : (Machhlisahr) The balanced budget as submitted by the hon. Finance Minister has received wide support from every section of society. Due to the problem of Bangla Desh. "Gairibi Hatao" campaign etc, it was feared that the budget would bring more taxes. But this has not happened.

There are some items which are connected with common man. Taxes on pumping sets and fertilizers have not been welcomed. Similarly it applies to Kerosene Oil also which is a common man's need. The hon. Minister may look into there again. The aluminium istensits are used in poor and middle class families. To tax on these items does not justify

the declared intentions of the Government. The "Garibi Hatao" campaign can only succeed when more considerations are given to the development of rural areas. If metalled roads are provided in the villages, their houses are provided with electricity and irrigative facilities are given to the farmers then radical change can be brought in the development of the country. It is unfortunate that three fourth of the total populations of the country live in the villages but there are no roads. Under such circumstances the produce of villages become dear on reaching cities and in the same way produce of cities become dear on reaching villages. This does benefit to none. It results in non-production of essential items which in turn help in continuing the unemployment. So the Government should provide every villages with metalled roads, electricity etc then only can radical changes come in the country. The people of the country have great faith in our Prime Minister. They know that the Prime Minister has done her best to implement the assurances given to the people. Had the problem of Bangla Desh not taken place, the progress of the country would have gathered momentum. But our people know the difficulties which came before our Prime Minister. They understand that our country can only progress under the Leadership of Prime Minister Indira Gandhi.

Regarding the system of education I want to say that it is such that students find themselves fit only for white collar jobs. It is high time that radical changes be brought in our education system. Students coming out from schools and colleges should be able to stand on their own feet and in this way help in building the nation.

I also want to touch the subject of Family Planning in our country. A large sum of money being spent on it but the result is not encouraging. Poverty and increase of birth rate are inter-connected. If the poverty is removed then only can Family Planning succeed. So the money should be diverted for the development of industries, irrigation etc. There are a large number of Harijans in villages who have no land to build up their own houses. Instructions in this respect are issued but they are not able to take benefit out of it. The Government should take steps to provide land etc to these people. Steps should also be taken to ensure that they are not evicted and any attempt in this direction must be frustrated.

A large number of people are employed in brick-kilns in Eastern Uttar Pradesh. But due to shortage of coals, it is facing crisis. I want that the Government should make available coal for the running of brick-kilns.

Our Foreign Policy has proved successful during the last two years. Not only in India but abroad also it is being praised by all. I whole heartedly support our foreign policy. There is no Comparison of valour in the history of world which three wings of our Defence Forces showed in repulsing the Pakistani attack. We have no words to praise our valiant jawans. The nation is proud of the leadership of our Prime Minister.

I do not support this contention that land revenue on land less than 6-1/4 acres should be abolished. I have seen that many farmers oppose this idea. They fear that attempts may be made to take away land from them. The Government can create a fund and thereby spend money for the benefits of farmers. By paying the revenue the farmer has the feeling of ownership of the land.

With these words I support the Budget.

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : We talk of removing poverty but the question is why the people are poor. Those who labour are poor whereas the rich take away all the money. It means the rich are thieves. Even then they evade taxes. If the poor man steals five rupees, he gets punishment but those who acquire large sum of money by unfair means go scot free. If we take away money from them then this can be used for constructing channels, roads etc.

Agitation regarding land is going on. The farmers say that the rich are not touched but lands are being nationalised. The poverty can be removed only when the rich is eliminated. Some people have doubts whether the poverty will be removed or not. But where is socialism. The poor is becoming poorer and the rich is becoming richer. Why such disparity exists in our country ?

The constable gives severe punishment to the culprit so that he confess the guilt. I once asked the Superintendent of Police whether he had given the same punishment to the constable to make him confess that he had taken bribes. The courts are meant for poor.

If you look at the courts, you will find that no judgement has been delivered even in old cases. The culprit go scot free and punishment is given to innocent people.

Unless we give importance to labour no one will work. To day the man who labours wears dirty clothes but there are such persons who change clothes every now and then. The Harijans have remained suppressed for years. I ask openly what is the source of Rs. 80 lakhs which has been given for the propagation of the Ramayana. The Ramayana does not speak in favour of women and harijans. Why this money has not been given to Guru Granth Sahib which speaks against casteism and gives importance to humanity ? If money is going to be spent on such religious purposes then how roads will be built and thereby poverty removed.

I have not touched money for the last 55 years. I have given my property to college and other benevolent purposes. Twenty five years have passed since we attained freedom but the lot of the Harijan has not changed. Unless we give consideration to this point or the Harijans are not elevated from their present disgraceful state, nothing good can take place. The Government should take away properly from those who have hidden it. With those words I support the Budget.

प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर (हमीरपुर) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जनता के इस भय को दूर कर दिया गया है कि इस बजट में भारी संख्या में कर लगाये जायेंगे। हमारा मन्तव्य साधारण व्यक्ति को कुचलना नहीं है और न ही हम मूल्य वृद्धि चाहते हैं यह एक ऐसा बजट है जिसका मूल्य वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

द्रविड़ मुन्नेत्र कर्गम के माननीय सदस्य श्री के. मनोहरन ने तीसरा वित्त आयोग का उदाहरण देते हुए कहा है कि राज्यों के साधनों को समाप्त किया जा रहा है तथा उसके एक बड़े भाग पर केन्द्र सरकार अपना अधिकार करती जा रही है। मैं उनका ध्यान पांचवे वित्त आयोग की उस सिफारिश की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है कि विशेष उत्पादन शुल्क अब विभाज्य पूल में रखे जायेंगे हमारे वित्त मंत्री इस प्रस्ताव को क्रियान्वित कर रहे हैं जिससे राज्यों को भी कर का एक बड़ा भाग मिलेगा।

हमें बजट पर वाद विवाद करते समय पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। पांचवे वित्त आयोग का प्रतिवेदन आपके समक्ष है जिसमें उत्पादन शुल्कों को विभाज्य पूल में रखा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि आगे से इसमें राज्यों और केन्द्र का समान अधिकार रहेगा।

इसी प्रकार वे स्वायत्तता की वकालत कर रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि हमने कई बार राज्यों की इस आधार पर आलोचना की है कि उन्होंने केन्द्र के कार्यक्रमों को लागू नहीं किया है। अतएव इस मामले में हमें बहुत सावधान रहना है। वे तो केन्द्र के समर्थक नहीं हैं। हमें

इस मामले में मत निर्धारित करते समय समूचे देश को ध्यान में रखना है। यदि तमिलनाडु में इस कार्यक्रम को लागू करके अच्छे परिणाम निकलते हैं तो इससे हम हिमाचलवासियों को प्रसन्नता हाँगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश अच्छे परिणाम दिवता है तो बम्बई की जनता उससे प्रसन्न होगी, हमें केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध इसी पहलू को ध्यान में रखकर निर्धारित करने है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पांच वर्षों बाद इसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। वित्तीय मामलों में स्वायत्तता की जो मांग उठाई जाती है उसके लिए सबसे अच्छा मंच वित्त आयोग है।

हाँ, मुझे एक शिकायत है। वित्त मंत्री महोदय मिट्टी के तेल पर कर लगाकर उसे महंगा करना चाहते हैं जो ठीक नहीं है। इसका उपयोग लगभग सभी करते हैं अभी गांवों में बिजली नहीं पहुँची है, प्रति लिटर 6 पैसे का कर लगाकर गरीब जनता को इससे वंचित किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इसके पीछे उनका उद्देश्य मिलावट को रोकना है। परन्तु कर लगाने के स्थान पर मिलावट को रोकना श्रेयस्कर है।

इस बजट का एक प्रभाव यह हुआ है कि कागज के मूल्य में वृद्धि हुई है। यहां अभी अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला चल रहा है और इस बजट में कागज का मूल्य बढ़ाया गया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रयोग किये जाने वाले कागज के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है।

प्रो० नारायण चन्द पारशार : परन्तु पत्र-पत्रिकाओं के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। यदि विदेशी पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो कागज पर कर लगाकर ऐसा नहीं किया जा सकता है।

बंगला देश से आए शरणार्थी चले गए हैं। अब हमें ऐसे स्थिति में आना है जिसमें रहने के हम पहले आदी थे, तभी हम कह सकते हैं कि हमने बंगला देश की समस्या को स्थायी रूप से हल कर दिया है।

बजट में और भी कई अन्य अच्छी बातें हैं, पहली बार लाटरी पर कर लगाया गया है। अभी तक लोग 1 रुपये की लाटरी खरीद कर रातों रात अमीर बन जाते थे परन्तु अब उन्हें इसके लिए कर देना पड़ेगा, उर्वरकों और पम्पों पर कर लगाने के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि हमें कृषि आय कर और कराधार सम्बन्धी समिति के प्रति वेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

इस बजट में औद्योगीकरण के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा गया है। श्री चव्हाण ने अपने भाषण में वाँचू समिति के प्रतिवेदन का हवाला दिया है, उन्होंने कहा है इस क्षेत्र में जो कर लगाया गया है वह पिछड़े राज्यों का औद्योगीकरण करने में सहायक हो सकता है, मुझे आशा है कि वे अपने आश्वासन को पूरा करेंगे क्योंकि हमारा यह अनुभव रहा है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य पिछड़े ही रहे हैं जबकि औद्योगिक रूप से उन्नत राज्यों की और प्रगति हुई है। वे राज्य, जहां उद्योग-धन्धे नहीं हैं, सरकार की ओर सहायता के लिए देख रहे हैं।

औद्योगिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, बम्बई, कानपुर, अहमदाबाद आदि में औद्योगिक मेले लगते हैं परन्तु हमारे राज्य में कोई भी मेला नहीं लगता है। इससे हमारी जनता को औद्योगीकरण के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती।

यह प्रसन्नता की बात है कि इस देश के इतिहास में पहली बार लेखा संख्या की पद्धति स्थायी रूप से लागू किया जा रहा है, इससे कार्य में आसानी हो जायेगी तथा अधिकारियों को अपने कार्य में काफी सहायता मिलेगी। वांचू समिति का प्रतिवेदन का सारांश अभी प्रकाशित हुआ है। उसमें उस का धन काले उल्लेख किया गया है जिस पर कर नहीं लगा है, इस पर कर लगाने से देश को पर्याप्त लाभ होगा।

समाचार पत्रों में इस बजट के बारे कोई विशेष बात नहीं की गई है एक समाचार पत्र ने तो इसे घटना रहित बजट की संज्ञा दी है। चाहे इसे कुछ भी कहा जाये, इस बजट द्वारा प्रथम बार राज्यों तथा केन्द्र की योजनाकार को बड़ा रूप दिया गया है। इसको ईमानदारी से लागू करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा हमें सही और संतुलित बजट का लाभ मिलेगा।

कई माननीय सदस्यों के विचार में यह आवश्यक नहीं है कि अधिक उत्पादन से मूल्यों में कमी आयेगी। यह उनके गलत विचार हैं क्या ऐसा भी कोई देश है कि जहां कम उत्पादन से मूल्य स्थिर रहे हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था खराब होती है, अधिक उत्पादन से निश्चय ही मूल्यों में कमी लाई जा सकती है।

यह आशा की जानी चाहिए कि बंगला देश की समस्या स्थायी रूप से हल हो जायेगी। हमें बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। देश में उगाहे जाने वाले करों आदि को वहां की अर्थव्यवस्था को दृढ़ बनाने में लगाना चाहिए, इन चुनावों में जनता ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है और अब उसकी आकांक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए संतुलित बजट को ऐसा होना चाहिए जिससे एक गरीब आदमी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : It is true that economy cannot be strengthened without enhancing the public investment and that can be done only by taxation.

This is not the first deficit Budget. For the last 26 years deficit budgets have been presented but we have never lost our morale.

It is wrong to charge that the ruling party is indulging in hollow slogans. It is true we raised a slogan that we would defeat the enemy. We raised a slogan that we would send the refugees back and we have sent them back. Now our slogan is that we shall remove poverty. Undoubtedly poverty is there but we have been making efforts in that direction. One can see the difference in Punjab where the agriculturist is in a happier position than before.

The Finance Minister has presented an excellent Budget. Opposition parties expected that heavy taxes would be imposed through this Budget but their calculations have proved wrong. Now they do not find any thing for which they can direct their criticism against the Government.

However, we cannot support the proposal for duty on Kerosene oil. Villages are not electrified and the villages have to face difficulty.

Madhya Pradesh is rich in mineral resources. At the same time rice and wheat are grown there in large quantity. A. U. N. expert has said that as much as 92 million cubic metre of timber can produced in the forests of Chhatisgarh whereas only 9 million cubic metre of timber is being produced there. Government should look into it and provide necessary funds for the development.

There are seven thousand power looms at Burhanpur. Out of these only 138 units have so far received loans amounting to Rs. 7 lakhs 25 thousands. This amount is much less as compared to the loans advanced to the power loom in Mhaarashtra. Government should look into and provide more loans to the units in this backward region.

Shri Sheopujan Shastri (Bikramganj): This Budget is a step further in the direction of achieving the goal of socialism in the country. It has been asked by some of the members of the C.P. and C.P.I. (M) as to what is the philosophy behind the present budget proposals. In this connection, it may be pointed out that neither we believe in communism nor in capitalism because both of these systems are not suited to our country. We believe in democratic socialism in which man cannot be exploited by man and everyone has equal opportunities for development. The people believing in dictatorship will never reconcile themselves to it. Therefore, the philosophy behind these budget proposals is gradual achievement of the goal of democratic socialism in the country.

We are trying gradually to overcome all social economic and political hinderances.

श्री अण्णासाहेब गोटेखिडे (सांगली) : मैं वित्त मंत्री महोदय को कठिन और जटिल स्थिति का सामना करने वाले साहसिक बजट के प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूँ। वर्ष 1971-72 का वर्ष सबसे अधिक कठिन वर्ष था। वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट प्रस्तावों पर गत वर्ष की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए।

लगभग 500 करोड़ रुपये के कुल करों को अदा करके जनता ने त्याग की भावना का परिचय दिया है अतः वित्त मंत्री ने बहुत अधिक निस्सहाय लोगों को आघात न पहुँचाने के दृष्टिकोण से नये कर लगाये हैं।

वित्तमन्त्री ने सरकार की आर्थिक नीति के बारे में ठीक ही निर्णय किया है कि संसाधन जुटाने की अपेक्षा उपलब्ध निधियों का ही उचित उपयोग किया जाये।

सरकारी क्षेत्र के योजना परिव्यय में 710 करोड़ रु० की वृद्धि की गई है। योजना परिव्यय में यह वृद्धि औद्योगिक विकास के लिए पूर्व अपेक्षित थी।

चौथी योजना में 'छोटे किसान विकास एजेंसी' और सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए योजना जैसी एजेंसियों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। परन्तु क्या प्रशासन तन्त्र इस 710 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय का सदुपयोग करेगा? आर्थिक नीति के बारे में मंत्रीमंडलीय समिति को देखना चाहिए कि वह बजट के उपबन्धों को वास्तविक व्यय में परिणत करने के लिए प्रशासन तन्त्र में सुधार करें।

वित्त मन्त्री ने ठीक ही कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा राजनीतिक घटनाओं ने हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सजग कर दिया है। उन्होंने गत वर्ष बायदा बाजार पर रोक लगाने जैसे उठाए गए सही कदमों का उल्लेख किया है।

वर्ष 1970-71 में सामान्य थोक मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि 5.5 प्रतिशत थी। सरकार को मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। निर्बन्धात्मक व्यापार नीति के अतिरिक्त सरकार ने और क्या कार्यवाही की है?

दिसम्बर 1971 में सरकार ने आश्वासन दिया था कि चीनी का मूल्य 2 रुपये किलो से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाएगा परन्तु अब लोग समझते हैं कि सरकारी भण्डार में ही कहीं त्रुटि है।

चीनी के मूल्य तथा वितरण के बारे में कहा गया है। चीनी के लिए स्टॉक नीति इस प्रकार रखने की आवश्यकता है जिससे मूल्यों में स्थिरता आ सके और चीनी मिल सके।

इस्पात पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। इस्पात के ऊँचे मूल्यों के कारण इंजीनियरी उत्पादों पर प्रभाव पड़ेगा। मंहगे मिट्टी के तेल तथा उर्वरकों का प्रभाव सर्व साधारण तथा किसानों पर भी पड़ेगा।

यह कहा गया है कि रक्षा पर 1971-72 में बजट में 1,241 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी। युद्ध के दौरान हुई क्षति की आपूर्ति करने के लिए अगले वर्ष के लिए 1,408 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

मेरा यह कहना नहीं है कि रक्षा व्यय में कमी की जाए किंतु बंगला देश के बनने के समय आशा दिलाई गई थी कि पूर्वी क्षेत्र में हमारे देश के साथ एक राष्ट्र मैत्री सम्बन्ध रहेगा और बंगला देश की सीमा पर 1500 मील लम्बे क्षेत्र की रक्षा करने में हमारे देश को जो रक्षा व्यय करना पड़ा है उसे भविष्य में काफी कम कर दिया जाएगा। क्या वित्त मन्त्री ने रक्षा कार्यों के लिए 1408 करोड़ रु० की व्यवस्था करते समय इस बात को ध्यान में रखा है।

प्रत्यक्ष कर जाँच समिति ने बताया है कि सोने की तस्करी में काले धन का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के होते हुए भी देश में काफी मात्रा में सोने का तस्कर व्यापार होता है। अतः सरकार को चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो जिन स्थानों पर भारत में तस्करी के लिए सोना आता है वहीं पर खरीदा जाकर, सोने का राज्य व्यापार किया जाए।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 मार्च, 1972/2 चैत्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 22, 1972/Chaitra 2, 1894 (Saka)